खण्ड–503, अंक–2
शुक्रवार, 20 माघ़, शक संवत् 1939
(09 फरवरी, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 503 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
जनपद कासगंज में हुये साम्प्रदायिक दंगे पर नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7-9
प्रश्नोत्तर	9-39
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	39-44
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व राज्यपालों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	44-46
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	46-47
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	47-48
जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा अन्तर्गत ग्राम पिलखिनी में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
नगर फिरोजाबाद में बस डिपो के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद नगला बंसी रेलवे फाटक से गांव खानपुर में रेलवे हाल्ट के मध्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड छतोह में बभनपुर वलीपुर के पास मट्‌टन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के निचली गंगानहर के कतिपय पुल को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज अन्तर्गत ग्राम खजूरा, कोहरौली एवं लसड़ा खुर्द के बीच जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के गोमती तट स्थित गुलाला अन्तयेष्टि स्थल का उच्चीकरण व अन्य कतिपय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51-52
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में कतिपय सड़क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के कतिपय ग्रामों को पहाड़ी नदियों के कटान से रोकने के लिये उपाय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर कस्बा या उससे लगी ग्राम सभा उस्मानपुर में राजकीय परिवहन डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद पीलीभीत अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
जनपद सीतापुर अन्तर्गत महमूदाबाद तम्बौर बहराइच मार्ग पर शारदा सहायक नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	54-71
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	71-89
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	89-91
नत्थी	92

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदय-339

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
27. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
30. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
38. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद

44. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
45. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
46. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
47. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
48. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
49. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
50. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
51. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
52. ओमकुमार, श्री बिजनौर
53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
56. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
57. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
58. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
59. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
60. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
61. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
62. काली प्रसाद, श्री देवरिया
63. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केसर सिंह, श्री बरेली
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
68. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
69. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
70. गंगा, श्री कुशीनगर
71. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
74. गौरी शंकर, श्री जालौन
75. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
76. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
77. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
78. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
79. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
80. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
81. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
82. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
83. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
84. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जयमंगल, श्री महाराजगंज
88. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
89. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
90. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
91. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
92. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
93. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
94. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
95. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
96. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
97. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
98. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
99. दल बहादुर, श्री रायबरेली
100. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
101. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
102. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
103. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
106. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
108. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज

109. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
110. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
111. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
112. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
113. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
114. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
115. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
116. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
117. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
120. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
121. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
122. नाहिद हसन, श्री शामली
123. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
124. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
125. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
126. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
127. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
128. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
129. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
130. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
131. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
132. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
133. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
134. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
135. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
138. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
139. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
140. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
141. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
142. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
143. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
144. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
145. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
146. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
147. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
148. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
149. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
150. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
151. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
152. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
153. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
154. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
157. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
158. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
163. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
164. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
165. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
166. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
167. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर

170. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
171. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
172. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
173. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
174. महबूब अली, श्री अमरोहा
175. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
176. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
177. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
178. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
179. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
180. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
181. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
182. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
183. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
184. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
185. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
186. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
187. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
188. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
189. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
190. यासर शाह, श्री बहराइच
191. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
192. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
195. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
196. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
197. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
198. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
199. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
200. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
201. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
202. रवि शर्मा, श्री झांसी
203. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
204. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
205. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
206. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
207. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
208. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
209. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
210. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
211. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
212. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
213. राजबाला, श्रीमती रामपुर
214. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
215. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
216. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
217. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
218. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
219. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
220. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
221. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
222. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
223. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
224. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
225. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
226. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
227. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
228. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया

229. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
230. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
231. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
232. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
233. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
234. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
235. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
236. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
237. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
238. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
239. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
240. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
241. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
243. लाखन सिंह, श्री औरैया
244. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
245. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
246. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
247. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
248. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
249. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
250. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
251. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
252. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
253. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
254. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
255. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
256. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
257. विनय शाक्य, श्री औरैया
258. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
259. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
260. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
261. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
262. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
263. वीरेन्द्र, श्री एटा
264. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
265. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
266. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
267. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
268. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
269. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
270. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
271. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
272. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
273. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
274. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
275. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
276. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
277. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
278. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
279. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
280. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
281. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
282. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
283. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
284. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
285. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
286. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
287. संजय, श्री बुलन्दशहर
288. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
289. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
290. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती

291. संजय यादव, श्री बलिया
292. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
293. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
294. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
295. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
296. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
297. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
298. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
299. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
300. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
301. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
302. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
303. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
304. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
305. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
306. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
307. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
308. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
309. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
310. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
311. सुचि, श्रीमती बिजनौर
312. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
313. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
314. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
315. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
316. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
317. सुरेश कुमार, श्री शामली
318. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
319. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
320. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
321. सुरेश राही, श्री सीतापुर
322. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
323. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
324. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
325. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
326. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
327. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
328. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
329. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
330. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
331. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
332. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
333. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
334. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
335. हरीराम, श्री सोनभद्र
336. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
337. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
338. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
339. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) तथा परिवहन, प्रोटोकाल ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:01] जनपद कासगंज में हुये साम्प्रदायिक दंगे पर नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ा मसला कासगंज में हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी आपका तो प्रिविलेज है, आप चाहे जब बोले एक मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल हो जाये, ज्यादातर प्रश्न आप लोगों के लगे हैं, हम आपको रोक नहीं सकते। यह परिपाटी है उस परिपाटी का पूरा पालन करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण था पहले इसको सुन लेते। यह आपकी आज्ञा के ऊपर है।

(नेता विरोधी दल, नेता बसपा तथा नेता कांग्रेस के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

हमने पहले यह कहा कि यदि प्रश्नकाल पहले हो जाये, वर्मा जी प्रश्नकाल चाहते हैं, पारस नाथ जी तो बिल्कुल चाहते हैं और नितिन जी का प्रश्न लगा हुआ है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपसे हम लोग बिनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमने पहले ही कहा कि हम आपको रोकने की स्थिति में नहीं हैं, यह परिपाटी है और माननीय नेता विरोधी दल तो जब चाहे तब बोल सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नेता विरोधी दल के अलावा नेता बसपा, नेता कांग्रेस सब लोग खड़े हैं इस मामले में।

श्री अध्यक्ष-

वह तो ठीक है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि जैसे ही यह एजेण्डा बढ़ जाये तो नियम-56 में सबके लगे हैं, उन पर देर तक चर्चा हो, जैसी आपकी इच्छा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं, आपकी जैसी आज्ञा। हमारी तो इच्छा है कि अभी हो जाये लेकिन आपकी आज्ञा जैसी हो।

श्री अध्यक्ष-

हम आपको टोक नहीं सकते रोक नहीं सकते।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

और मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष-

यह बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि सदन यह चाहता है कि प्रश्न पहले हो जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इधर का सदन तो यह नहीं चाहता है।

श्री अध्यक्ष-

सदन तो चाहता है कि प्रश्न हो जाये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है, आपकी आसानी के लिए यह हो गया कि क्वेश्चन आवर के बाद सबसे पहले आप इस मामले को सुन लेंगे उसके बाद जीरो आवर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कोई इसमें विशेष तो लगे नहीं हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अगर आपने इसको प्रतिष्ठा बनाया है कि क्वेश्चन आवर पहले हो जाये, तो क्वेश्चन आवर हो जाये और क्वेश्चन आवर के बाद तत्काल कासगंज वाले पर जो हम लोगों का है 311 में, उसको आप सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपके वाक्य में एक बात कुछ कम मजेदार थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अरे तो वह बात मैंने वापस ले लिया।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा कि हमने प्रतिष्ठा बनाया तो प्रतिष्ठा जो सदन की है उसी में हमारी छोटी सी है और आपकी भी छोटी सी है। हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आदेश को मान लिया, क्वेश्चन आवर के बाद शोक प्रस्ताव के बाद इसको तुरन्त कासगंज की घटना के बारे में सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

जो एजेण्डा में है, वह ठीक नहीं रहेगा।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मान्यवर।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अब इतना आप हम लोगों की मान लीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों को जनता ने यहां पर इसलिए चुनकर भेजा कि.....

श्री अध्यक्ष-

आप इसी विषय पर बतायें नहीं तो लड़ाई हो जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसी विषय पर बता रहे हैं कि ये जनता का पक्ष यहां पर रखेंगे और जनप्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी है लेकिन ये तो यहां से गुब्बारे खेलने लगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आज न गुब्बारे लायें हैं न आलू।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनता ने चुनकर भेजा है जनता का पक्ष रखने के लिए और ये गुब्बारे लेकर आ गये। जो प्रश्नकाल है उसके बाद निधन के निर्देश के बाद जो निर्देश पीठ का होगा हम उसका पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[11:05] प्रश्नोत्तर

जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2017 से अब तक कुल दिये गये पट्टों के सम्बन्ध में

01-श्री अवस्थी बाला प्रसाद (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2017 से अब तक किन-किन व्यक्तियों को किस-किस तहसील में खनन पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार रायल्टी से ज्यादा वसूल रहे खनन माफियाओं की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

वर्ष 2017 से जनपद लखीमपुर खीरी में दीर्घकालीन कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा खनन माफियाओं के सम्बन्ध में खनन प्रक्रिया से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

पट्टे धारक राज्य सरकार को नियमानुसार रायल्टी का भुगतान का उप खनिजों को विक्रय मूल्य (शासकीय देय स्थापना व्यय एवं लाभांश सम्मिलित होता है) पर विक्रय करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय सदस्य अवस्थी बाला प्रसाद के अनुपस्थित रहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मुझे प्रश्न संख्या-1 पर रूचि है।

श्री अध्यक्ष-

सबसे पहले वाला।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, प्रश्न आवर है चूंकि सारे क्वेश्चन समाप्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष जी-

तो उसको दोबारा ओपन करना है, क्या ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जिनका प्रश्न था वह अनुपस्थिति हैं उसमें आपकी रुचि है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं सवाल पूछूं।

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, पहले उत्तर आ जाये।

चूंकि ये लखीमपुर से सम्बन्धित है मैं कुशीनगर जनपद से सम्बन्धित एक सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी के पास कुशीनगर की जानकारी होगी ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं बता रहा हूं, चूंकि 7 दिन से वहां धरना चल रहा है और लोग आज भी धरने पर बैठे हैं। खनन से सम्बन्धित मामला हमारे क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी बात सुन लें। आप उसको अलग से किसी नियम में दे दें तो हम सुन लेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, आप उसको अच्छा न लगे तो खारिज कर दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

हमें तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वह विषय दूसरे जिले का है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, जिलाधिकारी के नाते गलत पट्टा हुआ है। यह सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने लिखकर दिया है। 00 से लेकर 17 कि0मी0 तक बंधा प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। वह संगत नहीं है। कृपया आप बैठें। यह कागज हमें दे दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी जिस तरह से खुदायी हो रही है। मा0 मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह संगत नहीं है। सवाल दूसरा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, डेढ़ लाख लोगों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न में पूछा गया है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2017 से अब तक किन-किन व्यक्तियों को किस-किस तहसील में खनन पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार रायल्टी से ज्यादा वसूल रहे खनन माफियाओं की जांच करायेगी ? यह लखीमपुर खीरी

का प्रश्न है। अधिकारीगण बैठे होंगे मा0 मंत्री जी को ब्रीफ किये होंगे। यह शुद्ध रूप से लखीमपुर खीरी का प्रश्न है। उससे अनुपूरक नहीं बनता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, जनहित से जुड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया। मा0 अध्यक्ष जी, सात दिन से जनता धरने पर बैठी है।

श्री अध्यक्ष-

आप दूसरे जनपद का सवाल पूछ रहे हैं। मैं अनुमति नहीं देता। आप कृपया बैठें।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु जर्जर तारों को बदलवाने विषयक

02-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की कोई कारगर योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)-

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे का रोस्टर लागू है। प्रदेश में जर्जर तारों के बदलने का कार्य बिजनेस प्लान 2017-18 में आच्छादित है जिसके अन्तर्गत अब तक रु0 68.00 करोड़ की कार्य-योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इस जवाब से यह साफ है कि प्रदेश सरकार बिजली के मुद्दे पर कितनी उदासीन है? देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि इन्होंने केवल 68 करोड़ रुपए बिजनेस प्लान में प्रस्तावित किया है। मैं मा0 मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जर्जर तारों को बलदने के लिए आपको कितनी पूँजी की जरूरत है और आपने अपने पिछले बजट में कितनी व्यवस्था की है और कितना खर्च किया है? इसको बता दीजिए।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें 68 करोड़ रुपए का प्रावधान था लेकिन अभी तक 76 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हर साल इसमें बजट का प्रावधान होता है और हम लोग इसमें योजनाबद्ध तरीके से तार बदलने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। प्रतिवर्ष इसके लिए बिजनेस प्लान में पैसा लेते हैं और उसके बाद इस व्यवस्था को हम निचले स्तर पर लागू करते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा जवाब तो आया ही नहीं। मैंने तो यह पूछा था कि यह बता दीजिए कि आपको पूरे प्रदेश में जर्जर तार बदलने के लिए कितनी पूँजी की जरूरत है। आपने अभी तो कुछ बताया ही नहीं कि पूरे प्रदेश में जर्जर तारों को बदलने के लिए आपको कितने पैसे की व्यवस्था करनी है? आप पहले यही बता दीजिए कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है ?

नत्थी (क) तारांकित प्रश्न एक-1 मा0 अजय कुमार 'लल्लू' की रूचि पर तारांकित प्रश्न सं0-07 के उपरान्त लिया गया।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, दिसम्बर, 2019 तक पूरे प्रदेश में जो जर्जर तार हैं क्योंकि लम्बे समय से जर्जर तार बदले नहीं गए हैं। कई जगह 28 साल से नहीं बदले हैं, कहीं 30 साल से, कहीं 24 साल से नहीं बदले गए हैं तो इसको हम हर वर्ष बिजनेस प्लान के तहत जैसा कि मैंने बताया कि 68 करोड़ रुपए पिछले साल का था। इस साल भी इसमें हम कुछ और प्रावधान करेंगे लेकिन हमने लक्ष्य तय किया है और दिसम्बर, 2019 तक इन जर्जर तारों को बदलने की हमारी व्यवस्था है। दूसरा, अभी सौभाग्य के नाते जो हम कैम्प लगा रहे हैं, उन गॉवों में जहॉ कैम्प लगा रहे हैं वहॉ हम घर-घर जाकर कनेक्शन दे रहे हैं। जो गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में दे रहे हैं और जो ए0पी0एल0 हैं उनसे हम केवल 50 रुपए ले रहे है और उनको कनेक्शन दे रहे हैं। (विपक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर) मा0 अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये लोग थोड़ा पेशेन्स रखें। हम लोग जिस गॉव में कैम्प लगा रहे हैं, इसी प्रक्रिया में उस गॉव के जर्जर तारों की जगह हम ए0बी0सी0 केबिल भी लगा रहे हैं जिससे वहॉ व्यवस्था ठीक होगी और चोरी पर भी अंकुश लगेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नितिन जी ने स्पेसिफिक सवाल किया। मैं भी आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। मा0 मंत्री जी ने बताया कि हम 2019 तक जर्जर तार बदलेंगे लेकिन क्या इसका कोई आंकलन किया गया है कि कुल कितने जर्जर तारों को बदलने के लिए कुल कितनी पूँजी या धनराशि की आवश्यकता होगी ? अगर इस बात का आंकलन नहीं किया गया है और उसका बजट में प्रॉविजन नहीं होगा तो केवल घोषणा से तार नहीं बदलेंगे इसलिए आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ? मा0 मंत्री जी केवल इतना ही बता दें।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, इसमें पूरा आंकलन किया गया है। लगभग 5200 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी। हमारा पैसे का जो आंकलन है, हमने जो कमिटमेण्ट किया है तो हमारा निगम कर्ज लेकर उस व्यवस्था को दिसम्बर, 2019 तक पूरा करेगा, हम पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब तो पूरा उत्तर आ गया।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने 5200 करोड़ रुपए में से केवल 68 करोड़ रुपए एक वर्ष में दिए हैं और ये कहते हैं कि हम 2019 तक पूरे प्रदेश के जर्जर तारों को बदल देंगे। मान्यवर, ये इस सदन को और पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस सरकार की प्रदेश की जनता को बिजली देने की नीयत ही नहीं है।

प्रदेश में यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा प्राइवेट अनुबन्ध में संचालित बसों की संख्या एवं बसों से प्राप्त राजस्व का विवरण

03-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा प्राइवेट अनुबन्ध में कितनी स्कैनिया बसें संचालित हैं तथा उनका लोड फैक्टर क्या है ? क्या सरकार यह भी

बतायेगी कि स्कैनिया बस का प्रति किलोमीटर किराया कितना है एवं स्कैनिया बसों से प्रति माह कितने राजस्व का लाभ सरकार को हो रहा है ? क्या सरकार जनहित में इसके प्रति किमी0 किराये में कुछ कमी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, प्रोटोकाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्रदेव सिंह)-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 के मध्य कुल 52 स्कैनियां बसों का संचालन किया गया। उक्त संचालित स्कैनियां बसों का लोड फैक्टर-35 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

प्रति कि0मी0 किराया रु0 2.10 प्रतिसीट प्रति कि0मी0 है, जिस पर कि0मी0 के आधार पर लागू अधिभार के साथ लागू टोल-टैक्स प्रति यात्री आगणित कर कुल धनराशि 5 प्रतिशत जीएसटी निरूपित कर किराये का निर्धारण किया जाता है। अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक कुल आय रु0 3123.87 लाख एवं व्यय रु0 3753.73 लाख रहा है। उक्त अवधि से प्रतिमाह निगम को औसतन रु0 69.98 लाख की हानि हुयी।

वर्तमान में इस हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। माननीय शासन ने खुद ही इस बात को माना है कि उपरोक्त बसों के संचालन से लगभग 70 लाख रूपये की हानि प्रतिवर्ष हो रही है। इसी वित्तीय वर्ष में इन बसों को लगाया गया है। सार्वजनिक हित में सार्वजनिक प्रणाली की व्यवस्था बहुत जर्जर है जिसमें और ज्यादा दूसरी तरह की बसों को लगाने की जरूरत थी। इनका किराया इतना है कि सहारनपुर डिपो में मात्र 5 बसें लगी हैं और उन 5 बसों में सहारनपुर से लखनऊ का जितना किराया है उस बस का है उससे कम किराये में व्यक्ति ट्रेन के ए0सी0 सेकेण्ड में बैठकर आ जाता है और प्रति बस को प्रति महीना 3 लाख का नुकसान हो रहा है और 5 बसों में 15 लाख रूपये महीना केवल सहारनपुर डिपो का नुकसान है। 70 लाख का आंकलन पूरे प्रदेश में 52 बसों का बताने का इन्होंने काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या लोड फैक्टर जो 35 आपने कहा आम तौर पर आम व्यवस्था के अन्तर्गत यदि मानक लोड फैक्टर का 60-70 तय कर दिया जाता है और उस लोड फैक्टर में एक या दो की भी कमी आती है तो निगम उस समय के कन्डेक्टर और ड्राईवर को उसके लिए प्रताड़ित करता है। सजा देने का काम करता है और यहाँ स्वयं की जिम्मेदारी पर 35 प्रतिशत का लोड फैक्टर कम आंकलन करने का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है तो क्या इतने कम प्रतिशत पर इस लोड फैक्टर के साथ उपरोक्त बसों का संचालन आगे जारी रखने की बात करेंगे या कम करने की बात करेंगे। मैंने इसमें दूसरी बात यह पूछी कि क्या आप इसके संचालन के रेट को कम करेंगे। अभी इन्होंने यह जवाब दिया कि इसके रेट को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अभी हाल ही में 15 दिन पहले सहारनपुर से लखनऊ का किराया कुछ कम किया गया परन्तु उस सब के बावजूद भी एक भी राहगीर सहारनपुर से लखनऊ का उपरोक्त बस में नहीं बैठता। टुटवा अलग-अलग हिस्से के कुछ यात्री उसमें परिवहन करते हैं। मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात

पूछना चाहता हूँ कि यह जो लोड फैक्टर 35 प्रतिशत कम है। इसकी जिम्मेदारी शासन किस पर डालने का काम करेगा। दूसरा यह जो प्राइवेट अनुबंध की शर्तों से इन बसों को लगाया गया है इसके लिए क्या प्रोसिजर एडाप्ट किया गया है। क्या ई-टेण्डरिंग से निविदा के माध्यम से किया गया है और उन्हें कितना पेमेण्ट कितने प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जा रहा है ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक संजय भाई का यह प्रश्न है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटा राज्य उत्तराखण्ड है और वहॉ भी लगभग 50-60 बसें चलती हैं, जो आपने सहारनपुर का जिक्र किया है तीन बसें उत्तराखण्ड के मालिक ने उत्तराखण्ड का परमिट का सिस्टम न बनाने के कारण अभी समझौता हुआ है जिसके कारण सहारनपुर से यात्री ज्यादा नहीं मिलते। वोल्वो स्कैनिया इन दोनों को हम यदि मिला लें तो हम प्रॉफिट में हैं, पिछले साल दिसम्बर अंतिम तक 38 करोड़ घाटे में थे लेकिन इन टोटल बसों के संचालन वोल्वो, स्कैनिया, जनरथ आदि यह सब मिलाकर वर्तमान में वह 98 करोड़ के प्रॉफिट में हैं, लेकिन जो वोल्वो घाटे में है इस पर पुनः विचार करके इसका किराया कम किया गया है अभी कम हुआ है थोड़ा लोड फैक्टर सर्दी इत्यादि की वजह से कम हो रहा था इसका लोड फैक्टर अभी बढ़ेगा। मैं तुरन्त बोर्ड की मीटिंग में गया था इस पर विचार करने के लिए गया था कि क्या इसको बंद कर दिया जाए? एक बार बोर्ड की मीटिंग में जाने के बाद एक बार विचार करके देखा है लेकिन आवश्यकता यहाँ पर स्कैनिया वोल्वो की है। वोल्वो प्रॉफिट में है और स्कैनिया भी देखता हूँ इसको भी कुछ दिनों के लिए देखेंगे मुझे लगता है कि यह भी प्रॉफिट में आ जायेगी। लोड फैक्टर, ड्राईवर संचालन के लिए मैंने पिछली बोर्ड की मीटिंग में इसका किराया भी कम किया है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने वोल्वो के ऑकड़ों को स्कैनिया के साथ मिलाकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने आप को बताया है, इसमें सदन को गुमराह कहॉ किया है।

श्री संजय गर्ग-

स्कैनिया बसों का संचालन निगम के ऊपर सफेद हाथी की तरह है। जिसका किसी भी रूप में किराया कम करने के बाद उसमें और ज्यादा नुकसान हो रहा है जो पेमेंट तय किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपका मूल प्रश्न क्या है ?

श्री संजय गर्ग-

मूल प्रश्न यह है कि जो स्कैनिया बसों के आपरेटर को आप पेमेंट कर रहे हैं। जब तक वह कम नहीं होगा तब तक आप किराया कम करने के बावजूद भी उस घाटे को पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिये यह मैंनें पूछा था कि अगर यह सफेद हाथी नुकसान करने का है तो क्या निगम जो खुद

खाता और कमाता है और बिल्कुल नेट टू नेट पर ब्रेकिंग इन प्वाइंट पर है तो क्या इन बसों के संचालन को कम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

बंद करने का तो नहीं लेकिन उन्होंने कहा था कि बोर्ड की बैठक में विचार किया था और आगे फिर बोर्ड की बैठक में विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी आपका क्या कहना है इस पर।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

इसका विचार अभी बोर्ड की मीटिंग में किये हैं और टोटल मिलाकर संजय भाई जो चिंतित हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह परिवहन विभाग से चिंतित न हों। मैं मृतक आश्रित और चालक को भी गारंटी से कहता हूँ कि भ्रष्टाचार को बन्द करने के कारण यह 98 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। संजय भाई बैठ लेंगे, हमारे टी0सी0 और प्रमुख सचिव के साथ भी बैठ लेंगे, यदि कहीं इनको सफेद हाथी लगेगा तो इस पर मैं आश्वासन नहीं दे सकता लेकिन इस पर विचार करेंगे। यात्रियों को जरूरत है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बसों की और लोग मांग भी करते हैं तथा विधायकों की मांग के कारण ही ये बसें लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब संजय जी की मांग पर भी एक-आध बसें चला दीजिये।

प्रदेश में पात्र लोगों को चिन्हित कर पात्र गृहणी एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध कराने विषयक

04-श्री रितेश पाण्डेय तथा श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय के राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ पात्रों को नहीं मिल रहा है और अपात्र लोग पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्ड बनवाकर उसका लाभ ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्रों द्वारा बनवाये गये राशन कार्ड को निरस्त कर पात्र लोगों का चिन्हांकन कर उन्हें पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन राज्य मंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाया जाना एक गतिमान प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में 40,94,500 अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड प्रचलित है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 79.56 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों हेतु 64.43 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार पात्र गृहस्थी के कुल 2,96,23,708 ड्राफ्ट प्रारूप (राशन कार्ड) जारी किये गये हैं, जिससे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में 78.34 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 60.86 प्रतिशत पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों का चयन करते हुए उन्हें राशन कार्ड के ड्राफ्ट प्रारूप पर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित राशन कार्डों का विस्तृत

सत्यापन शासनादेश दिनांक 27-04-2017 एवं दिनांक 20-09-2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कराया गया। फिर भी यदि किसी अपात्र व्यक्ति के पात्रता सूची में सम्मिलित होने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सत्यापनोपरान्त उसे तत्काल विलोपित कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो राशन कार्ड में जो ये धन उगाही का काम हो रहा है यह जगविदित है और इसमें जो सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है प्रधान की और आंगनबाड़ी और सेक्रेटरी की, ये गरीबों की प्रताड़ना करते हैं और इनसे धन उगाही का काम करते हैं और इसके कारण जो गरीब दर-दर की ठोकरे खाने के लिये मजबूर है तो क्या सरकार ने जो यह एक समिति बनाई है जो पूरी तरह से फ्लाप हो चुकी है जो गरीबों को कहीं से भी राशन कार्ड दिलाने में मदद नहीं कर पा रही है, क्या ऐसी कमेटी को सरकार रद्दी की टोकरी में फेंक करके किसी एक नामित एन0जी0ओ0 को या जो कोई एन0जी0ओ0 जो बहुत पापुलर हो, जिसका काम निष्पक्ष हो, उसको एप्वांइट करेगी कि वो राशन कार्ड के लिए पात्र लोगों का चयन करे और फिर उनका वितरण करे। क्या सरकार इस चीज को लागू करेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

किस कमेटी को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कर रहें हैं?

श्री अतुल गर्ग-

हम ग्राम प्रधान को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते, वह चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको हम सम्मान देंगे ही। रही बात शिकायत की तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 30 लाख राशन कार्ड हमने निरस्त किये हैं और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूँ कि 37 लाख राशन कार्ड उन गरीब लोगों के लिए बनाये गये हैं जिनको पुरानी सरकार ने नहीं बनाया था। मान्यवर, इन्हें यह भी पूछना चाहिए कि आखिर ये तीस लाख राशन कार्ड किसके कटे हैं और इनका राशन आखिर कौन खाता था।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री रितेश पाण्डेय-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ, मुझे प्रश्न पूछ लेने दीजिए। मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पेपर की कटिंग है, इसी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जो लोग धनउगाई कर रहे हैं क्या मा0 मंत्री जी इन लोगों को ऐसी समिति से हटाकर किसी एन0जी0ओ0 को नामित करेंगे ताकि इसको सही तरीके से लागू कर सके। मा0 अध्यक्ष जी, यह हमारे पास पेपर की कटिंग है मैं कोई तथ्यों के बिना नहीं बात कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये आपके पीछे मा0 सदस्य खड़े हुए हैं, उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही आसानी से मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य में मात्र दो जिला ले लें एक आपका उन्नाव ले लें और एक हमारा श्रावस्ती ले लें।

श्री अध्यक्ष-

एक रितेश जी का जिला ले लें, जिनका सवाल है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 मंत्री जी विधायक मण्डल की एक टीम बनाकर के केवल दो जिलों में भेज करके देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जायेगा कि वास्तव में रितेश पाण्डेय जी ने जो क्वैश्चन सदन में उठाया है, वह गम्भीर है। आपका जिला इसलिए कह रहा हूँ कि घोर अनियमितताएं हो रही हैं राशनकार्ड बनाने में और गरीब वंचित रह जाता है राशन कार्ड को पाने के लिए इसलिए केवल आपका जिला और जनपद श्रावस्ती ले लें, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। तो क्या मा0 मंत्री जी पॉच सदस्यों की टीम बना करके इन दो जिलों में भेजने का काम करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त गम्भीर सवाल है और प्रदेश की 22 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मामला है, 2007 से लेकर अब तक राशन कार्ड पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है। रोज ऑनलाइन फीडिंग होती है, रोज बदला जाता है किसी का नाम चढ़ता है और किसी का नाम कटता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राशन कार्ड की जो प्रक्रिया है वह कब तक पूरी कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

नये राशन कार्ड की बात कर रहे हैं या राशन कार्ड की प्रक्रिया, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी यह हमारा पहला क्वैश्चन है, हमारा दूसरा क्वैश्चन है क्योंकि यह देश में भी हैं और प्रदेश में भी हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अन्त्योदय राशन कार्ड वही का वही है जिसे 2007 में चयनित किया गया था और उसमें आज तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग आज भी अन्त्योदय कार्ड के पात्र हैं, बहुत सारी विधवाएं हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं तो क्या अन्त्योदय कार्ड बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, विधायक जी ने और सदन के कई मा0 सदस्यों ने जो बात पूछी है, यह मेरे दिल को छूती हुई बात है। सदन के सदस्य महोदय ने कहा कि पॉच जनों की एक कमेटी बना दीजिए। मान्यवर, आप विधायक हैं, मैं विधायक हूँ, हम इस क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि हैं, कोई भी एक विधायक खड़ा हो करके कह दे कि उसने कोई भी एक कार्ड बनाने के लिए संस्तुति की हो, कोई कमी बताई हो और उसमें कार्रवाई न हुई हो तो उसे आप मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये, उत्तर आने दीजिए। माननीय मंत्री जी अजय कुमार लल्लू जी व मूल प्रश्नकर्ता ने जो सवाल पूछा है, इन दो के उत्तर आप दे दीजिए।

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, यह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर गरीबों का काम है इसके अन्दर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक आपके क्षेत्र में एक भी राशनकार्ड का लाभार्थी है तो आप सबके राशनकार्ड बनवायें और सरकार से जो सहयोग होगा, आपके घर पर अधिकारी आयेंगे। आपकी कोई भी शिकायत अगर है तो मैं अभी कार्यालय में बैठा हूँ, अभी बता दें। दूसरी बात, आपने कहा कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जो लाभार्थी हैं उन सबके राशनकार्ड न बन जांय।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर आ गया। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी अब पूछ लें।

श्री अतुल गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, सतत् प्रक्रिया है, यह चलती रहेगी।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि जब तक एक भी लाभार्थी रह जाता है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जो बन रहे हैं, जो पात्र हैं या अपात्र हैं क्या सरकार उन राशनकार्डों के नाम ग्राम पंचायत और नगरपालिका की बैठक में रखेगी ? दूसरा, जो राशन कार्ड किसी गॉव या वार्ड में बने हुए हैं उनकी पट्टिका क्या सरकार कोटेदार, नगरपालिका या ग्राम पंचायत के सम्मुख लगायेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सुझावात्मक है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अध्यक्ष जी, यह मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सजेशन ठीक है लेकिन यह प्रश्न नहीं है।

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, कम्प्यूटर पर, हमारी बेबसाइट पर हर दुकानदार के लाभार्थी का ब्यौरा मौजूद है। यदि कोई कमी रह गयी है तो हम उसका निराकरण तुरन्त करेंगे इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, इसमें तो उत्तर आ गया। मा0 वर्मा जी का और अजय कुमार लल्लू जी का उत्तर आ गया है। अगर 5 लोग एक साथ पूछोगे तो कैसे होगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला गम्भीर है। हम पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कहते हैं। लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जब क्षेत्र में जाते हैं तो सबके सामने यह समस्या आती है कि साहब मैं अत्यन्त गरीब हूँ और हमारा कार्ड नहीं मिला। यह सबके सामने समस्या आती है। वह चाहे मेरी सरकार हो या किसी की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो। अब बहुत दिनों से यह मामला चल भी रहा है, जब हम लोग सरकार में थे तब भी यह मामला उठता था। आप सरकार में आये हैं तब भी उठ रहा है। यह बात सही है कि ग्राम प्रधान चुना हुआ प्रतिनिधि है और हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को हम नकार नहीं सकते लेकिन एक बात सही है कि एक प्रवृत्ति जो इधर बढ़ी है कि जो हमको वोट नहीं दिया तो चाहे गरीब या कितना भी गरीब हो उसका हम राशनकार्ड नहीं बनने देंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर समस्या है। जो वास्तव में गरीब हैं उसका कार्ड नहीं है और जो गरीब नहीं है उसका कार्ड है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो विसंगतियॉं हैं उसको दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठायें, अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर इसकी जाँच कराकर, जिनको राशनकार्ड नहीं मिला है, गरीब हैं, उनको राशनकार्ड दिलवाने की व्यवस्था करेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार पूरी तरीके से जो राशनकार्ड्स की व्यवस्था है उसमें जितनी भी खामियॉं थीं उसमें सुधार करना चाहती है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 30 लाख ऐसे राशनकार्ड्स जो अपात्र थे या गलत तरीके से बने हुए थे मान्यवर उनको निरस्त किया गया है। यह अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि हम उस प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं और सुधार निरन्तर कर रहे हैं। उधर से मान्यवर, यह सवाल आया कि अन्त्योदय कार्ड्स कब तक बनायेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

हमने लक्ष्य पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप सुन लीजिये। लक्ष्य भी है। उसमें अन्त्योदय कार्ड की पात्रता में जो लोग आते होंगें उनके राशन कार्ड मान्यवर, बनायेंगे, आगे भी बनाये जायेंगे। जो लोग राशनकार्ड अन्त्योदय की पात्रता में आयेंगे उनके राशन कार्ड बनाये जायेंगे और आगे भी बनायेंगे और तब तक बनाये जायेंगे जब तक अन्त्योदय के पात्र लोग मिलते रहेंगे। तीसरी बात मान्यवर, जैसा कि नेता विरोधी दल ने चाहा है हम

मैंने कहा कि हम सुधार चाहते हैं मान्यवर और यह उसी प्रक्रिया के तहत है जब किसी के ऊपर आपत्ति की गई, शिकायत आई तो उसको निरस्त किया गया मान्यवर। हम राशन कार्ड बनायेंगें भी और हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ही आगामी 6 महीने में पूरी राशन कार्ड की व्यवस्था को दुरूस्त करना चाहते हैं और लगातार पूरा विभाग इसमें लगा हुआ है।हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह प्रक्रिया पूरी हो और जिस पर भी आपत्ति हो, नाजायज तरीके से कोई राशन कार्ड बना हो तो उसको हम परीक्षण करके निरस्त भी करवायेंगे और आगे राशन कार्ड भी बनवायेंगें। कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे यह सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है। यह हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठें। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश के महानगरों में स्थित रोडवेज बस स्टैण्डों को बहुमंजिला बनाकर शापिंग काम्पलेक्स अथवा विश्राम स्थल बनाने विषयक कार्य-योजना

05-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अंर्तगत महानगरों में स्थित रोड वेज बस स्टैण्डों को बहुमंजिला बनाकर उनमें शापिंग काम्प्लेक्स अथवा विश्राम स्थल बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

प्रदेश के अन्तर्गत बस संचालन की आवश्यकता हेतु महानगरों को सम्मिलित कर 18 बस स्टेशनों का पी0पी0पी0 पद्धति पर निज निवेश की प्राप्ति आधारित विकसित करने का प्रस्ताव है। शासकीय व्यवस्था अनुसार पी0पी0पी0 पद्धति पर बस स्टेशनों के विकास के साथ उपलब्ध जोनिंग रेगुलेशन व बिल्डिंग बायलॉज के अधीन व्यावसायिक निर्माण भी अनुमन्य है।

प्रस्तावित 18 स्थानों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''-

माननीय अध्यक्ष जी, 22 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश है इसमें लगभग 70 प्रतिशत आबादी केवल सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही आधारित है। आज जितने भी बस स्टेशन हैं क्योंकि वहॉ या तो गरीब जनता पहुँचती है, या मिडिल क्लास, या लोवर मिडिल क्लास पहुँचता है। आज उसके पास मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वहॉ पर पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। पिछली सरकार ने कार्यकाल में 5 बस स्टेशनों में जिसमें लखनऊ का आलमबाग,

[†] देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ सं0 92 पर।

बरेली, वाराणसी में दो और अन्य दो को पी0पी0पी मॉडल पर रखा था। मेरा केवल यह सवाल है कि अगर लखनऊ का आलमबाग बस अड्डा जो बन रहा है पी0पी0पी0 मॉडल पर अगर इस पर काम शुरू हो गया और बाकी 4 पर काम भी शुरू नहीं हुआ। टेन्डर भी नहीं हो पाया, न ही इस पर कोई योजना लग रही है। मेरे सिर्फ तीन सवाल हैं कि प्रगति क्या है इस पी0पी0पी0 मॉडल पर जो बस स्टेशन बन रहे हैं। अगर लखनऊ में काम शुरू हो चुका है तो बाकी की जगह क्यों नहीं हो पाया। कब तक गरीब जनता को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगीं। उसकी कोई समयावधि आपने तय करी है। तीसरा प्रश्न यह है कि बजट में क्या कोई प्राविधान है, या यह सिर्फ एक घोषणा है या इस पर कोई बजेटरी प्राविधान है।

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

पी0पी0पी0 मॉडल पर 2016 में सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी की गई। सरकार में कन्सल्टेंट के चयन की प्रक्रिया चल रही है और गाइड लाइन के अनुसार शीघ्र कार्य कराया जायेगा। यह साल भर का गाइडलाइन है। साल भर में पॉच बस स्टेशन जो पहले मैं ले रहा हूँ, जो पहले से सरकार में एक बस स्टेशन का निर्माण हो रहा है और बाकी 16 बस स्टेशन और लिए हैं क्योंकि आने वाला समय में जो यात्री हैं उनको असुविधा न हो बस स्टेशन साफ रहे और मनोरंजन भी कर सकें और रुकने की भी व्यवस्था उसकी हो,प्रक्रिया जारी है यह साल भर की प्रक्रिया है। यह साल भर में पूरी जमीन पर हकीकत आ जाएगी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैंने जो अन्तिम सवाल पूछा कि क्या इसमें कोई बजट का प्राविधान रखा गया है या नहीं रखा गया है इसका भी जवाब दिला दीजिए।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

पी0पी0पी0 पद्धति के आधार पर इसमें सभी जो बड़े-बड़े लोग हैं जो फ्री में स्टेशन बनवा सकते हैं फ्री में अपना मॉल बनवावे चाहे जो बनवावें, लेकिन बस स्टेशन फ्री में बनवावें।हमें अच्छा बस स्टेशन बनवा कर दे दें। इसमें कोई सम्मानित विधायक भी इस श्रेणी में आता है तो नियमानुसार वह भी कर सकता है। बाकी भी कोई पार्टी इसमें नियमानुसार भाग ले सकती है गाइड लाइन के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं।

श्री यासर शाह-

मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यह पी0पी0पी0 मॉडल की बात कर रहे हैं वह 2016 में फार्मूलेट हुई थी गाइड लाइन्स। 2016 से अभी 2018 दो साल हो गए और एक साल आप कह रहे हैं और लगेगा उसके बनने में, जो कानपुर का बस स्टैन्ड बन रहा है जो जमीन कानपुर डैवलपमेंट ऑथोरिटी ने दी है जिस कम्पनी को दी हो आप बेहतर जानते होंगे जो पॉच बस स्टैंड आप कह रहे थे जो बनने थे वह पॉच बस स्टैन्ड भी बजाय पी0पी0पी0 मॉडल के बनने के डैवलपमेंट ऑथोरिटी को बनाने थे ताकि पब्लिक पर प्रेशर न आए। जो रोडवेज की जमीनें हैं इस समय, खासतौर पर महानगरों में वह अरबों और खरबों की जमीनें हैं उनको लाखों के रेट पर अगर पी0पी0पी0 मॉडल बनवा कर देते हैं बिल्डर्स को, तो इसमें बिल्डर्स का फायदा है न कि जनता का। तो

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी जो महानगर जिनकी अपनी-अपनी डैवलपमेंट ऑथोरिटीज हैं, वह डैवलपमेंट ऑथोरिटीज उस बस स्टैन्ड को डैवलप करें और उसका पैसा वह लें ताकि जनता के पास वह वापस आ सके। क्या सरकार ऐसी कोई योजना पर विचार करने का कष्ट करेगी।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव दिया है। प्रश्न मूल क्या है ?

श्री यासर शाह-

प्रश्न यही है कि बजाय पी0पी0पी0 मॉडल के क्या डैवलप ऑथारिटीज को बस स्टैन्ड बनाने का यह प्रयास करवायेंगे या उनको आदेश करेंगे। पी0पी0पी0 मॉडल के अलावा एक तरीका है कि डैवलपमेंट ऑथारिटीज बस स्टैंड को बनायें संचालित करें और चलायें तो क्या डैवलपमेंट ऑथारिटी से कहा गया है बनाने के लिए या पी0पी0पी0 पर ही देंगे।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उसके अनुसार जो बस स्टेशन का निर्माण करा सकते हैं वह करवा सकते हैं लेकिन आज के दौर में यदि प्राथमिकता हमें बस परिवहन को हो क्योंकि परिवहन एक निगम है, पी0पी0पी0 मॉडल 2016 से है लेकिन स0पा0 सरकार आने के बाद एक बस स्टेशन की शुरूवात की थी वह भी पूरा नहीं हुआ है वह भी धीरे-धीरे पूरा हो रहा है।अभी जो बता रहे हैं 2016 सरकार की गाइड लाइन है अलग से व्यवस्था नहीं है यह सरकार की गाइड लाइन है। गाइड लाइन के अनुसार ही उसमें साल भर का है कि साल भर में प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए तो साल भर के पहले प्रक्रिया पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर में 18 स्थानों का विवरण दिया गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री नितिन अग्रवाल-

यासर शाह जी ने जो सवाल किया, महानगर में जो आपके बस स्टैंड हैं उनकी जमीन की कीमत आज के अगर मार्केट रेट से देख ली जाए तो मार्केट रेट से उन जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है।अगर आप पी0पी0पी0 मॉडल में आप किसी बिल्डर को जमीन देंगे तो क्या मार्केट रेट से उसको आप देंगे अगर मार्केट रेट से देंगे, जमीन का जो रेट है और उसको बनाने का जो खर्च है जो आज की वैल्यूएशन है..

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संगत नहीं है।

श्री नितिन अग्रवाल-

जो यह पूछा है उसको बता रहा हूँ। इन्होंने यह पूछा है कि आप जो पी0पी0पी0 मॉडल पर ले जा रहे हैं उन डैवलपमेंट ऑथोरिटीज जो बड़े-बड़े महानगर में हैं आप उनको बनाने की जिम्मेदारी देंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी0पी0पी0 माडल तो हमारी पिछली सरकार लायी थी, इसके अलावा हमने और हमारी सरकार ने

अपने संसाधनों से और सब स्टेशन बनवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मैं उस समय परिवहन मंत्री था। उत्तर प्रदेश में बहुत से सब स्टेशनों को स्वीकृति दी, बसों के लिए स्वीकृति दी थी। आजमगढ़ है, अलीगढ़ है, बेल्थरा रोड है और भी कई जिले हैं। हमारे आजमगढ़ में आज भी बजट के अभाव में कोई बस स्टेशन नहीं बन पाया।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल क्या है? आप तो इस पद पर रह चुके हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जिन बस स्टेशनों की स्वीकृति दी थी, वह अधूरी है। क्या उस पर बजट देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

कौन सा बस स्टेशन?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

आजमगढ़ है, मुबारकपुर है, बेल्थरा रोड है, और बाराबंकी है, कई जगह हैं।

श्री अध्यक्ष-

जितने भी आपने नाम लिये हैं, वह तो मा0 मंत्री जी नोट कर लें। बाकी आप मा0 मंत्री जी को पत्र लिख दीजियेगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न मा0 आर0 के0 वर्मा जी का है।

(इसी मध्य सदस्य श्री मो0 असलम तथा श्री नितिन अग्रवाल के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर।)

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री से सवाल करना चाहेंगे कि पूर्वांचल की 80 प्रतिशत बसें बाराबंकी होकर जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप कह नहीं रहे हैं, यह प्रश्न हो जायेगा यह प्रश्नकाल हैं।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, मैं एक प्रश्न भी करना चाहता हूं और एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्रीमती अराधना जी को बुला लिया है, आप अपना सुझाव लिखकर दे दें। मा0 अराधना जी का अंतिम सवाल।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 मंत्री जी ने बहुत उदारता से कहा है, विधायकों को कोई अगर उसमें चाहता हो, कर ले, मेरा तो अनुरोध है, बहुत उदार हैं मा0 मंत्री जी और सरकार भी बहुत उदार है। मेरा तो

अनुरोध है कि सभी जिलों में एक-एक करके कर दीजिये सभी का फायदा हो जाएगा और ज्यादातर तो उधर बैठे हैं, उनका भी फायदा हो जायेगा।

प्रदेश में खाद्यान की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में देने विषयक

06-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान खाद्य वितरण प्रणाली में लगातार आ रही शिकायतों व अनियमितताओं के दृष्टिगत प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु क्या सरकार डी0बी0टी0 योजना द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

प्रदेश में खाद्यान्न के स्थान पर खाद्य सब्सिडी दिये जाने हेतु डी0बी0टी0 योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद-बागपत के तहसील खेकड़ा तथा शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद-फैजाबाद के अयोध्या फैजाबाद नगर निगम में प्रायोगिक तौर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 श्री आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी के जवाब से सहमत हूं। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। जनपद प्रतापगढ़ में कुछ राशन माफियाओं द्वारा उनको विगत 15 वर्षों से राशन नहीं दिया जा रहा था और मैंने मा0 मंत्री जी को शिकायत दर्ज कराई और उस पर प्रभावी कार्यवाही करायी, जिसकी वजह से आज गरीबों को राशन मिल रहा है, इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देते हुए एक आग्रह करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आग्रह नहीं, सवाल कीजिये वर्मा जी।

डा0 श्री आर0 के0 वर्मा-

अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि जनपद प्रतापगढ़ को भी लाभार्थी डी0बी0टी0 योजना से जोड़ने का कष्ट करें तो बेहतर होगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मुझे पता था कि डाक्टर साहब पहले सवाल करेंगे और जवाब सुनने के बाद बधाई देते हुए कह देंगे कि इससे मैं सहमत हूँ।

श्री अध्यक्ष-

तो आप भी बधाई दे दीजिए और बधाई में कम्पटीशन कर लीजिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सवाल नहीं उठता है। लेकिन आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि राशन प्रणाली में एकदम से भ्रष्टाचार व्याप्त है। सेन्टर से जैसे ही कोटेदार राशन

उठाने जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जो माननीय विधायक जी ने सवाल लगाया है डी0बी0टी0माडल से पैसा खाते में डालने का दो तहसीलों को आपने लिया है कब तक पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे और उसकी आपकी क्या योजना है कब तक आप इसे पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी क्या पूरे प्रदेश के बारे में कोई विचार हो रहा है।

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, इसके अन्दर अभी तक पूरे देश में चण्डीगढ़ माडल और झारखण्ड के अन्दर ही यह प्रक्रिया लागू की गई है और दोनों प्रक्रियाओं में अन्तर भी है। इसके अन्दर कोई त्रुटि न रह जाए क्योंकि एक्सपेरीमेंट के अन्दर अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उससे एक अच्छी योजना को झटका लगता है। इसके अन्दर पूरे डिटेल में काम चल रहा है और लगभग 95 प्रतिशत से अगर एवरेज लगाएं तो हमारा काम पूरा भी हो चुका है। अभी चार तरह की जॉचें उसमें हो रही हैं कोई-कोई जाँच 99 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है कहीं 92 प्रतिशत हो गई है अन्त्योदय की भी जाँच अलग से हो रही है यह सब जाँचें हो रही हैं और बहुत जल्दी ही पूरे सदन का सहयोग लेते हुए इस योजना को हम शुरू कर पाएंगे ऐसी मेरी मंशा है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि डी0बी0टी0योजना के अन्तर्गत दो जनपदों को इन्होंने लिया है और अभी पूरे प्रदेश में इसलिए नहीं लागू कर पाऊँगा क्योंकि हमारा दोनों जगहों पर एक्सपेरीमेट चल रहा है अगर कोई खामियां या अच्छाइयॉ होंगी तो जाँच के द्वारा हम उसको देख लेंगे तो माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आपने कहा कि 95 प्रतिशत हमने जाँच कराया उस जाँच में क्या रिपोर्ट आई ।

श्री अतुल गर्ग-

इसके अन्दर आधार फीडिंग जो अयोध्या, फैजाबाद नगर निगम के अन्दर हुई है वह हमारी अन्त्योदय की 100 प्रतिशत हो गई है और बागपत तहसील के अन्दर 99.87 प्रतिशत हो गई है इसी तरह की जो फीडिंग है उसका कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

आपने जाँच शब्द का जो प्रयोग किया है कि 95 प्रतिशत जाँच किया ।

श्री अतुल गर्ग-

इसे सत्यापन मान लीजिए अगर मैंने जाँच शब्द का प्रयोग किया है। मैं सत्यापन की तरफ ले जाना चाहता हूँ और सत्यापन का सीधा सम्बन्ध बैंक से और लाभार्थी के खाते के बीच का सम्बन्ध है। इसे अन्दर बहुत डिटेल में काम चल रहा है अभी डेट तय नहीं हुई है। यह पायलट प्रोजक्ट है।

श्री मनोज कुमार पारस-

अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसे पूरा सदन जानता है कि जो राशन वितरण प्रणाली है जब तक कार्ड सही नहीं बन पाएंगे तब तक यह सही से नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष-

यह राशन कार्ड बनाने का सवाल नहीं है।

श्री मनोज कुमार पारस-

इसके पहले राशन कार्ड बनाने के सम्बन्ध में बात चल रही थी उसमें भी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता था कि जब राशनकार्ड हमारे सही रूप से बन जाएंगे तो निश्चित रूप से वितरण भी सही रूप से होने लग जाएगा। लेकिन आपकी जो वेबसाइट्स है वह अक्सर बन्द रहती है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या आप उनके लिए आवेदन वगैर वेबसाइट के ले लेंगे जिससे उनके राशनकार्ड बन सकें और वितरण प्रणाली ठीक हो सके। अभी केवल वेबसाइट के माध्यम से ही वह आवेदन कर पाएंगे जो पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह पूछ रहे हैं कि क्या आप वेबसाईट के अलावा भी प्रार्थना-पत्र लेंगे ?

श्री अतुल गर्ग-

मान्यवर, वेबसाईट के बिना राशन कार्ड लेने की मनाही नहीं है। यह बात दूसरी है कि जो राशन मिलता है वह कम्प्यूटरीकृत फीडिंग होने के बाद ही मिलता है, लेकिन अगर कोई आवेदन मिलता है वह आवेदन बिना वेबसाईट के भी दिया जा सकता है।

(इसी मध्य सदस्य श्री यासर शाह तथा मा0 सदस्य, श्री मो0 असलम राईनी के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब दो मा0 सदस्य खड़े हैं, पहले कौन बोलेगा ?

श्री यासर शाह-

मान्यवर, पहले मैं खड़ा हुआ था, लेकिन आपने हमें बैठा दिया। हमनें तुरन्त आपकी आज्ञा मान ली। हम उम्र में भी मा0 सदस्य से छोटे हैं, इसलिये आप इनको बैठने के लिये कह दें।

श्री अध्यक्ष-

राईनी जी, यह कह रहे हैं कि यह उम्र में आपसे छोटे हैं इसलिये हम आपको बैठने के लिये कह दें।

श्री मोहम्मद असलम "राईनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, ठीक है। पहले मा0 सदस्य बोल लें।

श्री यासर शाह-

मान्यवर, मेरा मा0 मंत्री जी से छोटा सा आग्रह है। आपने कहा कि आप 04 बिन्दुओं पर सत्यापन कर रहे हैं। हम सभी के लिये यह बहुत अच्छा रहेगा कि हम सभी वह 04 बिन्दु जान जाएं, क्योंकि जैसा फैजाबाद और अयोध्या में हो रहा है वैसा ही हमारे यहाँ पर भी एक दिन होगा, जैसाकि सरकार की मंशा है। इसलिये आप कृपा करके वह 04 बिन्दु बता दें जिन पर आप सत्यापन करवाने

जा रहे हैं ताकि हम जनता के बीच में जाकर बता सकें कि इन बिंदुओं पर सत्यापन होगा और हम लोग सभी तैयारियॉं करके रखें।

[सदस्य, श्री मोहम्मद असलम ''राईनी'' (एडवोकेट) के अपनी बात कहने के लिये खड़े होने पर]

श्री यासर शाह-

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

सबका उत्तर एक साथ आ जायेगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राईनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यही कहना चाहता हूँ कि केवल मा0 अध्यक्ष जी के जिले और हमारे जिले में पॉंच टीमें बना दीजिये कि इसमें कितनी अनियमितताएं हैं, कितना गलत हो रहा है और केवल दो जिलों का आंकड़ा आपके पटल पर आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

वह हमारा जिला लेने को तैयार नहीं हैं। मा0 मंत्री जी ने कहा कि एक प्रयोग चल रहा है, उसका लगातार अध्ययन हो रहा है, उसका विवरण तैयार किया जा रहा है और उस प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी, यह उत्तर आ गया है।

श्री यासर शाह-

मान्यवर, हमनें 04 बिन्दु पूछे थे जिन पर सत्यापन होना है। अगर मा0 मंत्री जी वह बता देंगे तो हम सभी मा0 विधायक अपने-अपने क्षेत्र में जाकर बता सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका मूल प्रश्न क्या है?

श्री यासर शाह-

मान्यवर, मूल बात यह है कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि 04 बिंदुओं पर सत्यापन कर रहे हैं जिसमें कुछ में 99 परसेंट पूरा हो गया है, कुछ में 92 परसेंट पूरा हो गया है तो कृपा करके वह चारों बिंदु बता दें तो हम अपने क्षेत्र में जाकर जनता को वह बिंदु बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अभी आपके क्षेत्र में वह नहीं हो रहा है।

श्री यासर शाह-

मा0 अध्यक्ष जी, देर-सेर वह पूरे प्रदेश में होगा। इसलिये मा0 मंत्री जी वह 04 बिंदु बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, डी0बी0टी0 योजना के अन्तर्गत जो चयन किये गये हैं तो मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह सवाल है कि भारत सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा योजना पास की है, अगर हम

उसके खाते में केवल सब्सिडी के तौर पर देंगे तो वह खाद्यान्न पहले तो ले नहीं पायेगा तो इससे जो पात्र व्यक्ति है उसका नुकसान होगा। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या वह इस पर विचार करेंगे कि जो व्यक्ति पात्र है वह पहले राशन खरीदेगा तब आप सब्सिडी देंगे। इसलिये राशन कार्ड की जो अनियमितताएं हैं उनको तो खत्म किया जाए, लेकिन राशन देने की प्रक्रिया जारी रखी जाए जिससे कि किसी गरीब को भूखा न सोना पड़े। मा0 मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, इस पर मा0 मंत्री जी ने बताया है कि हम एक योजना जनपद फैजाबाद में प्रयोग के तौर पर चला रहे हैं और उस पर स्टडी कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लेकिन इस प्रयोग में वह पात्र व्यक्ति जिसको वास्तव में राशन की जरूरत है अगर उसका पैसा चला जाए तो वह राशन कहॉ से खरीदेगा, उसको तो महंगा राशन मिलेगा और इससे खाद्य सुरक्षा की जो नीति है वह फेल हो जायेगी। इसलिये इसमें अनियमितता दूर करने की जरूरत है न कि उसको इस तरह की सब्सिडी देने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर आपका प्रश्न क्या बना ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये इस योजना के बदले केवल अनियमितताएं दूर करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि यह योजना बंद करने की जरूरत है और अनियमिततायें दूर करने की जरूरत है। इस योजना में प्रयोग के तौर पर यही देखा जा रहा है कि कहां-कहां पर अनियमिततायें हैं, कहां-कहां पर छिद्र हैं, कहां पर गड़बड़ियॉ हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी पूरे सदन को आश्वस्त किया था कि यह सरकार पूरे तरीके से राशन प्रणाली में सुधार चाहती है और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक माननीय वर्मा जी ने जो आशंका व्यक्त की है उस संबंध में प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि प्रायोगिक तौर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें केवल सैम्पुल तरीके से दो स्थान चयनित करके निष्कर्ष आने के बाद निर्णय लिया जायेगा। माननीय वर्मा जी ने जो आशंका व्यक्त की है हम पुनः आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी पात्र लाभार्थी के हितों की कीमत पर इस प्रकार की प्रक्रिया लागू नहीं की जायेगी।

(श्री यासर शाह, हाजी इरफान सोलंकी, श्री रितेश पाण्डेय द्वारा एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है। कृपया आप सब लोग बैठ जाईये।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है कि सत्यापन का आधार क्या है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते समय सदन में जो चार आधार होने का जिक्र किया है माननीय सदस्य वहीं जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी केवल चार आधार बता दें। माननीय सदस्य दो बार खड़े होकर पूछ चुके हैं और अब तीसरी बार खड़े हुये हैं कि सत्यापन के जो चार बिन्दु हैं केवल माननीय मंत्री जी उन बिन्दुओं को बता दें। अब अगर माननीय मंत्री जी इतना नहीं बता पायेंगे तो फिर प्रश्न पूछने का फायदा ही क्या है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी सत्यापन कराते समय कोई चार आधार आपने बताये थे। क्या आप इन्हें स्पष्ट करेंगे।

श्री अतुल गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता देता हूँ। लाभार्थियों के राशन कार्ड का पूर्ण डिजिटलाईजेशन एवं डि-डिप्लीकेशन, राशन कार्ड के डाटा बैंक में शत-प्रतिशत बैंक खातों एवं आधार कार्ड की फीडिंग, सत्यापन तथा प्रमाणीकरण, लाभार्थी के बैंक खाते में आधार संख्या की फीडिंग कराना, राशन कार्ड डाटा बेस में लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर की प्रोसीडिंग कराना, यदि मोबाईल है तो।

श्री यासर शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने अभी भी नहीं दिया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री सत्यापन की प्रक्रिया बता रहे हैं, जबकि हमें उत्तर सत्यापन के आधार पर चाहिये। सही उत्तर अभी भी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रदेश में श्रम विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गए मकानों को आवंटित करने की मांग

07-श्री अजीत पाल त्यागी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा बनाये गए लाल/पीले क्वार्टर के विषय में सरकार की क्या योजना हैं ? क्या इन मकानों को उनमें रहने वाले निवासियों को ही आवंटित करने की कोई योजना हैं, जिससे विभाग को भी अपनी सम्पत्ति की देख-रेख या उसका मूल्य मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत लोहियानगर, गाजियाबाद में 792 औद्योगिक श्रमिक आवासों का निर्माण कराया गया। गृह लाल रंग से रंगें होने के कारण लाल क्वार्टर के नाम से जाने जाते है।

उक्त क्वार्टर के नजदीक लोहिया नगर, गाजियाबाद में ही अन्य औद्योगिक नगर बस्ती में 656 गृहों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया जो पीले रंग से रंगें होने के कारण पीले क्वार्टर के नाम से जाने जाते हैं। उक्त पीले गृहों का स्थानान्तरण लोक निर्माण विभाग द्वारा श्रम विभाग को नहीं किया गया है।

भारत सरकार के शासनादेश संख्या-एन0-14024/17/77-एच0-1, दिनांक 09-02-1978 में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में श्रमिक कालोनियों को उनमें निवास कर रहे अध्यासियों को उनका मालिकाना हक प्रदान किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-2788/36-4-94-16/1992, दिनांक 24-09-1994, पत्र संख्या-515/36-4-95-16/1992, दिनांक 21-02-1995 एवं पत्र संख्या-41सी0एम0/36-4-95-16/1992, दिनांक 06-12-1995 निर्गत किए गए थे, परन्तु मूल आवंटियों द्वारा रूचि न किए जाने के कारण भवनों का स्थानान्तरण नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार।

श्री अजीत पाल त्यागी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सन् 1995 का जो शासनादेश था क्या वह वर्तमान में भी लागू है? अगर लागू है तो क्या अध्यासियों को मकान का मालिकाना हक देने का काम सरकार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिन शासनादेशों का मैंने उल्लेख किया उसके अन्तर्गत भारत सरकार का निर्देश था कि यदि अध्यासी उसमें आंकलित मूल्य का 175 प्रतिशत जमा करके मालिकाना हक लेना चाहता है तो उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। मान्यवर, इस पर अध्यासियों से बात की गयी और कोई भी आंकलित मूल्य का 175 प्रतिशत जमा करने के लिए राजी नहीं हुआ। मान्यवर, जहां-जहां पर आवास समिति कालोनियां हैं उन सभी शहरों में इस प्रकार की बातें की गयीं। जब अध्यासी तैयार नहीं हुए तब इस प्रकरण को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, अंत में यह प्रकरण सदन की आश्वासन समिति को गया और आश्वासन समिति ने इसमें निर्देश दिया कि किसी भी अध्यासी को निष्कासित न किया जाए बल्कि उनको मालिकाना हक देने के लिए इस पर कोई उचित निर्णय लिया जाए। मान्यवर, आश्वासन समिति के इस निर्देश के बाद सर्वे कराया गया कि इस प्रकार के कितने अध्यासी हैं ? सर्वे के बाद इस पर सरकार ने रणनीति तय की है कि जिन-जिन जिलों में समिति कालोनियां हैं वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर लिया जाए और आपसी विचार-विमर्श से जो नीति तय हो और उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए। मान्यवर, अभी-अभी सर्वे पूरा हुआ है और सर्वे पूरा होने के बाद अब सत्र के बाद सम्बंधित जिलों के विधायकों से बात करके इस पर कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन शासनादेशों का आपने हवाला दिया है उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा लगा हुआ था। मान्यवर, जिस शासनादेश के तहत 175 प्रतिशत ज्यादा मूल्य पर मकान देने हैं उसमें आप जब तक केंद्र सरकार से बात नहीं करेंगे और जब तक उन शासनादेशों का संशोधन केंद्र सरकार नहीं करेगी तब तक क्या प्रदेश सरकार अकेले जनप्रतिनिधियों के

साथ बात करने में सक्षम है और क्या यह प्रभावी रूप से इसको क्रियान्वित कर सकेंगे? मान्यवर, मेरा मा0 मंत्री जी से सिर्फ दो प्रश्न हैं। एक इलाहाबाद में नैनी स्थित लेबर कालोनी है वहां के अध्यासियों की भी यही समस्या है जो कि मूल प्रश्न में उठाया गया है। क्या वास्तविक सर्किल रेट पर जो उस सर्किल का रेट है उस पर उन अध्यासियों को मकान देने की व्यवस्था करेगी ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या बिना केंद्र सरकार आदेशों के संशोधन में उ0प्र0 सरकार उन मकानों को अध्यासियों को देने के लिए सक्षम है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस पर पहले ही नीति तय हो गयी है कि भारत सरकार के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में 21 फरवरी, 1995 को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में निर्मित भवनों की बिक्री आदि के सम्बंध में प्रक्रिया के निर्धारण की बात थी और यह निर्धारण हो चुका है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मा0 विधायकों के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय किया जाएगा। मान्यवर, उसमें अवैध अध्यासन ज्यादा हैं और वैध अध्यासन कम हैं।

मान्यवर, निष्कासन के लिए आश्वासन समिति की राय है कि निष्कासित न किया जाए तो आश्वासन समिति के भी दिये गये निर्देशों का पालन करना, साथ-ही-साथ भारत सरकार के भी निर्देशों का पालन करना है और इसके साथ-ही-साथ जो वैध अध्यासी हैं और जो अवैध अध्यासी हैं इन दोनों के लिए कार्य-नीति तय नहीं कर सकते, उनके लिए कार्य-नीति तय करनी है और उनके लिए कार्य-नीति तय करनी है। यह चूंकि जनप्रतिनिधियों से भी संबंधित मामले हैं। अगर सरकार अपने तौर-तरीकों से कोई एकायक निर्णय लेती है तो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि अपने-अपने जिलों के श्रमिकों के साथ खड़े हो जायेंगे, जो वहां पर अवैध अध्यासी है अवैध अधिशाषी हैं, इसलिए मैं सबकी राय लेकर के सबकी सहमति से इस पर कोई निर्णय लेना चाहता हूं, जिससे कि इस पर किसी भी प्रकार का माननीय सदस्यों के अंदर मन-मुटाव न हो और मान्यवर यह प्रकरण आज का नहीं है यह प्रकरण बहुत पुराना है। हमारे जो माननीय सदस्यगण इस पर जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर वही इसके प्रति गंभीर होते तो आज यह प्रश्न यहां उपस्थित ही नहीं होता उस सरकार में यह हल हो गया होता, लेकिन ऐसे ही सरकारों के बदौलत तमाम अवांछनीय तत्व अवैध अध्यासी के रूप में उसमें घुस गये हैं, और उनकों सरकार का संरक्षण था। इसीलिए मान्यवर मैं चाहता हूं कि 'सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे' उसका निर्णय भी किया जाये और सबकी सहमति भी हो। इसीलिए मान्यवर, मैंने जनप्रतिनिधियों के साथ बात करने का निर्णय लिया है (सत्तापक्ष की ओर से मेंजों की थपथपाहट)।

श्री अध्यक्ष-

आपकी जनप्रतिनिधियों से जो आपकी वार्ता होगी, वो सबकी एक साथ होगी कि जिले-जिले में वार्ता होगी, अलग-अलग।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बेहतर तो ये होगा सबको एक साथ बैठाएंगे। सभी एक साथ बैठेंगे, ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

तो अब तो ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर पहले तो सबको एक साथ बिठाएंगे और यदि उसमें जनप्रतिनिधि कहेंगे कि हमारे जिले की अलग बैठक की जाये तो भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी तो हर बात के लिए तैयार है तो अजय जी आप क्यों खड़े है ?

प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में ओवरलोडिंग समाप्त होने बाद मौरंग व बालू परिवहन के लिए प्रपत्र एम0एम0 11 जारी किये जाने विषयक जानकारी

01-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ओवरलोडिंग समाप्त होने के बाद छः चक्का ट्रक, दस चक्का ट्रक, 12 चक्का ट्रक तथा ट्रैक्टर के लिए मौरंग, बालू की घनमीटर में मात्रा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या उसका विवरण देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि माह जून, 2017 में प्रदेश के जिलों में मौरंग व बालू परिवहन के लिए प्रपत्र एम0एम0 11 एक समान मात्रा में जारी किये गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन जिलों में कम मात्रा में प्रपत्र एम0एम0 11 जारी किये गये हैं वहां हुए राजस्व क्षति की पूर्ति कैसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खनिज परिहार धारकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप एम0एम0-11 की आपूर्ति जिलाधिकारी, कार्यालय से की जाती है। परिहार धारक द्वारा क्षेत्र से निकासी के समय वाहन में लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप एम0एम0-11 में मात्रा अंकित कर निर्गत की जाती हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक जानकारी

02-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को बहराइच में सम्पन्न हुई जिला विद्युत समिति की बैठक में पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने से सम्बन्धित पत्र अधिशाषी अभियंता (विद्युत) बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों का विद्युतीकरण कराया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः- तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्न संख्या-1 लेने के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

मा0 सदस्य द्वारा 165 मजरों के विद्युतीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची के आठ मजरे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) में चयनित है एवं उक्त मजरों के विद्युतीकरण का कार्य माह दिसम्बर, 2018 तक किया जाना लक्षित है तथा अवशेष 157 मजरें वर्तमान में किसी भी योजना में चयनित नहीं है। अवशेष मजरों का पावर फार ऑल योजना के अन्तर्गत सर्वे कराया जा रहा है। योजना के प्रभावी होने पर माह मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण का कार्यपूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम देहरा में जर्जर विद्युत तार टूटने की घटना के सम्बन्ध में

03-श्री असलम अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम देहरा में विद्युत तार जर्जर होने की वजह से गांव में आये दिन तार टूटने की घटना होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में जर्जर तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

अतिभारिता की स्थिति में तारों के टूटने की घटना यदा-कदा होती है लेकिन सूचना मिलते ही उसे तत्परता से ठीक करवा दिया जाता है। ग्राम-देहरा, विकास खण्ड-धौलाना, जिला-हापुड़ में गत माह दिनांक 21-01-2018 की रात्रि 20:30 बजे तार टूटा था, जिसे दिनांक 22-01-2018 की सुबह 11:30 बजे ठीक करा दिया गया था तथा उल्लिखित गांव में तार टूटने के कारण किसी भी दुर्घटना की सूचना संज्ञान में नहीं आयी है।

जी हां।

ग्राम-देहरा, विकास खण्ड-धौलाना, जिला-हापुड़ में परिवर्तक व लाइनों के कार्यों हेतु प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत पैकेज की स्वीकृति (वित्तीय लिकेज) हो चुकी है। उक्त पैकेज से सम्बन्धित कार्य ई0-निविदा के माध्यम से माह मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मानक के विपरीत लग रहे विद्युत पोल ट्रान्सफारमर आदि उपकरणों के सम्बन्ध में दिये गये पत्र संख्या-क-6/067726, दिनांक 24-07-2017 पर कार्यवाही हेतु

04-श्री दयाराम चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में मानक के विपरीत लग रहे विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर आदि उपकरणों की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-6/067726 दिनांक 24-07-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिये जमा की जाने वाली जमानत धनराशि पर ब्याज दिये जाने की जानकारी

05-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए जमा की जाने वाली जमानत धनराशि पर ब्याज दिये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उपभोक्ताओं को कितना ब्याज दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उ0प्र0 विद्युत संहिता-2005 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू बिल चक्र के अनुसार अप्रैल या मई या जून मास में उपभोक्ता के बिल में जमा द्वारा बैंक दर पर, जैसा कि 1 अप्रैल को है, प्रतिभूति विशेष पर ब्याज का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। आर0बी0आई0 की वेबसाइट के साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु ब्याज क्रमशः 7.75 प्रतिशत एवं 6.75 की दर से देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में सहारनपुर में वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाने की मांग

06-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली व सहारनपुर में अप्रैल, 2017 से दिनांक 29-01-2018 तक बुग्गी, ट्राली व ऐसे वाहन जिनकी टेल लाइट सही काम नहीं कर रही थी से टकराकर कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा इसी अवधि के बीच दोनों जनपदों में टेल लाइट सही ना होने के कारण कुल कितने वाहनों का चालान किया गया है ? क्या सरकार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत रात के समय वाहनों को उचित दूरी से दूसरे वाहन का पता चले इस हेतु बुग्गी व ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जनपद शामली व सहारनपुर में अप्रैल, 2017 से दिनांक 29-01-2018 तक बुग्गी, ट्राली व ऐसे वाहन जिनकी टेल लाइट सही काम नहीं कर रही हैं उन वाहनों से दुर्घटनाओं की संख्या शून्य है।

टेल लाइट सही न होने के कारण जनपद सहारनपुर में 92 वाहनों से रु0 9700/- तथा शामली में 67 वाहनों से रु0 6700/- प्रशमन शुल्क के रूप में वसूला गया है।

बुग्गी ग्रामीण क्षेत्र में भैंसे अथवा घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली होती है। इसका प्रयोग किसानों द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु किया जाता है। ऐसा वाहन मोटर वाहन की परिभाषा में नहीं आता है इसलिये उक्त पर मोटर कानून लागू नहीं होता है।

ट्राली के पंजीयन हेतु परिवहन आयुक्त मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 03-08-2000 से दिये गये मानकों के अन्तर्गत प्रदेश के सभी पंजीयन अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है और इन पर पंजीयन एवं फिटनेस के समय रिफ्लेक्टर भी लगाया जाता है। ऐसा किया जाना केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुनकरों को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित विभागीय फीस की जानकारी

07-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजीकृत पावरलूम बुनकरों को नया विद्युत संयोजन लेने हेतु कितनी धनराशि विभाग के खाते में जमा करानी पड़ेगी तथा मासिक बिलों में उसे किस दर पर व्यय की गई विद्युत का भुगतान करना पड़ेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पंजीकृत पावरलूम बुनकरों को तथा विद्युत संयोजन लेने हेतु निम्नवत् धनराशि वर्ष 2006 के शासनादेश अनुसार विभाग के खाते में जमा करना होगा। प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि रु0 200.00 अश्व शक्ति।

सिस्टम लोडिंग चार्ज की दरें-

भार	सिस्टम लोडिंग चार्ज की दर
1-25 के0वी0ए0 तक	रु0 150.00/के0वी0ए0 अथवा उसका अंश
2-25 के0वी0ए0 से अधिक एवं 50 के0वी0ए0 तक	रु0 400.00/के0वी0ए0 अथवा उसका अंश
3-50 के0वी0ए0 से अधिक एवं 150 के0वी0ए0 तक	रु0 800.00/के0वी0ए0 अथवा उसका अंश

केबिल बुनकरों द्वारा उलब्ध कराया जायेगा जिसे नये कनेक्शन के खर्च में शामिल नहीं किया जायेगा। नये मीटर का खर्च बुनकर से नहीं लिये जाने का प्राविधान है।

बिलों के भुगतान हेतु निर्धारित मासिक दरें-

शहरी क्षेत्रों हेतु	60'' तक रोड स्पेस (कंघी) के लूमों के लिए रु0 65.00 प्रतिलूम एवं यह माना जायेगा कि लूम का भार 0.5 अश्व शक्ति है। 60'' से अधिक रीड स्पेश (कंघी) के लूमों के लिए रु0 130.00 प्रतिलूम एवं यह माना जायेगा कि लूम का भार 01 अश्व शक्ति है।
ग्रामीण क्षेत्रों हेतु	60'' तक रीड स्पेश के लूमों के लिए रु0 37.50 प्रतिलूम एवं 60'' अधिक रीड स्पेश (कंघी) के लूमों के लिए 75.00 रु0/अश्व शक्ति

लूमों पर सहयोगी प्रकाश व्यवस्था एवं पंखा अनुमन्य होगा, जिसे कुल भार का 10 प्रतिशत आंकलित किया जायेगा एवं बुनकरों के बिल में 10 प्रतिशत धनराशि जोड़ दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ को जाम से मुक्ति दिलवाने हेतु बस/टैम्पो स्टापेज बनवाने विषयक

08-श्रीमती जय देवी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु पूर्व की भांति बस/टैम्पो स्टापेज बनाए जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-117 में वाहनों के पार्किंग स्थल और विराम स्थल की व्यवस्था हेतु दिये गये अधिकार के तहत उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम-195 में की गयी व्यवस्था के अनुसार स्टैंड एवं विराम स्थल की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत है।

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर वाहनों के पार्किंग स्थल और विराम स्थल की व्यवस्था कराने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जेल नियम संग्रह नियमावल, 2014 के अन्तर्गत जेल वार्डन सम्वर्ग को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

09-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में उ0प्र0 जेल नियम संग्रह (संशोधन) नियमावली-2014 के प्रस्तर-1296 स्तम्भ-2(क) के अन्तर्गत जेल वार्डन सम्वर्ग को कतिपय सुविधाएं जैसे-खाकी जाकेट आदि तथा प्रस्तर-1293 स्तम्भ-2(ख) के अनुरूप वर्दी भत्ता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 जेल नियम संग्रह (संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रस्तर-1296 स्तम्भ-2 (क) के अन्तर्गत निम्न वस्तुएं निःशुल्क दिये जाने का प्राविधान है :--

क्र0	वस्तु का नाम	मात्रा	अवधि
1	बरसाती कोट	एक	05 वर्ष
2	खाकी जैकेट	एक	05 वर्ष
3	पैकलेटस	एक	03 वर्ष
4	छाता	एक	03 वर्ष
5	लोहे का बक्सा	एक	सेवा में एक बार

प्रस्तर-1283 स्तम्भ-2(ख) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-141/2015/481/22-4-15-80(2)/2000, दिनांक 20-07-2015 द्वारा बंदीरक्षक सवर्ग के कर्मिकों को वर्दी के स्थान पर रु0 4800/- भर्ती के समय एवं रु0 1800/- प्रतिवर्ष वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। तदनुसार अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित नियुक्तियों सम्बन्धी विज्ञापनों एवं परिणामों की सूचना हेतु एकीकृत वेब पोर्टल की मांग

10-श्री आशीष कुमार सिंह "आशू"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के 1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-132 के उत्तर के क्रम में क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित नियुक्तियों सम्बन्धी विज्ञापनों एवं परिणामों की सूचना हेतु एकीकृत वेब पोर्टल का यू0 आर0 एल0 एड्रेस क्या है ? क्या इस एकीकृत वेब पोर्टल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भरित पोषित सभी नियुक्तियों (नियमित, संविदा इत्यादि) के लिये जारी विज्ञापनों एवं परिणामों की सूचना उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सेवायोजन विभाग के वेब पोर्टल यू0आर0एल0एडेस-sewayojan.up,nic.in है।

विभिन्न विभागों से रिक्तियों एवं परिणामों की सूचना प्राप्त होने पर सेवायोजन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रति सेवायोजन पोर्टल पर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की कुल 89439 पदों हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जेलों में बन्द 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा कैदियों को रिहा करने एवं जनपद गोण्डा में बन्द कैदियों के विवरण की मांग

11-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जेलों में 70 वर्ष की उम्र से जयादा के बन्द कैदियों को रिहा करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि गोण्डा जिले के कितने कैदी इस उम्र के किस-किस जेल में बन्दी हैं ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई, अन्य बन्दियों की भांति यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेंस, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल-198ए के अन्तर्गत नामिनल रोल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल-195, 196 व 197 के अन्तर्गत इन्फर्मिटी रोल तथा संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर, किये जाने की व्यवस्था/प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के 70 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में 15, जिला कारागार सिद्धार्थनगर में 10 एवं जिला कारागार गोण्डा में 20 बन्दी बन्द हैं।

प्रदेश एवं जनपद गोण्डा में खाद्य एवं रसद विभाग में कार्यरत लिपिक एवं निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

12-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत कार्यरत लिपिक एवं खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या गोण्डा

जनपद में कतिपय श्रमिकों द्वारा एक ही स्थान पर कार्यरत रह कर अकूत सम्पत्ति अर्जित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की सम्पत्ति की जांच कराकर उन्हें मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2/2017/1/3/96-का-4-2017, दिनांक 03 मई, 2017 द्वारा वर्ष 2017-18 की स्थानान्तरण नीति जारी की गयी है, जो खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों पर प्रभावी है।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में पात्र गृहणी योजना के अन्तर्गत पात्रों को राशन कार्ड दिये जाने की मांग

13-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत चयनित पात्र लोगों के स्थान पर अपात्रों को खाद्य सामग्री दिये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार फीडिंग कराकर पात्रों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। अपात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं कराया जा रहा है। फिर भी यदि किसी अपात्र व्यक्ति के पात्रता सूची में सम्मिलित होने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सत्यापनोपरान्त उसे तत्काल विलोपित कराया जाता है। वर्तमान में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों के नम्बर संकलित कर आधार फीडिंग करायी जा रही है, जिसे दिनांक 31-03-2018 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में परिवहन विभाग में सेवाकाल में मृत राजकीय कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्रांक-230(जी)ए/2016-134ए/2008, दिनांक 29-09-2016 पर कार्यवाही

14-श्री राम नरेश रावत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय पत्रांक-260 (जी)ए/2016-134ए/ 2008, दिनांक 29 अगस्त, 2016 का पत्र सेवाकाल में मृत राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्रदेव सिंह-

जी हां।

परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 29-08-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग नें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 15-12-2016 में निहित प्रारूपों के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया, जिस पर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 से संशोधित सूचना मांगे जाने पर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 18-12-2017 को निर्धारित प्रपत्रों पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से रु0 1,42,200/- की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा संस्तुति करते हुए उ0प्र0 अनुकम्पा निधि समिति के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के लिये प्रकरण दिनांक 25-01-2018 को वित्त विभाग को सन्दर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:11] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस आदरणीय सदन को इस आदरणीय सदन के वरिष्ठ रहे कुछ मा0 सदस्यों के निधन की सूचना देनी है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य मा0 श्री शिवमंगल सिंह जी का 22 नवम्बर, 2017 को निधन हो गया। उनका जन्म जिला मैनपुरी में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वह साधन सहकारी समिति के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, न्याय पंचायत के सरपंच और ग्राम सभा के प्रधान रहे। स्थानीय स्तर की राजनीति शुरू करते हुये उन्होंने इस सदन में उपस्थित होकर सदन का गौरव बढ़ाया था। उनके निधन से उत्तर प्रदेश ने और इस आदरणीय सदन ने अपना पूर्व सदस्य खो दिया है। इसी प्रकार श्री कैलाश टंडन इस आदरणीय सदन के सदस्य थे। 24 दिसम्बर, 2017 को उनका निधन हो गया। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 और एल0एल0बी0 की उपाधियॉ, शिक्षा पायी थी। वह वर्ष 1980 में वाराणसी दक्षिणी जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा में निर्वाचित हुये थे। वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के महामंत्री, नगर महापालिका वाराणसी के सभासद और कांग्रेस दल के नेता भी रहे थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और हम लोगों ने अपना अग्रज जो इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे, खो दिया।

श्री जंग बहादुर इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य, जिला जौनपुर के निवासी, उनका निधन 25 दिसम्बर, 2017 को हो गया। वे वर्ष 1969 और 1974 में निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया, जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। समाजसेवा में उनकी रुचि थी, जिला परिषद् और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़ के मंत्री रहे, कुश्ती, व्यायाम, राजनीतिक संवाद में उनकी रुचि थी। उनके निधन से उत्तर प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ खोया है और हम लोगों ने अपना पूर्व सदस्य।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री प्रभु नारायण सिंह का 28 दिसम्बर, 2017 को निधन हो गया, वे वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र बयालसी, जिला जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और शिक्षकों के आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके निधन से यह आदरणीय सदन शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय का निधन 08 जनवरी, 2018 को हो गया था। श्री पाण्डेय वर्ष 1962 में फरेंदा, जिला गोरखपुर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य हुए थे, वे लोक सभा और राज्य सभा के भी सदस्य रहे थे। श्री पाण्डेय ने कमजोर वर्गों के लिए लगातार संघर्ष किया, उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल नेता खोया है और हम लोगों ने अपना एक पूर्व साथी।

श्री बिन्दू लाल इस विधान सभा के पूर्व सदस्य वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र गैसड़ी, तत्कालीन जिला गोण्डा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। कुशल राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से प्रदेश ने कुशल राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता खोया और हम लोगों ने अपना एक साथी और वरिष्ठ नेता खोया है।

श्री कमला प्रसाद सिंह वर्ष 1977 में कांग्रेस के टिकट पर व 1980 में कांग्रेस (आई) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर, जिला जौनपुर से विधान सभा के सदस्य थे। वे लोक सभा के भी सदस्य रहे, संघर्षशील थे, गरीबों के लिए काम करते थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता खोया है। हम लोग स्वाभाविक ही शोकसंतप्त हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृपा शंकर आर्य का 15 जनवरी, 2018 को निधन हो गया, वे 1974 में भारतीय क्रांति दल तथा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सेवरही व वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र हाटा, जिला देवरिया से इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे देवरिया जिला परिषद के सदस्य, स्थानीय नेहरू इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति के सदस्य, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे थे, संघर्षशील थे। उनके निधन से उत्तर प्रदेश ने एक संघर्षशील नेता खोया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री दृगराज सिंह का 16/17 जनवरी, 2018 को निधन हो गया, वे 90 वर्ष के थे। वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज जिला बहराइच से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे एक कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है।

श्री हरीशचन्द्र खण्डेलवाल जी का निधन 20/21 जनवरी, 2018 को हो गया। वे 1974 में निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर, जिला पीलीभीत से भारतीय जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। वे पूरनपुर पब्लिक इण्टर कालेज की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के प्रधान तथा जिला भारतीय जनसंघ के उपाध्यक्ष रहे थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता खोया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नन्द किशोर जी का निधन 22 जनवरी, 2018 को हो गया। वे 1980 में निर्वाचन क्षेत्र गौरी बाजार, देवरिया से जनता (एस0) चौ0 चरण सिंह के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेकर कई बार जेल गए। उनके निधन से प्रदेश और इस आदरणीय सदन को शोक हुआ।

पूर्व सदस्य महमूदुल हसन अंसारी का 23 जनवरी, 2018 को निधन हो गया, वह लगभग 65 वर्ष के थे। वह निर्वाचन क्षेत्र अफजलगढ़, जिला बिजनौर से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे, वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके निधन से प्रदेश

को व्यथा हुई है और इस आदरणीय सदन के हम सब सदस्य शोकाकुल हैं। विधान सभा के पूर्व सदस्य हुकुम सिंह जी का 03 फरवरी, 2018 को निधन हो गया, वह लगभग 80 वर्ष के थे। 05 अप्रैल, 1938 को कैराना जिला मुजफफरनगर में उनका जन्म हुआ। वह वर्ष 1974 में कांगेस से, 1980 में जनता दल-एस0 से वर्ष 1985 में कांग्रेस-आई से 1996 में 2002, 2007, 2012 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कैराना तत्कालीन जिला मुजफफरनगर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान लोक सभा के भी सदस्य थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके निधन से उत्तर प्रदेश ने एक वरिष्ठ नेता खो दिया है और इस आदरणीय सदन के हम सब सदस्य शोकाकुल हैं।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया में जो आता है उसको एक दिन जाना जरूर पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है, सच्चाई है। आज जिन महानुभाव के निधन पर आपने सदन को सूचना दी है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मान्यवर, हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उन तक पहुंचा दी जायें। मान्यवर, जो अन्त में आपने माननीय हुकुम सिंह जी की सूचना दी उसके सम्बन्ध में विशेष रूप से मैं आपकी अनुज्ञा से कुछ कहना चाहता हूं। माननीय हुकुम सिंह जी इस सदन के सात बार सदस्य रहे और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, माननीय वीर बहादुर सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राम प्रकाश जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, सुश्री मायावती जी के मंत्रि-मण्डल के भी सदस्य रहे। वह प्रदेश के एक बड़े नेता थे और वर्तमान में निधन के समय कैराना से सांसद भी थे। भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के वे नेता भी रहे 2012 से लेकर और लोक सभा के सदस्य बनने तक। मान्यवर उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी की अपूर्ण क्षति हुई है लेकिन प्रदेश ने एक बड़े नेता को खो दिया। सार्वजनिक जीवन में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जिनका विशेष स्थान रहा है। हम सब उनके निधन पर दुखी हैं, हम यह जरूर चाहेंगे कि माननीय हुकुम सिंह जी के परिवार को हमारी शोक संवेदनायें विशेष रूप से पहुंचा दी जायें। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना आपने सदन को दी तथा जो संवेदनायें व्यक्त की हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इसमें से लगभग एक को छोड़कर लगभग सभी लोगों के साथ काम करने का इस सदन में सौभाग्य मिला। अंतिम जिनको आपने पढ़ा हुकुम सिंह जी वह लम्बे समय तक इस सदन की सेवा कियें हैं। सरहद की भी सेवा की, उन्होंने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के युद्ध में भी भाग लिया और राजनीति में आने के बाद वे हमेशा गरीब, बेबस और लाचार लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। वे कई बार मंत्री भी रहे। वे एक अच्छे, सुयोग्य व्यक्ति और संसदीय मामलों के प्रकाण्ड विद्वान भी थे। उन्होंने मा0 उपाध्यक्ष जी की कुर्सी भी सुशोभित की थी। आज उनके न रहने से प्रदेश ने एक महान सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता को खोया है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि मा0 हुकुम सिंह जी के साथ-साथ जितने भी अन्य पूर्व मा0 सदस्यों के प्रति आपने संवेदना व्यक्त की है तो हमारी तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन सभी परिवारों को संवेदनाएँ भेजने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री लालजी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन के 13 पूर्व सदस्यों के प्रति जो शोक-संवदेना आपने, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त की है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से इन सभी मा0 सदस्यों के साथ-साथ मा0 हुकुम सिंह जी ने काफी लम्बे समय तक इस सदन की सेवा की और मुझे भी उनके साथ इस सदन में बैठने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इन सदस्यों के न रहने से हम लोगों को दुःख हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इन सभी सदस्यों के साथ-साथ, स्व0 श्री हुकुम सिंह जी के परिवार के प्रति भी हमारी और हमारी पार्टी की तरफ से शोक-संवेदना भेजने का काम आप करें।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दुःख का विषय है कि आज हम सब लोगों से इस सदन के 13 पूर्व सम्मानित सदस्यों और पुरोधाओं के प्रति शोक-संवदेना व्यक्त करने के लिए कहा गया है। महोदय, जब मैं 2012 में पहली बार आया था तो बहुत सारे सम्मानित सदस्य जो काफी अनुभवी थे। हम सब लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते थे। उनमें से एक मा0 सदस्य जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। स्वर्गीय एवं आदरणीय श्री हुकुम सिंह जी। उनकी भाषा शैली और विचार अत्यन्त सुन्दर थे। वे एक समाजवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर, मुद्दों पर सरकारों को निरन्तर विचार देने का काम किया। हम लोग जब इस सदन में रहते थे, जब वे बोलना शुरु करते थे तो हम कहीं भी रहें तुरन्त सदन में आकर बैठ जाते थे और उनके विचारों को सुनने का काम करते थे। आज हम सब लोगों ने एक कुशल राजनीतिज्ञ को खोया है और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक श्री कृपा शंकर आर्य जी जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। समाज में सदैव दबे, निचले, कुचले वर्ग के लोगों के उत्थान की लड़ाई, पिछड़ों और दलितों के आवाज की लड़ाई और निरन्तर उनका पूरा संघर्ष भरा ही जीवन रहा। आदरणीय श्री नरसिंह पाण्डेय जी जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे इनका भी एक बड़ा लम्बा जीवन इतिहास रहा है। महोदय ये एक बार लोकसभा सदस्य और एक बार राज्यसभा सदस्य और आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गॉधी जी के बड़े करीबी रहे और उस समय गोरखपुर में गोरखनाथ के पीठाधीश्वर स्वर्गीय अवैधनाथ जी को हराने का काम किया था। आज हम सब लोगों ने 13 रत्न खोये हैं। सभी माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस की तरफ से हम यह अनुरोध करेंगे कि हमारी शोक संवेदना उनके परिजनों तक पहुँचाई जाये यही हम निवेदन करेंगे।

***श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी, दिवंगत माननीय पूर्व सदस्यों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह जानकर अत्यन्त दुख हुआ कि तमाम योग्यताओं को अपने आप में समेटे हुए पूर्व सदस्य जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं इस दुनिया से चले गए है इसकी कमी को पूर्ण नहीं किया जा सकता लेकिन यह विधि का विधान है। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों के द्वारा किये गये कार्यों को हम सब माननीय सदस्यगण अपने जीवन में धारण करते हुए इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, तीन तरह से लोग इस दुनिया में आते हैं। एक वह होता है जो दिन-रात सिर्फ अपने बारे में सोचता है और एक वह होता है जो अपने बारे में तो सोचता है थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचता है और एक वह होता है जो पूर्ण रूप से देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए सोचता है और अपने आपको समर्पित करने का काम करता है। जो पहले नम्बर वाला आदमी होता है वह जिस दिन मरता है उसी दिन मर जाता है जो दूसरे नम्बर वाला आदमी होता है वह मरने के बाद कुछ दिनों तक जिन्दा रहता है लेकिन जो तीसरे नम्बर पर होता है जिस श्रेणी में हमारे यह 13 माननीय पूर्व सदस्य लोग रहे। ऐसे लोग मरने के बाद भी सदियों-सदियों तक जिंदा रहने का काम करते हैं। उनकी विचारधारा सदियों सदियों तक जिन्दा रहती है। इस कमी को पूर्ण तो नहीं किया जा सकता लेकिन उनकी इस सदन में जो पॉजिटिव ऊर्जा उनके द्वारा यहाँ पूर्व में वे लोग छोड़कर गये हैं उसका जरूर आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा और उनके आशीर्वाद से उनकी विचारधारा को हम माननीय सदस्य लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इन तेरह माननीय सदस्यों के परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की अपार क्षमता उनको मिले। हम अपना दल(एस0) की तरफ से एवं सभी यहाँ पर जो माननीय नेता सदन हैं उनकी तरफ से माननीय सदस्यों की तरफ से चाहेंगे कि हमारी शोक-संवेदना उनके परिवार तक पहुँचे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

क्या लोकदल के नेता उपस्थित हैं ?

(उपस्थित नहीं हैं, के शब्द सुनाई दिये)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन पर गहन शोक उद्‌गार व्यक्त किये गए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता अपना दल सबने जो उद्‌गार यहाँ व्यक्त किये हैं और पूरा सदन शोकाकुल है। हम सब उनकी स्मृति में स्वाभाविक ही दुखी हैं। हम दिवंगत के परिजनों को सदन में व्यक्त की गयी शोक संवेदनाएँ पहुँचाएंगे और इस अवसर पर उनकी आत्मा की मुक्ति के लिये, शांति के लिए हम सब दो मिनट का मौन रखने के लिए खड़े हो जायें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दिवंगत अत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष, दया राम भाष्कर जी की दो महीने पहले मृत्यु हुई है। उनकी सूचना नहीं दी गयी है। मान्यवर, पिछली बार भी एक माननीय सदस्य का मैंने बताया। इस बार भी हमको बताना पड़ रहा है कि जनपद आजमगढ़ के दयाराम भाष्कर जो दो बार इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं उनकी सूचना मँगवा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं कल सूचना मँगवा लूँगा माननीय राजभर जी ने एक सूचना दी है उसको आप आज ही मँगवा लीजिए

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

ठीक है मान्यवर, हम मँगवा लेंगे।

[12:40] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व राज्यपालों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

निधन की एक और सूचना देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री बी0एल0 जोशी का निधन 22 दिसम्बर, 2017 को हो गया। जोशी जी का जन्म 27 मार्च, 1976 को राजस्थान के नागौर में छोटी खाटू ग्राम में हुआ था। जोशी जी ने वर्ष 1957 में राजस्थान की राज्य पुलिस सेवा से अपना जीवन प्रारम्भ किया तत्पश्चात् वर्ष 1962 में वह भारत सरकार में चले गए। गृह मंत्रालय में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। प्रधानमंत्री शास्त्री जी और श्रीमती इन्दिरा गॉधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया। वह इस्लामाबाद और लंदन के उच्चायुक्त, आयोगों और वाशिंगटन डी0सी0 के भारतीय दूतावास में भी रहे। उन्होंने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य, दिल्ली के उपराज्यपाल और मेघालय व उत्तराखण्ड के राज्यपाल के पद के दायित्व का भी निर्वहन किया। 28 जुलाई, 2009 को उसके बाद 6 मार्च, 2014 को पुनः उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उन्हें बनाया गया। वह अनेक पदों पर रहे, प्रतिष्ठित रहे, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे, हम लोगों में से अधिकांश सदस्यों की उनसे मुलाकात रही होगी। उनके निधन से प्रदेश ने और देश ने एक कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री पी0वी0 राजेश्वर का 14 जनवरी, 2018 को निधन हो गया। उनका जन्म 1926 में तमिलनाडु में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय के प्रेसीडेंसी कॉलेज से बी0ए0 (आनर्स) तथा अर्थशास्त्र में एम0ए0 किया। वह 1949 में भारतीय पुलिस सेवा में आये, वह निजामाबाद, रायपुर, गुण्टूर जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे। इंटेलीजेंस ब्यूरो अधिकारी की हैसियत से 1963 से 1967 के बीच वह सिक्किम तथा भूटान में क्रमशः विशेष कार्याधिकारी और सलाहकार के रूप में तैनात रहे। अरुणांचल प्रदेश के उप राज्यपाल रहे, वर्ष 1985 में सिक्किम के राज्यपाल, मार्च, 1989 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 08 जुलाई, 2004 से 27 जुलाई, 2009 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया। यह सदन दोनों भूतपूर्व राज्यपालों के निधन से दुःखी है। पूरे देश ने दो कुशल प्रशासक, जो अनुभवी होने के कारण अनेक विषयों में मार्गदर्शक रहे, उन्हें खो दिया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी आपने सूचना दी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री बी0एल0 जोशी जी का 22 दिसम्बर, 2017 को निधन हो गया, वह 81 वर्ष के थे। दूसरे, पूर्व राज्यपाल श्री टी0वी0 राजेश्वर राव, जिनका निधन 14 जनवरी, 2018 को हो गया, वे लगभग 92 वर्ष के थे। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। आदरणीय जोशी जी बहुत ही मृदुभाषी, बहुत व्यवहार कुशल थे। एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद के दायित्व का निर्वहन किया। मेरी व्यक्तिगत रूप से भी उनसे कई बार मुलाकात हुई। उनके निधन से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ने एक कुशल प्रशासक खो दिया। मान्यवर, हम सब उनके निधन से दुःखी हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मेरी शोक संवेदनाएं, मेरे दल की ओर से, मेरी ओर से तथा सम्पूर्ण सरकार की ओर से उनके परिवार तक पहुँचा दी जांय। मान्यवर, श्री टी0वी0 राजेस्वर राव से भी मेरी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात थी वह एक बहुत ही कुशल प्रशासक और बहुत सख्त एड़मिनिस्ट्रेटर थे। कई अन्य प्रदेशों का दायित्व भी राज्यपाल के रूप में उन्होंने निर्वहन किया। उनके निधन से भी एक कुशल प्रशासक इस देश से चले गये।

मान्यवर, जो शोक-संवेदनायें आपने उनके निधन पर व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने-आप को सम्बद्ध करता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुँचा दी जायं। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी जी तथा श्री टी0वी0 राजेस्वर राव जी के सम्बन्ध में जो शोक-संवेदनायें व्यक्त की हैं उससे हम अपने को सम्बद्ध करते हैं। ये दोनों महान विभूतियों ने हमारे प्रदेश से ले करके देश के कई फ्रण्टों पर सेवा करने का काम किया। श्री बी0एल0 जोशी जी तो बहुत ही मृदुभाषी, हंसमुख और गम्भीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके साथ कई बार कार्यक्रमों में भाग लेने का भी अवसर मिला था। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को तो दुःख है ही, देश के लोगों में भी दुःख की लहर पैदा हो गयी है। श्री टी0वी0 राजेस्वर राव साहब भी एक अत्यन्त योग्यतम व्यक्ति थे। उन्होंने भी राज्यपाल के तौर पर और विभिन्न पदों पर जो काम किया उसकी सराहना भी प्रदेश और देश में हुई। ऐसी महान विभूतियाँ हमारे बीच में नहीं हैं, इसका मुझे दुःख है। मेरा आपसे आग्रह है पूरे विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से व्यक्त की गयी शोक-संवेदनाओं को आप उन दोनों महान विभूतियों के परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें जिससे उनको साहस मिले और दोनों महान विभूतियों की आत्मा को भी शांति मिल सके।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, पूर्व राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी एवं श्री टी0वी0 राजेस्वर राव के निधन के सम्बन्ध में जो शोक-संवेदना आपके द्वारा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा, मा0 नेता प्रतिपक्ष के द्वारा व्यक्त की गयी है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, मुझे भी सौभाग्य मिला था इन दोनों महान विभूतियों के साथ में बैठने का, राजभवन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का, विशेषरूप से सैनिकों के सहायतार्थ एक कमेटी है उसमें इनकी अध्यक्षता में बैठने का अवसर मिला। श्री जोशी जी बहुत ही मृदुभाषी योग्यतम व्यक्ति थे, दोनों महान विभूतियों के निधन से इस प्रदेश और देश को दुःख हुआ है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोनों महान विभूतियों को मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से शोक-संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह है कि इस शोक-संवेदना को उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे जिससे उनकी मृतक आत्मा को शांति प्रदान हो सके।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी साहब और पूर्व राज्यपाल श्री टी0वी0 राजेश्वर जी के निधन पर उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा के उद्गारों से मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। दोनों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभूतियों ने देश के तमाम शासकीय पदों पर रह कर इस देश की, प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे दल की तरफ से शोक संवेदना उनके परिजनों को भेजने का कष्ट करें ताकि दुःख की इस घड़ी को उनके परिजन बर्दाश्त कर सकें।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, दिवंगत पूर्व राज्यपाल श्री बी0एल0 जोशी जी, श्री टी0वी0 राजेश्वर जी के निधन पर अपने आपको माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, कॉग्रेस द्वारा रखे गये शोकोद्गार के साथ अपने को जोड़ते हुए मैं इन दोनों महापुरूषों के चरणों में अपने श्रृद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शॉति प्रदान करे और उनके परिवार को दुःख की इस घड़ी में असीम साहस मिले कि वे इस दुःख को बर्दाश्त कर सकें। मैं अपना दल की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी यह चाहता हूँ कि इनके परिवारों तक शोक संवेदनाएं पहुँचाई जायं ताकि इनके परिवारीजनों को ताकत मिले।

श्री अध्यक्ष-

श्री बी0एल0 जोशी और श्री टी0वी0 राजेश्वर पूर्व राज्यपालों के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी वरिष्ठ दलीय नेताओं ने जो अपने उद्गार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। पूरा सदन शोकाकुल है। मैं उनके शोक संतप्त परिवारों तक आप सबकी भावनाएं, इस सदन की भावनाएं पहुँचाऊँगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शॉति प्रदान करे। उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहने की शक्ति भी दे। अब हम दोनों दिवंगत आत्माओं की शॉति के लिये खड़े होकर मौन रखेंगें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय आसीजा जी प्रस्ताव रख दें भाषण आपका बाद में होगा।

श्री लालजी वर्मा-

हम लोगों ने दिया है उसको ले लें। ऐसा न करिए।

श्री अध्यक्ष-

इतनी देर में वह पढ़ देते केवल एक लाइन पढ़ेंगे। कोई भाषण नहीं करेंगे।

[12:56] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, 'यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 08 फरवरी, 2018 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।'

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष अब आप बोलें।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 311 स्वीकार किए हैं उस पर मैं बोलूँ, या 56 स्वीकार किया है उस पर बोलूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपको सर्वाधिकार है जो सवेरे कहे वह स्वीकार है जो 56 में दिए हैं वह स्वीकार है जो नहीं कहे वह स्वीकार। (हँसी)

श्री रामगोविन्द चौधरी-

कुछ माननीय सदस्य बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

***श्री नितिन अग्रवाल-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

एक आपकी सहायता चाहते हैं हम 301 एक मिनट में पढ़ दें, नाम केवल पढ़ दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब आपने स्वीकार कर लिया हम लोगों को बोलने का अवसर दिया अब उसको बाद में ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

नाम पढ़ देते है।

[12:58] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09-01-2018 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :--

पहली सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा अन्तर्गत ग्राम पिलखिनी में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की नगर फिरोजाबाद में बस डिपो के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद नगला बंसी रेलवे फाटक से गांव खानपुर में रेलवे हाल्ट के मध्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री दल बहादुर की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड छतोह में बभनपुर बलीपुर के पास मट्टनाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के निचली गंगा नहर के कतिपय पुल को चौड़ा कराये जाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज अन्तर्गत ग्राम खजुरा, कोहरौली एवं लसड़ा खुर्द के बीच जर्जर मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री अनिल पाराशर जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, नौवी सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के गोमती तट स्थित अन्त्येष्टि स्थल का उच्चीकरण व अन्य कतिपय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में कतिपय सड़क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली मीरगंज के कतिपय ग्रामों की पहाड़ी नदियों के कटान से रोकने के लिये उपाय किये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर कस्बा या उससे लगी ग्राम सभा उस्मानपुर में राजकीय परिवहन डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जनपद सीतापुर अन्तर्गत महमूदाबाद, तम्बौर, बहराइच मार्ग पर शारदा सहायक नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुइ मानी गायी।)

जनपद फतेहवुर के विकास खण्ड भिटौरा अन्तर्गत ग्राम पिलखिनी में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा के अन्तर्गत ग्राम पिलखिनी में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है और जिससे पिलखिनी व आस-पास के गांवों के गरीब मेघावी छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है जिस कारण से उक्त ग्राम व आस-पास के गांवों के छात्र एवं छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं तथा यहां से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। यहां पर एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हो जाने से क्षेत्र के मेघावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पिलखिनी में माध्यमिक विद्यालय** की स्थापना हेतु आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

नगर फिरोजाबाद में बस डिपो के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर स्थित लगभग 25 लाख की जनसंख्या वाले तथा अपने कांच चूड़ी, कांच उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध नगर फिरोजाबाद में व्यावसायिक, औद्योगिक गतिविधियों के चलते प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन होता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चूंकि फिरोजाबाद में कांच चूड़ी एवं कांच के अन्य उत्पादों का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण एवं आयात-निर्यात होता है इसलिए पूरे देश के कोने-कोने से नगर फिरोजाबाद में निरन्तर सघन आवागमन जारी रहता है। जिला मुख्यालय होने के कारण अन्य सभी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र भी फिरोजाबाद नगर ही है।

नगर फिरोजाबाद में कोई ''बस डिपो'' न होने के कारण आवागमन की गतिविधियों से जुड़े नगरवासियों, बाहर से आने वाले व्यापारियों/नागरिकों आदि को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बसों की उपलब्ता, संचालन एवं बस अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण मजबूरन यात्रियों को डग्गेमार वाहनों तथा अन्य साधनों का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ता है जिसके कारण सामान्य की यात्रा एवं जान-माल की सुरक्षा जन भी खतरे में पड़ती है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से फिरोजाबाद नगर में **''बस डिपो''** की स्थापना कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद नगला बंसी रेलवे फाटक से गांव खानपुर में रेलवे हाल्ट के मध्य सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्वर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले नगला बंसी रेलवे फाटक से महमदपुर व बीछट वाले सम्पर्क मार्ग को जोड़ते हुए गांव खानपुर में रेलवे हॉल्ट के नजदीक श्री रघुनाथ सिंह जी के ट्यूबेल तक का सम्पर्क मार्ग कच्चा है। इस सम्पर्क मार्ग से 6-7 गांवों के सैकड़ों यात्री रेलवे हॉल्ट गंगरौल-खानपुर से रेल यात्रा करने हेतु रोजाना आते-जाते है। सम्पर्क मार्ग के कच्चा होने के कारण उन्हें आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में स्थिति अत्यन्त ही भयावह हो जाती है। जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड छतोह में बभनपुर बलीपुर के पास भट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दल बहादुर-

[महोदय, जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड छतोह में बभनपुर बलीपुर के पास मट्टन नाले पर पुल का निर्माण न होने के कारण स्थानीय निवासियों एवं आस-पास के लोगों को बहुत दूर से चक्कर लगा कर उक्त गांवों में आना-जाना पड़ता है।

क्षेत्र के निवासियों एवं आस-पास के लोगों को इस विषम समस्या हेतु जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड छतोह में बभनपुर बलीपुर के पास मट्टन नाले पर पुल का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से विकास खण्ड छतोह में बभनपुर बलीपुर के पास मट्टन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के निचली नहर गंगा नहर के कतिपय पुल को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगी कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत विजईपुर धाता मार्ग में ग्राम गोरसंडी व ग्राम रजपालपुर तथा पनिहाबाबा (सैदपुर भूरूही) के पास निचली गंगा नहर पर संकीर्ण (संकरे) तथा जर्जर ब्रिटिश कालीन पुल निर्मित है। इस मार्ग का चौड़ीकरण हो जाने से वाहन तीव्र गति से आकर इन संकरे पुलों से टकरा कर आये दिन धन जन की हानि कर रहे है।

अतः आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर कराकर कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज अन्तर्गत ग्राम खजूरा, कोहरौली एवं लसड़ा खुर्द के बीच जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दीदागंज, तहसील-मर्टिनगंज में तैरऊतीपुर-फतुही माइनर से ग्राम-खजुरा, कोहरौली होते हुए लसड़ा खुर्द ग्राम के पिच मार्ग तक की सड़क बहुत पहले लेपन हुआ था जो इस समय काफी जर्जर हो गया है आम जनता को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आये दिन गंभीर सड़क दुर्घटनायें होती रहती है। यह सड़क मुख्यसम्पर्क मार्ग होने के साथ-साथ गांव का सबसे बड़ा लिंक मार्ग भी है। सड़क जर्जर हो जाने से जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। किसी भी दिन जनता आन्दोलित हो सकती है। स्थिति काफी विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल पारासर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अलीगढ़ शहर बाई पास (रिंग रोड) अलीगढ़ शहर का मुख्य मार्ग है। अलीगढ़ शहर का मुख्य मार्ग है। अलीगढ़ शहर को आगे वाले सभी मुख्य मार्ग बाई पास मार्ग पर ही मिलते हैं। इस कारण बाई पास मार्ग पर यातायात का अत्यधिक भार रहता है। मार्ग पर हल्के व भारी सभी प्रकारण के वाहन अत्यधिक संख्या में चलते हैं जिससे मार्ग पर हर समय जाम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगता रहता है और जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अनूपशहर रोड (नेशनल हाइ-वे, महेशपुर रेलवे फाटक के रामघाट रोड कार्मी चौराहा बम्बे के सहारे जी0टी0रोड एटा चुगुगी चौहातक तथा जी0टी0रोड, (105 चिरौलिया रेलवे फाटक होते हुए आगरा रोड तक लगभग 12 कि0मी0 सड़क का चारलेन निर्माण व चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनूपशहर रोड (नेशनल हाइवे, महेशपुर रेलवे फाटक के रामघाट रोड कर्मी चौराहा बम्बे के सहारे जी0टी0रोड एटा चौहातक तथा जी0टी0रोड, (105 चिरौलिया रेलवे फाटक चुग्गी होते हुए आगरा रोड तक लगभग 12 किमीर्मी सड़क का चारलेन निर्माण व चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, जौनपुर में एक भी **''बस स्टेशन''** नहीं है। रोडवेज बसों के ठहराव हेतु बस अड्डा न होने की वजह से क्षेत्र की जनता व आने-जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा उत्पन्न होती है। बदलापुर से इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, गाजीपुर जाने के लिए रोडवेज बसों का आवागमन रहता है। जनहित में **''बस स्टेशन''** का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदलापुर विधान सभा क्षेत्र में **''बस स्टेशन''** की स्थापना हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के गोमती तट स्थित गुलाला अन्त्येष्टि स्थल का उच्चीकरण व अन्य कतिपय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, राजधानी लखनऊ के प्रमुख अन्त्येष्टि स्थलों में भैंसाकुण्ड स्थित बैकुण्ठधाम व गुलाला श्मशान घाट प्रमुख है। भारी दबाव के कारण भैंसाकुण्ड पर शवदाह हेतु लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुलाला घाट को उच्चीकृत करते हुए अन्तिम यात्रा में आने वाले लोगों के लिए अन्य व्यवस्थाओं में वृद्धि कर इस दबाव को कम किया जा सकता है। इस विषय में आवश्यक प्रस्ताव बहुत दिनों से विचाराधीन है।

अत्त्येष्टि स्थल पर लोग अपने परिजनों, पुरजनों का पार्थिव शरीर लाते हैं। श्मशान घाटों पर आवश्यक प्रबन्ध से शोक सन्तप्त जनों को तोष मिलेगा।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र, बांगरमऊ में एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद उन्नाव की 162-बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में कोई भी ट्रामा सेन्टर न होने के कारण सही समय पर कुछ मरीजों को उपचार न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। यदि क्षेत्र में कोई दुर्घटना घटित हो जाती

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है तो तुरन्त उपचार के लिये क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिससे वहां निवास करने वाली जनता को अत्यन्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में एक ट्रामा सेन्टर स्थापित कराया जाना जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ट्रामा सेन्टर स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में कतिपय सड़क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[महोदय, सदन के माध्यम से विकास खण्ड माल में सड़कों के निर्माण हेतु अनुरोध करना है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

1-माल भरावन रोड से गोधन तक डामर रोड दूरी लगभग 3.700 किमी रोड तथा 2 CC पुलिया।

2-तकिया हसना पुर रोड से बेलविरवा तक डामर रोड दूरी 1.500 किमी।

3-टिकना खेड़ा की पुलिया से आट रोड तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

4-थावर रोड से माल मलिहाबाद रोड तक डामर रोड दूरी 3 किमी।

5-सरथरा डामर रोड से पड़रा डामर रोड तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

6-बदैय्या रोड से खजहा पुरवा तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

7-ललई खेड़ा रोड से जलौनी रोड तक डामर रोड दूरी 2.500 किमी।

8-खड़सरा रोड से जानकी खेड़ा डामर रोड तक डामर रोड दूरी 2 किमी।

9-विल्छी श्यामा रोड से आट रोड तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

10-मनभौना रोड से गागनि रोड तक डामर रोड दूरी 3 किमी।

11-गागनि रोड से रैपुरवा रोड तक डामर रोड दूरी 1.500 किमी।

12-बेलाहार रोड से गुरोरा रोड तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

13-गदिरा खेड़ा रोड से लोधई रोड तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

14-केसरी पुर रोड से गुरेरा रोड तक डामर रोड दूरी 2 किमी।

15-माल दुबग्गा रोड से जंगी खेड़ा होते हुए लतीफपुर रोड तक डामर रोड दूरी 2.500 किमी।

16-सौरा रोड से गढ़ी रोड तक डामर रोड दूरी 1 किमी।

17-बक्खा खेड़ा रोड से सहिजना निवारी रोड तक डामर रोड दूरी 1.500 किमी।

18-बसंतपुर में प्रमोद तिवारी की चक्की से घटघटा बाबा तीर्थ तक डामर रोड दूरी लगभग 1.500 किमी।

19-गंगा खेड़ा से आबिदनगर तक डामर रोड दूरी लगभग 2 किमी।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के कतिपय ग्रामों को पहाड़ी नदियों के कटान से रोकने के लिये उपाय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मीरगंज, जनपद बरेली से 8 बड़ी पहाड़ी नदियां गुजरती है। जो बरसात के दिनों में बड़ी संख्या में कई गांव का कटान करती है। जिसमें मुख्य रूप से किच्छा नदी ने ग्राम सुल्तानपुर को तीन चौथाई काट दिया है। कुल्ली नदी द्वारा वसई का कटान किया गया है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भाखड़ा नदी द्वारा बलेही, पहाड़पुर, रेतीपुरा, नरखेड़ा व गूला, सल्था-बल्था आदि गांवों का कटान किया गया है। रामगंगा नदी द्वारा रम्पुरा-सिमिरिया, गोरा, हेमराजपुर, करौरा व मोहम्म्दगंज आदि गांवों का कटान किया गया है। उक्त गांवों के कटान को रोकने के लिये जनहित में गंभीर उपाय किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर कस्बा या उससे लगी ग्राम सभा उस्मानपुर में राजकीय परिवहन डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत कस्बा जलालपुर सबसे घनी आबादी वाला प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र, बुनकर नगरी एवं तहसील मुख्यालय है। यहां से बुनकर, व्यवसायी अपने व्यवसाय हेतु बनारस, बस्ती, खलीलाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं प्रदेश के बाहर जाते आते है, परन्तु राजकीय परिवहन डिपो न होने के कारण व्यापारी ही नहीं बल्कि विद्यार्थी, नौकरी पेशा एवं मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलालपुर से लगी ग्रामसभा उस्मानपुर में चकबन्दी की प्रक्रिया गतिशील है, वहां पर बस अड्डा के निर्माण हेतु भूमि निकाले जाने की जनता की मांग है, किन्तु विभागीय उदासीनता के कारण बस अड्डा की भूमि चिन्हित नहीं की जा रही है। जिस कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जलालपुर कस्बा या उससे लगी ग्राम सभा उस्मानपुर में राजकीय पविहन डिपों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130 बीसलपुर अन्तर्गत ''बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि0 बीसलपुर'' कार्यशील है। जिसे कि वर्ष 1978 में श्रेष्ठ उत्पादक पुरस्कार भी प्रदत्त है लेकिन वर्तमान समय में यह सहकारी चीनी मिल 4 अरब के वित्तीय हानि में है। जहां एक ओर यह सहकारी चीनी मिल गन्ना मूल्य भुगतान करने में पिछड़ चुकी है वहीं दूसरी ओर पूरी क्षमता से पेराई करने तथा उपयुक्त प्रतिशत चीनी की बरामदगी किये जाने का भी निम्न स्तर है। वहीं दूसरी ओर पूरी क्षमता से पेराई न कर पाना तथा चीनी के प्रतिशत की बरामदगी का न हो पाने का मुख्य कारण यह है कि सहकारी चीनी मिल की क्षमता 2750 कुन्तल प्रति घण्टा होते हुए भी 1800 कुन्तल मात्र प्रति घण्टा पेराई हो रही है। अधिकांश समय उक्त सहकारी चीनी मिल का बन्द रहना चिन्तनीय है जबकि जनपद पीलीभीत उ0प्र0 का श्रेण्ठ गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र है इसलिए आवश्यकता है उक्त सरकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त अपेक्षित कार्य करवाये जाने की कार्रवाई करने की कृपा की जाये।]

जनपद सीतापुर अन्तर्गत महमूदाबाद, तम्बौर, बहराइच मार्ग पर शारदा सहायक नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अतिलोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत महमूदाबाद, तम्बौर, बहराइच मार्ग पर शारदा सहायक नहर पर निर्मित पुल जो कि लगभग 45 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था, यह पुल सिंगिल है जिस कारण 24 घण्टो नहर के पुल पर जाम लगा रहता है जनहित की समस्या को देखते हुए दूसरा पुल बन जाने से यहां का जाम समाप्त हो सकता है और पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जायेगा। यह प्रकरण जनहित से जुड़ा हुआ है और लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए दूसरा पुल बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

[1:00] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

***श्री नितिन अग्रवाल-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभारी हूं।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, इसी विषय पर मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बोलेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मुझे पहले बोल लेने दें।

श्री नितिन अग्रवाल-

अब मैंने शुरुआत कर दी है, वर्मा जी आप बैठ जायें, आप तो बाद में बोल लेंगे नेता हैं, अपने दल के। माननीय अध्यक्ष जी, 26 जनवरी जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र दिवस के मौके पर, उत्तर प्रदेश के एक जनपद में कासगंज में कुछ अराजक तत्वों द्वारा उस जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गयी। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश गंगा, जमुनी तहजीब से पहचाना जाता है, जहां पर हम सब भाईचारा, हम सब भाई-भाई की तरह रहते हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ, कुछ लोगों ने तिरंगा यात्रा के नाम पर एक विशेष समुदाय के लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर पहुंचकर, वहां पर नारेबाजी की। उन समुदाय के लोगों को उकसाया गया, भड़काया गया, जबकि वह समुदाय के लोग खुद तिरंगा फहराने के लिए चौराहे पर इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा कि हमें तिरंगा फहराने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप लोग दूसरे रास्ते से निकल जाइये, यहां पर नाराबाजी न करिये, क्योंकि उनकी नीयत दंगा कराने की थी, उनकी नीयत उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की थी, वह नहीं माने, नहीं रुके और वहां पर, उस तिरंगा यात्रा के नाम पर, तिरंगा तो नहीं था, लेकिन तिरंगे के साथ-साथ भगवा झण्डे को फहराया गया, जो सरासर तिरंगे का अपमान था।

तिरंगे के नाम पर इन्होंने और इनके दल के लोगों ने वहां पर दंगा कराने का काम किया, माहौल बिगाड़ने का काम किया और यहां तक कि प्रदेश के अधिकारियों ने खास समुदाय के लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करके, जो घरों में ताले लगे थे, प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने ताले तोड़कर, उनके घर में घुसकर, उनकी मां बहनों के साथ जो सलूक किया है, लोगों के साथ जो सलूक किया है मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार चाहती है, दंगा कराकर हम चुनाव में कैसे जीत हासिल करें, चुनाव में कैसे उसका फायदा उठाया जाए और पूरे देश में हर प्रदेश में जहां-जहां चुनाव होने जा रहे हैं, उन प्रदेशों में हर तरह के चुनाव में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच करायी जाए और जिस नौजवान की जान गयी है, उसकी सीबीआई जांच करायी जाए और दूध का दूध, पानी का पानी उत्तर प्रदेश की जनता के सामाने आये और सरकार इस समुदाय को परेशान करने का काम कर रही है, उसे तुरन्त रोका जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष अगर वर्मा जी, इस पर पहले बोल लें तो।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है और प्रदेश के सौहार्द, वातावरण को छिन्न-भिन्न करने वाली है। हमारे देश में दो भावनात्मक त्यौहार बड़ी धूम-धाम से मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और यह दोनों दिवस हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। हम तरह-तरह से झण्डे फहराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, खुशी मनाते हैं। हम देश की आजादी का एक जश्न मनाते हैं, लेकिन श्रीमन् मैं जो कहूंगा तथ्यात्मक बात कहूंगा, इसमें हल्ला, शोर-शराबा करने की बात नहीं है। बहुत दिन से जिन लोगों ने भारत में जब एक था, हिन्दू-मुसलमान एक था, कोई दुराव नहीं था, देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई। देश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई और इस देश का मुसलमान और इस देश का हिन्दू सहित विभिन्न धर्मावलम्बियों के लोगों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। जेल गए गोली खाए फांसी पर लटके जेल हिन्दू भी गया जेल मुसलमान भी गये गोली हिन्दू ने भी खाई गोली मुसलमान ने भी खाई फांसी पर हिन्दू भी चढ़े मुसलमान भी फांसी पर चढ़े देश के आजाद होने के इतने दिन बाद हम फिर आपस में भेदभाव करें यह मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि नहीं। 26 जनवरी को बड़े ही सन्देह की दृष्टि से वहॉ पर दूसरे वर्ग के लोगों को देखते हैं। बडडू नगर कासगंज में एक चौराहा है वहॉ पर झण्डा फहराने की योजना थी फुलेना वगैरह लटका दिए थे झण्डा भी बांध दिए गए लोग धीरे धीरे आ रहे थे लोग बैठ गए थे कार्यक्रम शुरू होने वाला था तब तक इसी समय में सौ सवा सौ मोटर साइकिल पर सवार लोग जिसमें एक मोटर साइकिल पर दो-दो तीन-तीन लोग बैठे थे नारा लगाते हुए आए और कहा कि कुर्सी हटाओ हमारा तिरंगा यात्रा जाएगा जिसमें तिरंगा कम और जिस संगठन से जुड़े हुए लोग थे उसका झण्डा अधिक

संख्या में लिए हुए थे। और नारा था कि हिन्दुस्तान में रहना है बन्दे मातरम कहना है हिन्दुस्तान में रहना है जय श्री राम कहना है। हम कोई बात गलत नहीं कहेंगे यह सी0डी0 हैं वहाँ के कुछ बुजुर्ग मुसलमान लोगों ने कहा कि आप भी तिरंगा लिए हो हम भी उसको फहरा रहे हैं एक कार्यक्रम कर रहे हैं आप भी इसमें शामिल होइए कार्यक्रम को खत्म हो जाने दीजिए तब आप जहाँ जाना हो वहॉ जाइए या एक दूसरा रास्ता सामने से है उससे निकल जाइए वह लोग माने नहीं गालीगलौज शुरू कर दिए कुर्सी पटकना शुरु कर दिए दाढ़ी पकड़ना शुरू कर दिए। कहने लगे कि श्रीराम बोलो ।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य असत्य है असत्य है कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिए अभी संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

आप भी बाद में अपनी बात कह लीजिए। जो बात मेरी गलत हो उसे काट दीजिएगा । इसी बात पर वहाँ कहा-सुनी प्रारम्भ हो गई लोग आपस में कहा सुनी करने लगे थापड़ा-थूपड़ी शुरू हो गई भगदड़ मची मोटर साइकिल वाले लोग कुछ अपनी मोटर साइकिल लेकर भागे कुछ मोटर साइकिल छोड़कर भागे। यह लोग अपना झण्डा फहराए चले गए। इसी में फिर दुबारा वह लोग आ गए। अपनी पार्टी के अध्यक्ष से बात की दुबारा पूरा समूह लौटा और तांडव शुरू हो गया सी0सी0फुटेज वहॉ थी उसकी भी सी0डी0मैं आपको दिखाऊँगा एक सी0डी0मैंने दिखलाई है यह दूसरी सी0डी0 है। बिल्कुल कोतवाली के सामने जो सबसे बड़ी कटपीस की दुकान थी वहॉ लोग पहुँचते हैं उसके नौकर को मालिक को लोग मारते हैं दुकान को बन्द करवाते हैं। लोग घर भागने लगते हैं पीछे-पीछे जुलूस उनको खदेड़ता जा रहा है कई दुकानों में तोड़-फोड़ हो गई। लूट हो गयी। अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया और स्थिति इतनी भयंकर हो गयी कि दोनो तरफ से लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर शुरू हो गये, उसी में कहीं से फायरिंग भी शुरू हो गयी और एक नौजवान जो देश का भविष्य हो सकता था, उसको गोली लगी और पुलिस उसको हास्पिटल ले गयी, लेकिन हास्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। मैं पूरे विपक्ष की तरफ से उसको श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मॉग करता हूँ कि सरकार ने उसको जितना भी मुआवजा दिया होगा वह कम है, उसको और अधिक मुआवजा दिया जाए। मान्यवर, यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों द्वारा, बजरंग दल के कुछ लोगों द्वारा तथा कुछ अन्य संगठन के लोगों द्वारा जानबूझ कर मुस्लिमों पर हमला करने की एक योजना थी। उनको मारा-पीटा, उनकी दुकानें जलवा दीं। मान्यवर, फुटेज है देख लें, इसमें पुलिस आगे-आगे चल रही है और पीछे से मुसलमानों की दुकानें फूँकी जा रही हैं। पुलिस ने वहॉ पर तांडव किया है, घरों के ताले तोड़कर के महिलाओं को बेईज्जत किया है, नौजवानों को पकड़ा, बूढ़ों को पकड़ा। इस तरह से एक हत्या में सैकड़ों निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया।

अगर हिन्दू-मुस्लिम दंगा होता तो जहॉ मुसलमानों की दुकानें जलाई गयीं, मुसलमानों की मस्जिद में आग लगाई गयी, वहीं पर मुसलमानों के मुहल्ले में जहॉ पर तमाम मुसलमान हैं वहॉ पर दो-तीन हिन्दुओं के घर हैं और उनका एक मन्दिर बना हुआ है उस मन्दिर को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन मस्जिद जला दी गयी, दुकानें फूँक दी गयीं, लूट ली गयीं। मुसलमानों के घरों के ताले तोड़कर के घसीट-घसीट करके उनको जेल भेज दिया गया। श्रीमन्, यह देश, यह प्रदेश किस रास्ते पर चल

रहा है? जिन लोगों ने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने में इतनी कुर्बानियॉं दी हैं आज उनको वन्दे मातरम् सिखाया जा रहा है। यदि उनके मन में हिन्दुस्तान के प्रति हमदर्दी नहीं होती तो वह गोली क्यों खाते और फॉसी पर क्यों चढ़ते। अगर उनको हिन्दुस्तान से लगाव नहीं होता तो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वह क्यों कहते कि हिन्दुस्तान हमारा है, हमनें हिन्दुस्तान की आजादी के लिये लहू बहाया है, हमनें जेलों में हथकड़ियों में बंद हो करके अपनी जिन्दगी बिताई है, यह हिन्दुस्तान मेरा है। आप जबरिया इनको खेदना चाहते हैं। मान्यवर, यह देश में आग लगाने की एक सुनियोजित साजिश है। यह देश और प्रदेश को तोड़ने की साजिश है। देश में वर्ग संघर्ष कराने की साजिश है। एक भी हिन्दू की दुकान में न कहीं कोई खरोंच आई और न किसी हिन्दू मन्दिर में कोई खरोंच आई।

(इसी मध्य सत्तापक्ष के अनेकानेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में शोर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये-बैठिये। आप लोग बैठ जाइये। मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी से अंदाजा लगा लीजिये कि वहॉं पर क्या स्थिति होगी। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिये।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिये कि वहां पर क्या स्थिति हुई होगी।

श्री अध्यक्ष-

(अपने स्थान पर खड़े होकर)-कृपया आप लोग बैठिये। कृपया बैठिये। नियमावली में इस प्रकार का आचरण करने की छूट नहीं है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े हो गये हैं जिसके कारण माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठ गये हैं, किंतु यह लोग अभी भी खड़े हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, नियमावली में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जब खड़े हो तो आप लोग बैठ जाये। अध्यक्ष शांति स्थापित करने के लिए खड़े होते हैं। हमेशा तो अध्यक्ष खड़े नहीं होते हैं, अध्यक्ष तभी बोलने के लिए खड़े होते हैं जब कोई खास बात होती है। नियमावली यह कहती है कि चाहे जितनी जरूरी बात हो जब अध्यक्ष खड़े हो तो आप बैठ जाये। देखिये माननीय नेता प्रतिपक्ष तो बैठ गये हैं लेकिन आप लोग अभी भी खड़े हैं। एक बार आप लोग नियमावली वगैरह देख लीजिये। जब नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देंगे। जो आज सवेरे से ठीक वातावरण बना है उसको चलने दीजिये। माननीय राम गोविन्द चौधरी जी, कृपया आप कन्टीन्यू कीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल यह कहना है कि यह हिन्दुस्तान है। संविधान में सभी धर्म, वर्ग के लोगों को रहने, जीने, अपने धर्म की अपनी तरह से इबादत करने की छूट दी गई है। वर्तमान

केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार का जो नारा है, इसी से लगता है कि असत्य अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। इनका नारा है सबका हाथ, सबका विकास।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि 'सबका साथ, सबका विकास')

ठीक है, सबका साथ, सबका विकास। बताइये कि उसमें हम लोग हैं अथवा नहीं हैं ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा कहा गया कि ''हैं'')

इस देश का मुसलमान है कि नहीं है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा कहा गया कि ''हैं'')

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल जी, आप भी सीधे बात करने लगे।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आप ग्राह्यता के ऊपर सुन रहे हैं, यहां चर्चा तो हो नहीं रही है। यह सही है कि नेता विपक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी भी वक्त खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी आपने केवल ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया है। दूसरी बात यह कि नेता विरोधी दल किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सदन का जो माहौल है उसमें एक जाति, एक धर्म विशेष का नाम लेकर किस प्रकार से माहौल यह खराब कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम अपनी बात को कैसे कहें, जो बात शालीनता से कही जा सकती है। अभी तक की परम्परा के अनुसार ग्राह्यता पर आप लिमिटेड सुनते हैं। मेरा आपसे यह आग्रह है कि यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा हो तो जितना चाहें उतना बोल लें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राह्यता पर तो सीमित ही बोलना चाहिये। एक घटना को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। घटना और दंगे में बहुत फर्क है। यह सही है कि कासगंज की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन कासगंज की घटना दंगा नहीं है और जिस प्रकार से यह माहौल खराब कर रहे हैं। अगर हम जवाब दें कि इनके जमाने में क्या-क्या हुआ था।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह किस ग्राह्यता की बात कर रहे हैं। हमारी सूचना नियम-56 में थी और नियम-311 में भी थी, आपने सबको एक में सम्मिलित किया। ग्राह्यता में जो सवाल होना चाहिये वह निश्चित होना चाहिये, यह घटना निश्चित है।

श्री अध्यक्ष-

आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को खड़ा किये हैं, हम उनका क्या करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा था और यह बिना आपकी अनुमति के तुरन्त खड़े हो गये। मैं इनका सम्मान करके बैठ गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि ग्राह्यता पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह कि सदन में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उस पर हमको घोर आपत्ति है। हम साम्प्रदायिकता की बात नहीं करते हैं और यह सरकार का नारा नहीं है। हमारा नारा ''सबका साथ, सबका विकास'' है। यह मन, वचन और कर्म से है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन इनके पेट में खोट है। ऊपर से चेहरा दूसरा है, भीतर से काला है। कासगंज की जो घटना है वह निश्चित है। ग्राह्यता होती क्या यह हमको समझा दें, आप समझा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलिए। ग्राह्यता में आपने कहा है कि केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की नीति एक हो तो ग्राह्यता में केन्द्र सरकार तो नही आएगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है कि जानबूझ कर इस प्रदेश को यह लोग जलाना चाहते हैं। मान्यवर, आप इस सदन के संरक्षक हैं और यह सदन प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है तथा आप भी प्रदेश की जिम्मेदारी से नकार नहीं सकते हैं। मुख्य मंत्री जी को अधिकार है, मंत्री मण्डल को अधिकार है तो महामहिम राज्यपाल और मा0 अध्यक्ष आपका भी अधिकार है। मान्यवर, आप अंकुश लगा सकते हैं कि प्रदेश का वातावरण खराब न किया जाए। मान्यवर, जिन लोगों पर हमला हुआ है। उन लोगों ने देश के लिए खून बहाया है, पसीना बहाया है, जेल गये हैं और फांसी भी काटी है। मान्यवर, मेरे पास इसके सारे तथ्य हैं और सी0सी0टी0वी0 के फुटेज की सी0डी0 भी है। जो नारे लगाये जा रहे थे, मुसलमानों को मारा-पीटा जा रहा था, घर जलाये जा रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थीं इन सब चीजों के तथ्य हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस कांड की निष्पक्ष जांच करायी जाए (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, जितने भी हिंदू और मुसलमानों के मकान, दुकान जलाये गये हैं उनका आंकलन करके उसका पूरा का पूरा मुआवजा उन लोगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी हिंदू की दुकान को नहीं जलाया गया है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्थगन के सवाल पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 26 जनवरी, 2018 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तब ऐसी स्थिति कासगंज में जल रहा था। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा हो रही है। मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूं। देश के गृह मंत्री और राज्य मंत्री ने भी लोक सभा में प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पूरे देश में 822 घटनायें साम्प्रदायिक हिंसा की हुई हैं जिसमें 195 घटनाएं अकेले उ0प्र0 में 2017 में हुई हैं। मान्यवर, हमारी यह सरकार कहती है कि कानून द्वारा कानून का राज तो कानून का राज यही है कि एक-एक मोटरसाईकिल पर तीन-तीन, चार-चार लोग बैठकर तिरंगा झंडा लेकर और भगवा झंडा लेकर नारा लगाते हुए चलें तथा दूसरे लोगों को उकसाने का नारा

लगाते हुए चलें और हम लोग यदि 26 जनवरी का झंडा फहरा रहे हैं तो हमारे यहां रुकावट डालने का काम करें। मान्यवर, अगर यही कानून का राज है तो ऐसे कानून का राज आपको मुबारक है।

मान्यवर, सबका साथ सबका विकास की बात की। अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया कि किस तरह से चिन्हित करके विशेष वर्ग की दुकानों को जलाने का काम किया जा रहा था। मान्यवर, मैं भी टी0वी0 पर देख रहा था। आगे-आगे लोग दुकानें जला रहे हैं और पीछे-पीछे पुलिस दिखायी पड़ रही है। लगता था कि पुलिस स्वयं दुकानों का जलवाने का प्रयास कर रही है। ऐसा दिखायी पड़ा। मान्यवर, यह तात्कालिक घटना है महत्वपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से इस प्रदेश की एक ज्वलंत समस्या है। यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, 2019 आने वाला है। चुनाव की दृष्टि से यह पूरे प्रदेश को जलाना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो जाये और चर्चा के माध्यम से सारे तथ्य आ जायें और जो मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सी0डी0 है उसको भी आप देख लें, जान लें और हमारी भी यह मांग है कि जो मृतक है, घायल हैं उनको जितना बढ़ाकर मुआवजा देना चाहिए दिया जाये। साथ ही साथ जो दुकानें जली हैं उनको भी पूरी तरह से मुआवजा दिया जाये और इसके साथ मान्यवर, हमारी भी यह मांग है कि हाई कोर्ट के वर्तमान जज के द्वारा एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करायी जाये और साथ ही साथ इस पर चर्चा करायी जाये ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, एक निवेदन यह है कि मा0 श्री सुखदेव राजभर जी सीनियर मेंम्बर हैं इनको दो मिनट सुन लें।

***श्री सुखदेव राजभर-**

मा0 अध्यक्ष जी, तुष्टिकरण के आधार पर यह जो सूचना-56 में दी गयी है मैं उस पर नहीं कहूंगा ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। आज सदन में ऐसे विषय पर जब चर्चायें होती है या ग्राहयता पर आप सुनते हैं। सदन में हम सत्ता, विपक्ष के साथी बैठे हैं। हम सब लोग राष्ट्रभक्त हैं। सब लोग देश के हैं। हर जाति और समाज का एक दूसरे से कहीं न कहीं सम्बंध है। अब इस पर अगर हम इस मानसिकता से बैठेंगे कि नेता प्रतिपक्ष उस मानसिकता के हैं, वर्मा जी उस मानसिकता के हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कासगंज की घटना हो या देश में प्रदेश में और भी हो रहा है आगे चल करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मा0 अध्यक्ष जी आज इस देश में जिस तरह से सेनाओं का गठन हो रहा है और तमाम संगठनों का गठन हो रहा है। राजनीतिक लोग उनका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तो केवल जल सेना, थल सेना, वायु सेना थी। आज कम से कम 15-20 सेना बन गयी हैं हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में भी। तमाम दल गठित हो रहे हैं और ऐसी मानसिकताओं से इन संगठनों और सेनाओं को तैयार किया जा रहा है कि केवल फर्जी तौर पर भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस का नाम लिया जा रहा है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि आज हमारे सत्तापक्ष के साथी भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के भी हम लोग नोटिस दिये हैं। हमारी नोटिस पर उनको तो मौका नहीं मिलेगा। देखिये जब आप चर्चा स्वीकार कर लेंगे तो उधर से भी वह सदस्य कुछ कहेंगे। कहना चाहते भी हैं। और ऐसे विषय पर चर्चा भी हो जाये ताकि हो सकता कि आइंदा एक अच्छा संदेश जाये। हम लोग अपनी विधान सभाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भाईचारा का माहौल बनाना शुरू कर दें कि उस सदन में चर्चा हुयी। दारोगा मारा जा रहा है। पुलिस को लोग दौड़ा-दौड़ाकर मार रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं। साथ में पुलिस चल रही है। किस दबाव में पुलिस थी कि कुछ नहीं बोल रही है।

श्री अध्यक्ष-

मुझे लगता है कि जब संसदीय कार्यमंत्री जी बोल लेंगे तब आप चर्चा की मांग नहीं करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ग्राह्यता तो मान्यवर, पहले इसी विषय पर हो गया। एक देश, प्रदेश की शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। जहॉ एक भाई की हत्या हुयी है। जिसके प्रति हम सब लोग भी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उसके लिए हम भी मांग कर रहे हैं कि उस दुखी परिवार के जितना सहयोग हो सकता हैं आप सहयोग करें। लेकिन उधर से भी थोड़ा दिल को बड़ा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपकी बात आ गयी।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, यदि हर जिले में 50 लड़के हो जायेंगे, झण्डे का अपमान भी करेंगे, लहरायेंगे वो झण्डा नीचे गिर जाता है कुछ डण्डा से उड़ जाता है तो उसको उठाते भी नही है। तिरंगा झण्डा फहराने का काम फैशन टॉइप का हो रहा है, अपमान किया जाता है आज वहां अपमान हुआ है। यहां पर एक मुसलमान भाई मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, वह भी राष्ट्रीय झण्डा फहराने के लिए 26 जनवरी मनाने के लिए बैठे हैं आपको तो खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए कि चलो आज गंगा-जमुना की तहजीब यहां से कासगंज जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि हो सकता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष या संसदीय कार्यमंत्री जी ने कुछ अलग तथ्य रखे हों या हमारे वर्मा जी ने अलग तथ्य रखें हो। कुछ बहस हो जानी चाहिए, हो सकता है कि चर्चा कराने का आप स्वीकार कर ले। हो सकता है कि एक संदेश पूरे प्रदेश में जाये कि सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर के इस घटना की निंदा किया है जो दुकानें लूटी गई है, इस तरह से बर्बाद की गई है उसको रोकने के लिए वहां दुख व्यक्त किया गया है। दोनों पक्षों से मैंने मिलकर एक सौहार्द का वातावरण बनाया है, इसलिए आप चर्चा जरूर स्वीकार करवा ले। इसकी जो रिपोर्ट आई होगी। यही तो गड़बड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी यह कासगंज की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मान्यवर, हर वर्ष 26 जनवरी को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकलती है और पिछले पच्चीसों साल से इस यात्रा का इतिहास है कि जिस मार्ग से यात्रा निकलती है उसी मार्ग पर एक बड्डुनगर चौराहा है और बड्डुनगर चौराहे पर जिस मार्ग से यात्रा निकलती है उसके ऊपर कुछ लोगों ने चौराहे पर रास्ते में ही कुर्सियां

डाल के मेज डालकर उस रास्ते को अवरूद्ध करने की कोशिश की। मान्यवर, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परंपरागत तरीके से प्रशासन कई कार्यक्रम करते हैं अपने-अपने जिलों में ठीक उसी प्रकार से पुलिस लाइन में भी अपना कार्यक्रम था। पूरा प्रशासन उसी में मशगूल था। जब यह तिरंगा यात्रा बड्डुनगर चौराहे पर पहुंची । जो कि परंपरागत तरीके से पच्चीसों साल से उसी रास्ते से निकलती थी तो जो लोग तिरंगा यात्रा में थे उन लोगों ने कहा कि परंपरागत तरीके से तिरंगा यात्रा चूंकि इसी रास्ते से निकलती है, इसलिए इसी रास्ते से हमकों निकाला जाए। ये शासनादेश भी हैं। अगर परंपरागत तरीके से कोई यात्रा, कोई जुलूस कोई प्रोसेशन निकलता है तो उसको उसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन रास्ता अवरूद्ध होना ही उस घटना का मेन कारक बना। अगर रास्ता अवरूद्ध न किया गया होता और इस प्रकार से वे लोग न बैठे होते तो यह तिरंगा यात्रा आसानी से निकल जाती तो मान्यवर, यह घटना नहीं होती। इसमें किसी प्रकार का सांप्रदायिक न तो तनाव था न कोई जैसाकि हमारे माननीय नेताओं ने बताया कि किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिकता का नाम नही था। यात्रा में चूंकि उन लोगों को रोका गया जब रोका गया तो उसके ऊपर रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में वाद-विवाद बढ़ा और वाद-विवाद बढ़ने के बाद मान्यवर, अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन नाम के लड़के को गोली लगी और उसकी मान्यवर, मृत्यु हो गई ये पूरी घटना है जो कुछ भी वाद-विवाद में नेता विरोधी दल ने या माननीय नेता बसपा ने या माननीय नेता हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा। मान्यवर, पूरी तरीके से उसके बाद का रिएक्शन है, उसके पहले की कोई बात नहीं है कि कहीं पर किसी को नुकसान किया गया हो, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया हो या किसी प्रकार का माहौल खराब करने की बात की गयी हो। लेकिन चूँकि परम्परागत तरीके से एक यात्रा निकलती है और उस यात्रा के रास्ते में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, क्या यह सवाल नहीं उठता है कि अगर रास्ते में किसी और को भी उसी प्रकार का फंक्शन मनाना है या राष्ट्रीय हित में कोई आयोजन करना है तो पहले परमीशन ली जाती है। 25 जनवरी से वहॉ पर धारा-144 लागू थी और 25 जनवरी से जो परम्परागत तरीके से जुलूस और यात्राऍं निकलती हैं, उनकी अनुमति तो होती है लेकिन जो नए तरीके से अगर कोई नया कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसको बाकायदा 25 जनवरी से परमीशन लेनी चाहिए। बड्डूनगर चौराहे पर मान्यवर, पूरी तरीके से रोककर, कुर्सियॉ और मेजें डालकर रास्ता चूँकि जाम किया गया, रास्ता अवरूद्ध किया गया, इसलिए रिएक्शन हुआ और मान्यवर, उस रिएक्शन के बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जहॉ तक सवाल है, यह सही है कि एक व्यक्ति की उसमें जान चली गयी, एक नौनिहाल की जान चली गयी, वह देश का भविष्य हो सकता था। मान्यवर, उस परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, पूरी संवेदना है, हमने उस घटना के बाद हर तरह से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से उस घटना का रिएक्शन न हो। यह कहना पूरी तरीके से निराधार है, मान्यवर, पूरी तरीके से असत्य है कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस ने प्रोत्साहन देकर यह कार्यक्रम कराया है। अगर पुलिस प्रोत्साहन देती तो बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन केवल उस रिएक्शन को रोकने के लिए पुलिस का फोर्स इस बात पर लगा रहा कि उस घटना का रिएक्शन न हो और मान्यवर, उस घटना में जो आरोपी थे, वह चूँकि दूसरे सम्प्रदाय के लोग थे, इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखायी गयी और उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके ऑसू पोछने के लिए, उनके दुःख को कम करने के लिए एक राशि भी उनको उपलब्ध करायी गयी। मान्यवर, इस प्रकार की कोई भी घटना

सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है और कोई भी पुलिस प्रशासन इस प्रकार की घटना को बढ़ावा नहीं देता है। यह पूरी तरीके से असत्य और निराधार है और माहौल को ये लोग खराब करना चाहते हैं। मान्यवर, हमने हर तरह से जैसे ही यह घटना हुई, आगरा जोन के पुलिस अधिकारियों, पूरे जोन के पुलिस अधिकारियों को वहॉ पर भेजा गया कि इस घटना का किसी भी तरह का रिएक्शन न हो और मान्यवर, उसको कन्ट्रोल किया, पूरी तरीके से कन्ट्रोल किया, छुट-पुट घटनाऍं हुईं, उसके रिएक्शन में हुईं, मान्यवर, जो परिस्थिति है, वह हम आपके सामने पूरी तरीके से सच्चाई बखान कर रहे हैं और जैसा कहा गया कि सरकार का सुनियोजित एजेण्डा है, इस प्रकार की मान्यवर, कोई बात नहीं है, यह हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमने पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे प्रशासन ने इस बात की कोशिश की कि इस घटना का कोई रिएक्शन न हो और हर प्रकार से कोशिश करके हमने वहॉ पर व्यवस्था की। पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की, हमने पूरे जिले को, पूरे कासगंज नगर को दो जोन में बांट कर वहॉ पर पुलिस पेट्रोलिंग और हर प्रकार की जो मुस्तैदी हो सकती थी, वह मुस्तैदी की और उसके अलावा दोनों समुदायों की बैठकें कर के आपस में भाईचारा बनाने की पूरी कोशिश की और जो लोग अपराध में दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जैसी अपेक्षा रहती है कि जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस प्रकार की मान्यवर, कार्रवाई भी की गयी और किसी प्रकार की, कोई नाजायज किसी को उत्पीड़ित करने के लिए या किसी को परेशान करने की दृष्टि से कोई ऐसा एक्शन नहीं किया गया जो मान्यवर, आपत्तिजनक हो। 81 लोगों के खिलाफ विरोधात्मक कार्यवाही 151, 107(16) के अन्तर्गत मान्यवर जो हमारे पास रिपोर्ट आई है इस पर की गयी। धारा 144, 10 मार्च तक आयोजित की गयी है और मैं समझता हूं कि फिलहाल वहां पर शान्ति है जो आपने एक बात वहां पर कही, एक धार्मिक स्थल के बारे में तो उसके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में भी एक रिपोर्ट क्राईम नम्बर गंज ढुंढवारा की घटना है वह इसके बाद की घटना है, उसके रिएक्शन में जो कुछ हुआ उसके बाद की घटना है कि क्राइम नम्बर 14/18, 153ए (1वी) 295, 436 यह उसके बाद की घटना है। इसमें जो आई0ओ0 हैं, मो0 शईद खां हैं गंज ढुंढवारा के, वह इसकी तफतीश कर रहे हैं और मैं आपको पूरे सदन को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे तरह से प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक का सम्मान करती है, हर नागरिक की भावना का सम्मान करती है।

हर नागरिक की आस्था, धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का भेद-भाव इस नाम पर नहीं होगा कि कौन किस जाति और कौन किस बिरादरी का है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो भी घटना हुई मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं, हमारी हर सम्भव प्रयास है कि किसी भी तरीके से घटना का कोई रिएक्शन न हो, कोई पुनरावृत्ति न हो और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति, पूरी संवेदना है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है जो लोग दोषी हैं, उन लोगों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चूंकि मैं उस जनपद का रहने वाला हूं, मेरी विधान सभा से लगा हुआ मामला है। वहां के असली तथ्य को मैं आपके सामने रख सकता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

ये अपने क्षेत्र का मामला बता रहे हैं। अजय जी आपका विषय दूसरा है आपका लॉ एण्ड आर्डर पर है, आपका बाद में सुनेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं कहता हूं कि यह प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तात्कालिक है, निश्चित है और इससे पूरे प्रदेश में रोष फैला हुआ है। लोग भयाक्रान्त हैं इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी इधर के भी माननीय सदस्यों को जो अपनी राय देनी हो दे दें और उधर के भी दे दें और एक निश्चित राय पर पहुंचा जाये कि जिन लोगों ने प्रदेश की सम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी का तो स्पष्टीकरण आ गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

स्पष्टीकरण तो आ गया चर्चा तो आप करायें। सारे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई नहीं बोलना चाहते संसदीय कार्य मंत्री जी बोलेंगे केवल, संसदीय कार्य मंत्री जी बिन्दुवार क्राईम नम्बर बताते हुए बता देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ इधर भी कृपा करें। संसदीय कार्य मंत्री जी का वाचन हो गया जो हम लोगों ने बात उठाई संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

हां तथ्यों के साथ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तथ्यों के साथ तो दिये हैं पर असत्य थे। असत्य के साथ भी तो दिये हैं। 26 जनवरी मना रहे लोगों को कह रहे हैं कि रास्ता रोक लिया और कह रहे हैं कि धारा-144 लागू थी, अगर धारा-144 लागू थी तो धारा-144 में 200 मोटर साइकिलें कैसे आ रहीं थीं। नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं थी। क्या परमिशन की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें सब बोल लिये अब चर्चा की कोई आवश्यकता तो है नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो इन्होंने न रखा हो। एक ही बात को बार-बार दोहराना, एक ही बात को बार-बार रिपीट करना। ये प्रदेश में शान्ति नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी समाजवादी पार्टी शान्ति नहीं चाहती है। इनके जमाने में प्रदेश का क्या हाल था ?

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इनका कार्यकाल था तो 2014 में 58, 2015 में 24, 2016 में 38 ऐसी घटनाएँ पूरे प्रदेश में हुईं।

श्री अध्यक्ष-

आप सबका वेल में स्वागत है लेकिन अब आप अपनी जगह चले जाइए। अब आप लोग चले जाइए। आपका भी मनोरंजन हो गया।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

(नारों से उत्पन्न घोर व्यवधान की स्थिति एवं घोर व्यवधान के मध्य)

आपका यहाँ से बोला गया कोई भी शब्द कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। वेल ऑफ द हाउस से कही गई कोई बात या आपकी नारेबाजी कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी। आप लोग अपनी जगहों पर चलें। वेल से कोई विषय कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आप धरना दे सकते हैं।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में बैठ गए)

मैं इस कार्य स्थगन को निरस्त करता हूँ। मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी क्या आप अपनी नोटिस के विषय पर बोलना चाहेंगे ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं बोलना चाहूँगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हाउस तो व्यवस्थित करवाइए।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

01 बजकर 57 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

02 बजकर 12 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दिया है।

02 बजकर 42 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 03 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है।

03 बजे मार्शल विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

03 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

(सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ होने पर सदन के वेल से सदस्यगण तख्त बदल दो, ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप अपने आसन ग्रहण कर लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप माननीय सदस्यगण को बोलें कि वे कृपया अपने अपने स्थान पर चले जायं। उसके बाद आप दोनों बात कर लें।

(सदन के वेल में बैठे सदस्यगण अपने अपने स्थान पर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय नेता विपक्ष और माननीय नेता बसपा ने कासगंज की घटना के ऊपर जो अपने विचार सदन में ग्राहयता पर व्यक्त किये थे उस सम्बन्ध में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार की मंशा पूरी तरीके से सभी को न्याय दिलाने की है। हम इसके प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि न्याय हो और न्याय दिखाई पड़े। उधर से माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति भी व्यक्त की थी और जाँच के सम्बन्ध में कुछ विशेष मॉग रखी थी, तो मैं इस बात को आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच होगी। उसके लिये एक एस0आई0टी0 (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम)गठित कर दी है जो उसकी जाँच करेगी। जो थाने की पुलिस है वह जाँच नहीं करेगी। एस0आई0टी0 को इस बात की हिदायत रहेगी कि पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करे। न्याय हो और न्याय दिखाई पड़े सरकार का यह नारा भी है और मान्यवर, व्यवहार में भी हम इसी बात का पालन करेंगें कि एस0आई0टी0 गठित करके हम उसमें जल्दी ही अग्रिम कार्यवाही जैसी कि रिपोर्ट आयेगी उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगें और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगें उनको सजा जरूर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अजय कुमार जी कुछ कहना चाहते थे कहें।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू' -**

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःख का विषय है कि आज प्रदेश में जो सरकार आई है और इतने बड़े मैनडेट पाने के बाद भी अराजकता का माहौल है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कासगंज की घटना इस बात का सबूत है कि जिस तरह की घटना वहॉ हुई। वहॉ न हिन्दू मरा न मुसलमान मरा मानवता की हत्या हुई है। महोदय, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा के दौरान धारा-144 लागू की गई थी। महोदय, यह कौन सा देश है, क्या हम जिस आजाद देश के नागरिक हैं उस आजाद देश में 26 जनवरी और 15 अगस्त को धारा 144 लागू होता है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है महोदय आजाद देश में जहॉ हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं उस दिन 144 लागू। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ महोदय। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह लोग अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला रहे हैं। महोदय, उस दिन की घटना हुई एक लोग, एक वर्ग जो वहॉ झंडारोहण कर रहा था यात्रा निकली और यात्रा की सूचना किसी को नहीं दी गई।

आमूमन महोदय पूरे देश में चौक पर, चौराहों पर हम तिरंगा फहराते हैं आजाद देश में जहां हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं उस दिन धारा-144 लागू हो, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ महोदय, मुझे तो लगता है यह लोग अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला रहे हैं। महोदय, उस दिन की घटना हुई एक वर्ग जो वहां झंडारोहण कर रहा था, यात्रा निकली और यात्रा की सूचना किसी को नहीं थी, इस दिन पूरे देश में, गॉव में, चौक पर चौराहों पर, तिरंगा फहराते हैं राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मनाते हैं और यह हर गॉव, हर टोले में हर साल होता है लेकिन उस दिन अगर कुछ लोग वहां तिरंगा फहराने जा रहे थे तब मोटर साइकिल जुलूस निकला था तो उन लोगों ने यही तो कहा था कि आप इसमें शरीक हो जाइए और तिरंगा झंडा जब फहर जाएगा तो आप यहां से निकल जाइएगा। इतना कहना था महोदय वहां लूट-पाट डकैती आगजनी और सारे दौर चले।

उस दिन तो घटना का दिन था और दूसरे दिन क्या था महोदय, पुलिस की भारी विफलता सामने आई उस दिन घटना हुई, आज तक कासगंज जल रहा है। रोज कहीं न कहीं हिंसा का दौर है, यहां तक कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को वहां जाने की मनाही है। हम राजनीतिक दल के लोग वहां जाकर स्थिति का अवलोकन करना चाहते थे, देखना चाहते थे, वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहते थे महोदय, कांग्रेस के लोग जब जाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों ने रुकवाने का काम किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मृतकों के प्रति संवेदनायें व्यक्त करता हूँ जो घायल हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं आपके माध्यम से मॉग करता हूँ कि इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जाँच कराकर,और नेता प्रतिपक्ष और नेता ब0स0पा0 से अपने को सम्बद्ध करते हुए, जिन लोगों की दुकानें जली, चाहे वह किसी जाति सम्प्रदाय के हों,उन लोगों का ऑकलन करके और मुआवजा देते हुए उनके पुनः जीर्णोद्धार की व्यवस्था करने का कष्ट करें आपके माध्यम से मैं सरकार से यह गुजारिश करता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी यह मॉग है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एस0आई0टी0 की बात कही है। मान्यवर, अभी आपने देखा कि अलीगढ़ में दरोगा को दौड़ा-दौड़ा कर मारा जा रहा था। जिसने मारा उसकी थाने से मुचलके पर जमानत हुई जा रही है। वह पार्टी विशेष का था तो जमानत हुई जा रही है। तो जब पुलिस इतनी कमजोर हो गई है इस सरकार के जमाने में, तो उसकी जाँच किसी भी रूप में हों,चाहे एस0आई0टी0 की हो चाहे लोकल पुलिस की हो उससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए न्याय की जाँच आवश्यक है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जाँच कराई जाए यह हमारी मॉग है और मैं इस पर बल देता हूँ। मैं चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसको मान लें और चूँकि संसदीय कार्यमंत्री जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो सरकार के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री लालजी वर्मा ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, शुरू में ही अपनी बात में कहा था कि कासगंज में 26 तारीख से लेकर आज तक आतंक का वातावरण बना हुआ है। स्पष्ट हम लोगों का आरोप है आरोप ही नहीं है सही भी यह बात है कि एक वर्ग विशेष पार्टी से संबंधित लोग अल्पसंख्यकों पर हमला बोले हैं उनकी दुकान लूटी,जबरिया गिरफ्तारी हो रही है। गॉव, कस्बा खाली हो गए हैं। मुसलमान भय की वजह से,ताला देकर लोग घरों से भाग गए हैं। बूढ़ी महिलाओं बेटों को घरों से खींचा जा रहा है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं यह बात नहीं है वह बात है। यह कैसे निष्पक्ष होगा निष्पक्ष तभी होगा जब हाई कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी जाँच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पुलिस पर आपको खुद विश्वास नहीं है,सारी जो इन्क्वायरी करा रहे हैं हमारी सरकार के

कामों की वह सी0बी0आई से करा रहे हैं सी0बी0सी0 आई0डी0 से नहीं एस0आई0टी0 से नहीं सी0बी0आई0 से जाँच करा रहे हैं तो इनको खुद अपनी पुलिस पर विश्वास नही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इनको खुद अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सारी इनक्वायरी तो सी0बी0आई0 से करा रहे हैं, हमारी सरकार के कामों को सी0बी0आई0 से जांच करा रहे हैं, सी0बी0सी0आई0डी0 से नहीं एस0आई0टी0 से नहीं, सी0बी0आई0 से, इनको खुद अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है और हम पर थोप रहे हैं तो यू0पी0 पुलिस से ही आप एस0आई0टी0 का गठन करेंगे, उस पर भी मा0 नेता बसपा ने कहा कि कितनी बुरी तरह पुलिस वाले पीटे गये हैं और आपके लोगों ने पीटा, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कई-कई जगह की घटनायें हैं। मैं बल देता हूं मान्यवर, मुसलमानों पर जो अत्याचार, दुराचार, अनाचार हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच हाई कोर्ट के जज से कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे एक मा0 सदस्य खड़े हुए, उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया, मेरे पास निश्चित रूप से रिपोर्ट है कि 25 जनवरी से ही आचार संहिता 10 मार्च तक के लिए 144 धारा सीआईसीटी लागू कर दी गयी थी। वह ऐसी चीज नहीं है, एक नोटिफिकेशन होता है, पब्लिसाइज भी होता है, लोगों को जानकारी भी दी जाती है और जो परम्परागत तरीके से प्रोशेसन निकलते हैं, वह प्रोशेसन निकलते हैं बाकी धारा 144 लागू होने की स्थिति में कोई भी नयी परम्परा या नया कार्यक्रम करने के लिए अधिकारियों को सूचित करके उनसे परमीशन लेनी पड़ती है, यह प्रक्रिया है। कासगंज में भी 25 तारीख को धारा-144 लागू हुई, 10 मार्च तक के लिए और जो भी घटना मा0 नेता, कांग्रेस ने बतायी, वह जब अभिषेक गुप्ता की हत्या हो गयी थी, उसके बाद में छिटपुट घटनायें हुई थी, घर में उसका नाम चन्दन था और पूरी तरीके से शासन के निर्देश पर मुस्तैदी से वहां पर कार्यवाही की गयी है और उसमें जितनी भी सतर्कता बरती जा सकती थी, बरती गयी और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन विषयों पर सी0बी0आई0 की जांच हमने रिकमण्ड की है, वह प्रदेश से अकेले संबंधित होते तो यहां की एस0आई0टी0 से या यहां की लोकल पुलिस से जांच करा देते, लेकिन जिनका इशारा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया, वह यहां से संबंधित नहीं था, महाराष्ट्र से संबंधित था, दूसरे प्रदेशों से वहां की जड़ें उससे संबंधित थी, इसलिए वहां की जांच सीबीआई को भेजी गयी है, जहां तक स्थानीय पुलिस पर भरोसे का संबंध है, हम पूरी निष्पक्षता के साथ इस बात से आपको आश्वस्त करते हैं कि पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम भी करेगी और मेरा हमारा यह स्थायी निर्देश है कि न्याय सबको मिले और न्याय दिखाई भी पड़ना चाहिए।

अभी तक जिस दिन से यह सरकार आयी है, इनका ट्रैक रिकार्ड देख लें और हमारा ट्रैक रिकार्ड देख लें, इनके जमाने में बहुत सी घटनायें ऐसी हुई, यह तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गयी, स्पॉनटेनियस रियेक्शन। अगर तिरंगा यात्रा को ठीक ठाक तरीके से निकलने दिया जाता तो यह घटना नहीं घटित होती। बॉर्न और कन्टेन्शन है, जो झगड़े की जड़ है, वह तो हमारे सारे मा0 नेता लोग छिपा गये कि जिसकी वजह से घटना हुई, रियेक्शन क्यों हुआ? बात क्यों बढ़ी? रियेक्शन और बात बढ़ने की वजह सिर्फ यह थी कि उस यात्रा का जो पिछले 25-30 वर्ष से निकलती है, उसका रास्ता

रोका गया। अगर रास्ता नहीं रोका जाता तो शायद यह घटना नहीं होती और उसमें भी एक नौजवान हताहत हुआ, आप उसे चाहे जिस दृष्टि से देखें, हमारी समझ से नौजवान था, नौनीहाल था, हो सकता है कि इस देश का भविष्य बनता, यह सही है, लेकिन इस चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए और जितने भी आरोप उधर से लगाये गये हैं, हम किसी भी वर्ग, किसी भी सम्प्रदाय को न तो हम किसी का अपमान करना चाहते हैं न तो हतोत्साहित करना चाहते हैं, हमारी नजर में सभी सम्मानित हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहॉ चालीस प्रतिशत से ऊपर माइनारिटी के लोग हैं और सभी से मेरे सम्बंध बहुत मधुर हैं बहुत कोआर्डियल रिलेशन्स हैं एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी करना एक दूसरे के सुख दुख में हर प्रकार से साथ देने के लिए हम जिस परम्परा में पले बढ़े हैं हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते आए हैं एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। हम इस चस्मे से किसी को नहीं देखते कि कौन सा व्यक्ति किस जाति या विरादरी का है। यह कहना कि छांट छांट कर एक विशेष बिरादरी को नुकसान पहॅुचाने के लिए इस प्रकार की घटना हुई यह पूरी तरह से मित्थ्या और निराधार है हम पूरी तरह से इस बात का खण्डन करते हैं सरकार सबका सम्मान करना चाहती है किसी का निरादर इस आधार पर नहीं किया जाता कि कौन किस जाति और किस बिरादरी का है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस एस0आई0टी0 के माध्यम से हम न्याय सुनिश्चित करेंगे और न्याय होता हुआ दिखाई भी पड़े यह भी हम सुनिश्चित करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी इससे साफ जाहिर हो गया माननीय संसदीय कार्य मंत्री के बयान से कि जिस बात को हमने नेता बसपा ने या जो कांग्रेस दल के नेता ने कही है वह बात बिल्कुल सही है अगर सही नहीं होती तो दूध का दूध और पानी करने के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जॉच कराने में इनको क्या दिक्कत थी। इसलिए क्योंकि मन में चोर है और जानबूझ कर मुसलमानों को अपमानित किया गया है 26 जनवरी को झण्डा फहराने वाले लोगों को एक तरफ कहा जाता है कि तुम हिन्दुस्तान में हो और झण्डे का सम्मान नहीं करते हो दूसरी तरफ जब वह झण्डा फहरा रहा है तब आप तोड़फोड़ कर रहे हो मार रहे हो किसकी गोली से वह मरा। क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा कर रहे हैं। न वहॉ आप थे न कोई यहॉ का माननीय सदस्य था किसकी गोली से चन्दन गुप्ता की मौत हुई है इसका खुलासा कैसे होगा इसका खुलासा तभी होगा जब हाईकोर्ट के जज इसकी तफ्तीस करें। मैं कहना चाहता हूँ जिसको आपने मुल्जिम बनाया है उन लोगों ने गोली नहीं चलाई है जो सी0डी0 देखी गई जो वीडियो मोबाइल पर वायरल हो रहे हैं यह तीनों फुटेज जिसकी सी0डी0मेरे पास है यह अध्यक्ष जी मैं आपको दिखलाऊॅगा पत्रकार साथियों को दिखला दूॅगा पूरे सदन को दिखला दूॅगा आप यहॉ पर स्क्रीन लगवाकर वीडियो दिखवा दीजिए। इतना असत्य प्रलाप सदन में नहीं होना चाहिए। जानबूझकर एक पार्टी इस देश के इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों की छाती पर मूॅग दलने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी इसका प्रतिरोध करती है विरोध करती है चूॅकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जॉच हाई कोर्ट के जज से कराने से भाग रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की इस सूचना को पहले ही अग्राह्य घोषित कर दिया गया था।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री विक्रम सिंह जी ने कहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आप तो इस पर बोल चुके हैं।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

यह जो बसपा और सपा के लोग गलत बयानी कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके पहले वहॉ झण्डारोहण किया गया था।

श्री अध्यक्ष-

धीरेन्द्र जी बैठिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मुस्लिमों के इलाके में जाकर इस तरह से कहना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत में रहना है तो जयश्री राम कहना है । यह नारे देकर कहीं न कहीं उन्माद फैलाने का प्रयास किया जाता है। महोदय मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था हम भारत में हैं या किस देश में यह तय हो जाए। भारत में रह कर झण्डा फहराने के लिए क्या किसी तरह की इजाजत लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह हो गया। यह पहले बोल चुके हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यह देश सभी वर्गों का है सभी जातियों का है सभी सम्प्रदायों का है 26 जनवरी के लिए हमें किसी से इजाजत नहीं लेनी है। हमनें खून दिया है, हम फॉसी पर चढ़े हैं। 1927 में जब वंदे मातरम् और भारत माता की जयकार की गयी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम् और भारत माता की जय कहने में कतराते थे। कांग्रेसियों ने खून दिया है, लेकिन इन लोगों ने 26 जनवरी का अपमान किया है।

(इसी मध्य नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मण्डल दल श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ अपनी बात कहते हुये सदन के वेल में आ गये और '26 जनवरी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे' के नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' (सदन के वेल से)-

मान्यवर, क्या [x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा। आप लोग अपनी सीट पर जाईये। आप कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेता हैं। इसलिये यह आपको शोभा नहीं देता है, यह अशोभनीय है। आप अपनी सीट पर चलिये।

नोटः- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस पूरी घटना की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जाँच कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपनी-अपनी सीट पर जाईये।

(तत्पश्चात् श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ अपने-अपने स्थानों पर चले गये।)

मैं प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' आदि की सूचना अग्राह्य करता हूँ।

(इसी मध्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

***श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मा0 अध्यक्ष जी, जब सरकार ने एस0आई0टी0 की जाँच बैठा दी और अभी जाँच रिपोर्ट नहीं आई है तो उस पर हो-हल्ला करने का क्या औचित्य है? जब यही नेता विरोधी दल जब सत्ता में थे तो इनकी पॉच साल की सरकार में 748 दंगे हुये थे और उस समय किसी पर भी जाँच नहीं बैठायी गयी थी। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि यह लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने इमरजेंसी के माध्यम से पूरे देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जाने का काम किया था, ऐसे लोगों को लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं हैं, इनको संवैधानिक परम्पराओं में कोई विश्वास नहीं है इसलिये उनके इस प्रश्न का भी कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत अच्छा बोले। नियम-56 की अगली सूचना मा0 पारसनाथ जी की लखनऊ-जौनपुर वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित लखैवा बाजार में श्री प्यारे लाल की हत्या व ग्राम सरैया के श्री संजय मौर्या की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसे मैं अग्राह्य करता हूँ। शेष सूचनाएं भी अस्वीकार की जाती हैं।

[03:34] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनीष असीजा जी, आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रख चुके हैं। अब आप बोलिये।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बेहतर होता कि विपक्ष के साथी इस अवसर पर जरूर उपस्थित रहते, क्योंकि इस अभिभाषण की चर्चा में अगर एकतरफा कोई पक्ष रखा जाए तो वह भी न्यायसंगत नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

वह सुन रहे हैं।

(सदन में हँसी)

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार के आने वाले वर्ष के क्रियाकलापों का, उसकी नीतियों का एक रोडमैप होता है। हमारी सरकार में महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है इसको अगर देखा जाये तो यह समग्र दृष्टि से हमारी सरकार की बहुआयामी सोच और प्रदेश की बाइस करोड़ जनता के लोक कल्याण का एक ऐसा दस्तावेज है जो आने वाले चार साल के सफर में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों से लेकर छात्रों से लेकर मेहनतकश मजदूर से लेकर उद्योग और उद्यमिता में लगे हुये व्यवसायी और उद्योगपतियों से लेकर कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माननीय योगी जी की सरकार की दृष्टि नहीं गई है। बहुत साफ-साफ अगर कहा जाये तो नेता विरोधी दल भी शायद इसका सामना नहीं करना चाहते थे इसलिये जा रहे हैं। बहुत अच्छा होता अगर यह सुनते कि क्या इनकी पिछली सरकार की परफारमेन्स थी और क्या हमारी सरकार ने दस महीने के अंदर करके दिखाया है। बहुत बेहतर होता कि एक बार वह रुक जाते और सुनते कि किस तरह आपकी सरकार ने अपराधियों के सामने, माफिया के सामने और सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गठजोड़ के सामने घुटने टेके।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वह यह किया कि जो जनता के संसाधन हैं और जो जनता के टैक्स का पैसा है जिसको कोई भी सरकार बजट के माध्यम से खर्च करती है उसकी लूट के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगाया है और यह हर क्षेत्र में लगाया। खनन में किस प्रकार से पिछली सरकार में लूट हो रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही नई खनन नीति को लागू किया और इस नई खनन नीति को लागू करने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ, अगर विपक्ष के साथी होते तो शायद सुनकर उनको अचम्भा होता कि जनवरी, 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन से जो राजस्व से प्राप्ति हुई थी वह 1200 करोड़ रूपये की थी, लेकिन हमारी सरकार में जून से यह नीति लागू हुई है और जनवरी, 2018 तक यह राजस्व राशि 2248 करोड़ रूपये हो गई है, यानी कि लगभग दूनी हो गई है। यह केवल एक विभाग की बात नहीं है। किस प्रकार से इनकी सरकार ने सबसे अधिक राजस्व देने वाले आबकारी विभाग से जो एक गठजोड़ बनाकर रखा हुआ था जो कुख्यात मेरठ स्पेशल जोन के नाम से मशहूर था एक माफिया को सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की छूट मिली हुई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में उसका एकाधिकार चलता था, उसकी मनमानी चलती थी और उसका परिणाम जो था वह यह था कि आबकारी विभाग में पिछली सरकार में इनका मार्च तक का जो राजस्व था वह 14273 करोड़ था। हम लोगो की नई आबकारी नीति आई है इस नये वर्ष के लिए लेकिन उसके बावजूद योगी जी की सरकार की यह हनक है कि जो इनका 14273 करोड़ रूपया इकट्ठा हुआ लेकिन हमने इस साल में 16000 करोड़ की धनराशि इकट्ठी करके दिखाई है।

इसी प्रकार से परिवहन विभाग में खुलेआम समाजवादी पार्टी और उसके गुर्गे दो नम्बर के डग्गेमार वाहन संचालित किया करते थे कोई पूछने वाला नहीं था। सत्ता के संरक्षण में अवैध बसों का संचालन होता था। हमारी सरकार ने परिवहन विभाग में उन सब खराब स्थितियों को दूर किया है। हमारी सरकार ने 72 सौ नये गावों को बस की सेवाएं दी हैं। मान्यवर, पिछली सरकार में पिछले साल जहां 4050 करोड़ का राजस्व परिवहन विभाग से अर्जित हुआ था वहीं हमारी सरकार में यह आंकड़ा 52 सौ करोड़ है। वाणिज्य कर में हम लोगों ने छः हजार करोड़ से अधिक का राजस्व वसूला है। अगर देखा जाए तो इसी वर्ष एक साल के अंदर इन तीन-चार मदों में ही हमारी सरकार ने दस हजार करोड़ की धनराशि अधिक वसूली है मान्यवर, यह कोई ऐसी धनराशि नहीं है जो प्रदेश की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला जाए। यह वह धनराशि है जो पिछले सत्ता तंत्र में गठजोड़ के माध्यम से निजी जेबों में जा रही थी। जनता का पैसा जनता के काम में आने की जगह उस समय की सरकार की जेबों में जाने का काम कर रहा था।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन लोगों ने इस बार नया कौतुक उत्पन्न किया है। पिछली बार सीटियां बजाई थीं। इस बार गुब्बारे उड़ाये। आलू की माला भी गले में डालकर आए। किसानों के लिए भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया। अखबरों में, टीवी में इन लोगों ने खूब बोला। मान्यवर, अगर यह लोग यहां होते तो पता लगता कि किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले इन लोगों नें पिछले पांच सालों में किसानों को क्या दिया और मा0 योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दस महीने में किसानों को क्या? मान्यवर, आजादी के इतिहास के बाद किसानों को शायद उनके खाते में इतना बड़ा लाभ आज तक किसी सरकार ने पहुंचाने का कार्य नहीं किया है। पिछले दस माह में मा0 योगी जी की सरकार ने 75 हजार करोड़ की धनराशि किसान भाइयों के खातों में सीधे-सीधे हस्तांतरित करने का काम किया है। मान्यवर, मैं अपने गन्ना मंत्री की प्रशंसा करना चाहता हूं कि पिछले सारे बकाये उन्होंने चुकाये हैं। चाहे वह गेहूं की खरीद हो उसमें 6 हजार करोड़ से ऊपर का भुगतान किया गया है। चाहे धान की खरीद हो उसमें 50 लाख टन के लक्ष्य के सापेक्ष 40 लाख टन की खरीद हम लोग कर चुके हैं। गेहूं की खरीद हम लोगों ने पिछले सालों की तुलना में साढ़े चार गुना अधिक करी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न उनके लिए खुला छोड़ता हूं कि आपके द्वारा वर्ष 2014 में आलू की जो नीति लाई गयी थी उसके लिए आपने क्या किया? मान्यवर, इससे ज्यादा खेद की बात और कुछ नहीं हो सकती कि पिछले कई सालों से हमारा प्रदेश ऐसे हाथों में रहा है जिन्होंने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा पार कर दी।

मान्यवर, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि मा0 मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य में हम सबको बता रहे थे कि वर्ष 1994 का एक पुराना जी0ओ0 था और उस जी0ओ0 में एक आदेश था कि डार्क एरिया में नये ट्यूबबेलों की स्थापना नहीं होगी और यह 1994 से लगातार चलता आ रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अवगत कराया कि एक दिन उन्होंने उस जी0ओ0 का अध्ययन किया और कहा कि इस जी0ओ0 में यह सब बातें तो नहीं हैं जिसका अनुपालन किया जा रहा है। उस जी0ओ0 का अध्ययन करने पर पता लगा कि उस जी0ओ0 का जो मूल भाव था वह यह था कि जो डार्क एरिया हैं वहां पर ऐसे उद्योगों की स्थापना पर रोक लागाई जाएगी जिसमें पानी का उपयोग बहुत अधिक है। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया, लेकिन हमारी सरकार का ध्यान इस पर

गया है और वहां पर ट्यूबबेल की स्थापना की रोक को हटाया गया। किसानों को उसमें लाभ मिला है। उसमें हमारा भी बहुत बड़ा क्षेत्र है नारखी जहां के किसान बहुत पीड़ित थे। इस प्रकार की चीजें इस सरकार की आंखों के सामने से निकली थीं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले वर्षों के कुछ अभिभाषण देख रहा था तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी इस पर जरूर गौर करेंगे। 2014, 2015 और 2016 सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें कि किसानों की सबसे अधिक सुविधा और सहायता की जा सकती है जिस विभाग के माध्यम से बिना एक अक्षर बदले यह लगातार सरकार में हर बार अपने इस दस्तावेज में, यह मैं आपको पढ़कर सुनाऊ कि मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की 19 चालू परियोजनाएं तथा वाण सागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना, कचनौंदा बांध, अर्जुन सहायक परियोजना, चौधरी चरण सिंह धरचूरा बांध, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण ये सब करते हुए तथा रुपये 590.28 करोड़ व्यय करके 47.80 हजार हेक्टेयर संचयन क्षमता के सृजन के साथ-साथ सौर ऊर्जा एवं सूचना तकनीकी के समुचित विकास का प्रस्ताव है। मा0 अध्यक्ष जी, यह 2016 का दस्तावेज है बिल्कुल एक भी अक्षर को बदले बगैर यही का यही 590.28 करोड़ व्यय करके 47.80 हजार हेक्टेयर सेंशन का प्रस्ताव है। यही 2015 में 2014 में देखा जाये 2016 में भी यही का यही है। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी करनी चाही। मा0 अध्यक्ष जी, अगर ये होते तो सुनते अपने कारनामे कि ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना लगभग इसमें 13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाने की क्षमता की यह परियोजनाएं हैं। बरसो बरस से अटकी हुई हैं इसके लिए इन्होंने एक पैसे का बजट जारी नही किया और लगातार अपनी सरकार के दस्तावेज में इसको इस प्रकार दिया कि जैसे की ये कोई अपने आपमे कोई काम करने की चीज ही नही है। इतने तत्पर तो मा0 अध्यक्ष जी, संतोष हो जाता, लेकिन वो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह लगी कि 2016 में सरकार को यह ध्यान आया कि हमको 'गोमती रिवर फंट' को सुंदर बनाना है। इसी सिंचाई विभाग का इन्होंने 556 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया। 556 करोड़ के प्रावधान के बाद इन्होंने उसको रिवाइस कर दिया, 1513 करोड़ रुपये कर दिया, उसमें 1433 करोड़ रूपया खर्चा कर दिया। उसके बाद इन्होने तीसरा पुनरीक्षित प्रस्ताव रिवाइस इस्टीमेट 2400 करोड़ का मूव किया जो सौभाग्य इस प्रदेश की जनता का है कि उन्होंने इनको ठीक जगह पर पहुंचा दिया नहीं तो वो आज 2400 करोड़ में चौथा प्रस्ताव भी आने जा रहा था। यह इनकी सरकार की दृष्टि थी। जहां 13 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता की ऐसी नहरो के काम के लिए इनके पास एक पैसा देने को नहीं था। वहां पर 'गोमती रिवर फ्रंट' पर किस प्रकार एक पैसा जारी किया उससे करीब-करीब दुगुना-तिगुना पैसा इन्होने खर्च करने की स्थिति बना दी।

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए बड़ा संतोष है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा हमारी सरकार के द्वारा इन परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना में एक हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त करी है। मा0 अध्यक्ष जी, अर्जुन सहायक परियोजना में 100 करोड़ की धनराशि मुक्त करी गई है और आने वाले समय में इन परियोजनाओं को 2019 तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, दिसंबर 2019 तक अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना को दिसंबर 2020 तक पूरी कर ली जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी यह अत्यंत महत्व की योजना

को पूरा होने पर लगभग एक करोड़ नागरिकों को किसानों को सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। उस क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा वहां पर किसानी का, कृषक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। वहॉ पर कृषकों की आय बढ़ेगी और उसके बदले पिछली सरकार के यह लोग जो यहाँ आलू की माला डालकर या इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं काश अगर वह यहाँ उपस्थित होते तो जवाब देने की स्थिति बनती। मा0 अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त मा0 योगी जी के नेतृत्व में जहॉ गन्ना किसान के भुगतान पर अभूतपूर्व रिकार्ड भुगतान किया गया। वहीं उसके साथ-साथ जो तीन बंद पड़ी हुयी चीनी मिलें हैं, वीनस चीनी मिल सम्भल, दया चीनी मिल सहारनपुर, बुलन्दशहर चीनी मिल बुलन्दशहर। इन तीनों को चालू करने का कार्य भी किया गया है। इसके साथ-साथ मा0 अध्यक्ष जी, दो बंद चीनी मिलों पिपराइच, गोरखपुर, मुण्डेरवा बस्ती के स्थान पर दो नई चीनी मिलें लगाये जाने का भी प्रस्ताव है। यह अपने आप में हमारी सरकार का इस प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनाधार वाले नागरिकों के प्रति यह सोच यह पहली कैबिनेट का प्रस्ताव था, और जब किसी को यह दिखता नहीं था कि यह 36 हजार करोड़ रूपये जैसी बड़ी धनराशि जो किसानों के ऋणमोचन के लिए उपलब्ध करानी थी, पहली कैबिनेट के लिए सरकार ने उसको पास करके उसको बॉटने का काम किया।

सरकार ने पहली कैबिनेट से ही यह सीधा-सीधा संदेश दे दिया कि सामने वाले दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार नहीं हैं जो केवल किसानों के विकास के नाम पर बातें करती है और काम के नाम पर कोई परफार्मेंस नहीं करती है। मा0 अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ हमारी सरकार ने 'पर ड्राप मोर क्राप' एक बूंद से अधिक से अधिक हम फसल का सहयोग ले सकें। स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई के लिए अनुदान की राशि को बढ़ाया। करीब 11 हजार स्प्रिंकलर सिंचाई सेट बुंदेलखण्ड में हम बॉटने जा रहे हैं। चार हजार के लगभग हम लोग क्रिटिकल और सेमीक्रिटिकल जोन में इन यूनिट्स को बॉटने जा रहे हैं। इसमें सीमांत कृषकों के लिए 90 प्रतिशत का अनुदान है। सामान्य कृषकों के लिए 80 प्रतिशत का अनुदान है। हमारी सरकार में इस वित्तीय वर्ष में 11 हजार सोलर पम्प बॉटने के लिए 7700 पात्रों का चयन हो चुका है। 11 हजार पम्प हम बॉटने जा रहे हैं और 11 हजार हमने केंद्र सरकार से और प्राप्त कर लिये हैं। यह ठीक है कि कोई भी सरकार जब कोई काम करती है तो अपनी परफार्मेंस बताती है। लेकिन अगर हम लोग इसी एक साल में 20 हजार सोलर पम्प बाटने की क्षमता बना रहे हैं तो यह पिछली सरकार में इसी अवधि में केवल 5618 पम्प इनके माध्यम से बटे। पिछली सरकार ने कृषक, जनता के हितों की अनदेखी की उसका परिणाम तो यह भुगत ही रहे हैं लेकिन हम लोगों को भी अफसोस होता है कि इतने सालों तक इतने अगंभीर हाथों में हमारे प्रदेश की सरकार रही।

मा0 अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड में खेत तालाब योजना में 2500 से अधिक खेत तालाब बनाये गये हैं। 50 प्रतिशत की हम सब्सिडी दे रहे हैं। मा0 योगी जी के नेतृत्व में इस सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शतप्रतिशत कर दिया गया है। कृषि से संबंधित प्रत्येक अनुदान प्रत्येक योजना का पैसा अब सीधे किसानों के खाते में जायेगा। अब कोई बिचौलिया नहीं होगा। मा0 अध्यक्ष जी, बिजली की स्थिति से हम सब लोग पूरी तरीके से वाकिफ हैं। किस प्रकार पिछले पांच साल लगातार हमें बिजली को बढ़ाना है, 2018 में हम इतनी बिजली दे देंगे, 2016 तक हम इतनी बिजली दे देंगे, 2015 तक इतनी बिजली दे देंगे। इनकी यह सब बातें

सुनते-सुनते पूरे प्रदेश की जनता और हम सब लोग इसके साक्षी हैं। मान्यवर, लेकिन मुझे कहते हुए हर्ष और संतोष है कि आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में चले जायें, साधारण जनता से पूँछते हैं, गाँव में पूँछते हैं, किसी श्रमिक बस्ती में पूँछते हैं या किसी उद्योगपति से पूँछते हैं, सब तरफ एक ही बात आती है कि बिजली की सप्लाई में, बिजली की आपूर्ति में दिन-रात का अन्तर मिला है। यह इसी एक साल में रातोंरात कैसे हो गया, यह अपने आप में सोंचने का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जितना इनके पीछे के काम देखते हैं, उतना मन में यह आता है कि इन्होंने क्या-क्या किया? ये लोग निजी घरानों के साथ, शराब माफिया के साफ जुड़े थे, ठीक है, खनन माफिया के साथ इनके गठबंधन थे, खुलेआम खनन में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, वह अपने आप में एक बात है, इन्होंने निजी क्षेत्रों से पॉवर परचेज एग्रीमेण्ट कर रखे थे।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साढ़े छः रूपये, सात रूपये प्रति यूनिट की दरों से इन्होंने पॉवर परचेज एग्रीमेण्ट कर रखे थे, इतनी मँहगी दरों में यह बिजली लेने का काम कर रहे थे। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्री जी ने इन करारों को तोड़ा है और नया बेस प्राइज बनाया है जो लगभग चार रूपया पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट है इससे करोड़ों रूपया सरकार का बच रहा है, करोड़ों रूपया प्रदेश की जनता का बच रहा है और इसी पैसे के माध्यम से, इसी की उपलब्धता को आधार बनाते हुए हमारी सरकार और अधिक बिजली देने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक हमारी सरकार ने 24 लाख 70 हजार नए कनेक्शन, लगभग 25 लाख, ये सब लोग मुख्यधारा में मीटर लगाकर बिजली का उपभोग करेंगे, अपना पैसा देंगे और इसके बदले इनको यह अधिकार भी रहेगा कि इनको उचित विद्युत की आपूर्ति की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक का ऑकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले पूरे 01 साल में इनकी सरकार ने इसी पिछले कार्यकाल में मात्र 08 लाख 40 हजार नए कनेक्शन जारी किए, कहाँ 08 लाख और कहाँ 25 लाख, 03 गुने का अन्तर। यह बिजली खरीद रहे हैं साढ़े छः रूपये और सात रूपये में, ये नए कनेक्शन दे रहे हैं, 08 लाख, लेकिन अब हम बिजली खरीदेंगे सवा चार रूपये प्रति यूनिट और हमारे कनेक्शन हो रहे हैं 25 लाख और अब तो 28 लाख हो गए हैं और आने वाले वर्ष 2018-19 में हमारे इस दस्तावेज में यह स्पष्ट है कि हम डेढ़ करोड़ नए कनेक्शन सौभाग्य योजना के अन्तर्गत देंगे। यह प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में, विद्युत तन्त्र में आमूल-चूल परिवर्तन है और यह केवल एक साल की बानगी है। अगर ये लोग सामने होते तो इनसे यह पूँछते कि आखिर यह जो पॉवर परचेज एग्रीमेण्ट था, आखिर इसका आधार आपके यहाँ क्या था और यह क्या हो गया कि 08 या 09 महीने के अन्दर पॉवर परचेज एग्रीमेण्ट में विद्युत की दरें मात्र आधी जितनी रह गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ। नेता विरोधी दल हमेशा बहुत मुखर होकर अति नाटकीय ढंग से काल्पनिक मुद्दों पर बहुत बात करते हैं। काश, अगर वह यहाँ उपस्थित होते तो मैं उनसे पूँछता कि जिस विभाग को लगातार 04 साल संभाला, बेसिक शिक्षा, उसकी क्या स्थिति थी और इस 10 महीने में योगी जी के नेतृत्व में उसकी स्थिति क्या हो गयी? इनके समय 01 करोड़ 36 लाख बच्चे रह गये थे, बच्चे घट रहे थे, मात्र 10 महीने में हमारी सरकार ने 01 करोड़ 36 लाख से 01 करोड़ 54 लाख बच्चों को इनरोल किया है। 20 लाख से ऊपर

बच्चे हमारे यहाँ बढ़े हैं। यह तो हम सब लोग जानते हैं, उनको अच्छी ड्रेस दी गयी है, जूते-मोजे दिए गए हैं। स्वेटर बॉटने में विलम्ब भले ही हुआ हो, लेकिन स्वेटर दिए गए हैं, यह पहली बार का हमारा जो संकल्प था, उसमें स्वेटर भले ही थोड़ा सा देर से बॅट पाया हो, लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ा एचीवमेण्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा में माननीय मंत्री जी के जो पिछली बार के थे, सामने बैठते थे बेहतर होता वे सुनते कि क्या स्थिति हो गयी। नकल के ठेके उठते थे यह सब लोग जानते हैं, खुले आम नकल होती थी, सत्ता का संरक्षण था। आज नकल विहीन परीक्षा का जो संकल्प माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया इसके परिणाम सामने हैं। हो सकता है कि ये इसे खिल्ली में उड़ा दें कि आपकी वजह से पांच लाख बच्चें परीक्षा में नहीं बैठे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी यह मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि इस साल अगर यह वातावरण बना है तो प्रदेश में जो मां-बाप इस बात से व्यथित रहते थे कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना नीचा है कि यहां के पढ़े हुए बच्चे के साथ अन्य प्रदेशों में प्रश्न वाचक चिह्न की मुद्रा में देखा जाता है उनको संतोष का अनुभव होगा। प्रदेश में जो आने वाली पीढ़ी है अच्छी पढ़ाई करेगी, उचित पढ़ाई करेगी, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़कर इस प्रदेश में और इस देश के योगदान में अपनी सहभागिता करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले दो सालों का काम इन लोगों ने नहीं किया, यह हम सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में तो इन्होंने जिद करके सारे प्रदेशों में इस योजना को लागू कर लिया, इन लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार में 8 लाख 87 हजार आवासों की स्वीकृति हो गयी। 9 हजार करोड़ रूपया सीधे लाभार्थियों के खाते में जा चुका है। आने वाले समय में आने वाले वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में यह अपने आप में रिकार्ड होगा आज से पहले प्रदेश में बेघर या निराश्रित लोगों के लिए इतनी कारगर योजना इतनी पारदर्शी योजना जिसमें हमारी सरकार जिओ टैगिंग कर रही है। सीधा सरकार के माध्यम से जो पैसा है वह लाभार्थी के पास जाने वाला है ऐसा मैं समझता हूं आज से पहले इस प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद और मेरठ हमारे प्रदेश के सबसे पुराने मेडिकल कालेजेस हैं इनको सुपर स्पेशलिटी बनाने का कार्य शुरू हो गया। यह अपने आप में उन क्षेत्र के नागरिकों को निवासियों को जब कोई गम्भीर बीमारी होता है किडनी की या हार्ट के प्रकार के आपरेशन होते हैं कि उन्हें दिल्ली जाना पड़े या लखनऊ आना पड़े अब यह सुविधायें इन मेडिकल कालेज में प्रदेश के नागरिकों को मिलने वाली हैं। इसी क्रम में आगरा और कानपुर इनको भी सुपर स्पेशलिटी विभाग बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उपलब्धि हमारे सरकार की कि पूरे देश में बनने वाले नये 24 मेडिकल कालेज में से 8 नये मेडिकल कालेज उत्तर प्रदेश के हिस्से में आये हैं यह भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय अध्यक्ष जी, 2000 से अधिक नये डाक्टर्स की भर्ती हुई है। डाक्टर्स के ट्रान्सफर की पालिसी बनाई गयी पहले देखने में यह आता था कि जहां पर ऐसे शहर हैं जहां पर सुविधायें या वातावरण की अनुकूलता अच्छी है वहां पदों के सृजन से अधिक डाक्टर्स होते थे। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पर चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है, डाक्टर्स की कमी है वहां पर डाक्टर्स जाने से कतराते थे, मैं

अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को माननीय योगी जी को यह बधाई देना चाहता हूं कि आपकी इस पारदर्शी नीति के कारण से समानुपात में डाक्टर्स का समायोजन हो रहा है। आने वाले समय में प्रदेश में जन औषधि केन्द्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सस्ती दवाईयां हैं जो जेनेरिक दवाई हैं ऐसे 1000 केन्द्र खोलने का काम हमारी सरकार करने वाली है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं लगभग 80-85 प्रतिशत से ऊपर गाजीपुर, लखनऊ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसकी भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आने वाले मार्च या अप्रैल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेस वे का कार्य प्रारम्भ कराये जाने का काम प्रस्तावित है। मैं माननीय योगी जी की सरकार को अपनी सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसे हमारी सरकार के द्वारा सम्पादित किए जाने का प्रस्ताव है। जिस पर अभी लगातार सर्वे वगैरह चल रहे हैं। बटेश्वर, जो श्रद्धेय अटल जी की जन्म स्थली भी है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास यह जो बटेश्वर है तो बटेश्वर से चित्रकूट तक 300 कि0मी0 के एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराए जाने का भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें हम सब लोग पिछली बार बहुत चिन्ता से कहते थे, उठाते थे। हमें याद है कि चार-चार, पॉच-पॉच साल हो गए। वरिष्ठ नेता आदरणीय खन्ना जी लगातार उस पर बात उठाते थे लेकिन कभी सरकार के कानों पर जूँ नहीं रेंगती थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लगभग 22 करोड़ की जनता में 16 करोड़ लोगों को जिस योजना का सीधा-सीधा लाभ मिलने वाला हो। तीन रुपये किलो गेहूँ, दो रुपये किलो चावल जहॉ मिलने वाला हो। उस पात्र व्यक्ति को, गरीब नागरिक को ठीक से राशन मिल जाए। पिछली सरकार की चिन्ता में यह कतई नहीं था। हम लोगों ने लगातार इस बात को उठाया लेकिन हमें कहते हुए बहुत सन्तोष का अनुभव है कि हमारी सरकार ने मात्र इन्हीं 10 महीनों में 30 लाख से ऊपर फर्जी राशन कार्ड खत्म कर दिए और 40 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्वाइण्ट ऑफ सेल, हालांकि इसमें अभी दिक्कत है। मेरे साथी विधायक भी इसको महसूस करते होंगे कि जिसमें अँगूठे को लगाकर राशन लेने की पद्धति विकसित की जा रही है। शहरी क्षेत्र की लगभग 13 हजार दुकानों में यह काम प्रारम्भ कराया गया है। शुरुआती दिक्कत के बावजूद जिन राज्यों में यह पी0ओ0एस0 के माध्यम से राशन के वितरण का काम होता है। वहॉ यह पाया गया है कि जो लीकेज है, जो 50 परसेण्ट से ऊपर हुआ करती थी, समाप्त हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका संकेत मिला है। थोड़े समय में समाप्त कर देंगे। प्वाइण्ट ऑफ सेल का यह काम 13000 दुकानों के माध्यम से शुरु हुआ है और अब हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगभग 67000 दुकानें हैं उनमें 67000 मशीनों की स्थापना जून तक करने जा रही है। अब वहॉ पर भी इसी पद्धति से राशन वितरण का कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने इसके बाद अगला कदम भी तय कर रखा है। गोदामों से अनाज के ट्रक चलते हैं लेकिन राशन की दुकानों तक नहीं पहुँचते हैं। उनके रास्ते बदल जाते हैं या रास्ते में ही आधे खाली हो जाते हैं या ट्रक

के ट्रक गायब हो जाते थे। ये सब चीजें बड़ी आम थीं। इस पर बड़ी-बड़ी जॉचें भी हुईं लेकिन अब डोर स्टेप डिलिवरी होगी जिसमें जी0पी0एस0 लगे हुए वाहन होंगे, जो कण्ट्रोल रूम में स्पष्ट दिखेगा। वाहनों का रंग, रूप, आकार भी तय होगा, उस पर नाम भी लिखा होगा जिससे यह साफ दिखेगा कि यह ट्रक सरकारी राशन को लेकर जा रहा है। इस पद्धति को अपनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर यह सारा पैसा बचेगा तो किसके लिए बचेगा। इससे प्रदेश की जनता का पैसा बचने वाला है। इसी बचे हुए पैसे से, इसी बचत से हम लोग आगे काम करने वाले हैं। यह सब मैंने पूर्व में भी कहा है। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी सरकार ने विद्युत में बचत की है। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि पिछले साल की तुलना में मात्र 10 महीने में 17 प्रतिशत अधिक राजस्व की वसूली कर ली। फ्री कनेक्शन देने का काम अलग किया है और राजस्व की 17 प्रतिशत अधिक वसूली अलग से की है।

हमारी सरकार ने 4000 करोड़ रुपया राजस्व का अधिक इकट्ठा किया है। अगर देखा जाए तो जब ये हम लोगों की हँसी उड़ाने का काम करते थे कि 36000 करोड़ रुपया कहॉ से आएगा। यह योजना सफल नहीं हो पाएगी। हमने जब हिसाब जोड़ा तो देखते-देखते वाणिज्य कर में 6000, ऊर्जा में 4000, खनन में 2400, परिवहन में 1200 करोड़ रुपए बचे। अगर देखें तो 15-20 हजार करोड़ रुपया हमारी सरकार ने ऐसे ही जेनरेट कर लिया। यह अभी पिछली बिगड़ी हुई व्यवस्था में से किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले इस साल में प्रदेश की जनता को, प्रदेश के नागरिकों को, वास्तव में सुशासन क्या होता है, यह दिखेगा। एक तपस्वी के भाव से, कर्म योग से सेवा करने वाले मुख्य मंत्री का नेतृत्व क्या होता है, यह आने वाले एक साल में हम सबको दिखने लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अत्यंत वरिष्ठ और नगर विकास मंत्री जी के सूझबूझ भरे एक ही कदम से मैं समझता हूँ कि आने वाले 4 साल में प्रदेश का कोई भी नगरीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अपनी आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त न हो सके। पंडित दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में हर साल हर जिले में से एक नगर पंचायत लेने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है और उस नगर पंचायत को चाहे 4 करोड़ रूपये लगे या 5 करोड़ रूपये लगे उसे आधारभूत सुविधाओं से पूरी तरह संतृप्त किया जायेगा। किसी भी जिले में अगर औसत से देखें तो 4, 5 व 6 से अधिक नगर पंचायतें नहीं हैं। यह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। माननीय अध्यक्ष जी अभी ये ऐसे शब्द बोल रहे थे कि जिससे आप भी व्यथित थे और पूरा सदन भी व्यथित था। राजनीतिज्ञों को जब कोई सहारा नहीं मिलता तब इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं, वह इन्होंने आज किया है। सीधे-सीधे नाम लिया लेकिन हमारी सरकार जिसको यह कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ी योजना हमारे पास है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 40 राजकीय इण्टर कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है। 22 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 10 होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 3 पॉलीटेक्निक्स और इसके साथ-साथ मदरसों में इसलिए नहीं कि वहॉ शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि इसलिए कि वहॉ पर पढ़ने वाले बच्चे भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और उनको भी मुख्यधारा में आगे काम करना है तो उनके भी शिक्षण का स्तर ठीक होना चाहिए।

हमारी सरकार ने उन मदरसों में शिक्षा सुधार के लिए पाठ्यक्रमों में चरणबद्ध योजना से एन0सी0ई0आर0टी0 का सेलेबस लागू करने का फैसला किया और सभी प्रगतिशील अल्पसंख्यक समाज ने इस सबकी प्रशंसा की है। माननीय अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा में एल0टी0 ग्रेड के जो अध्यापक थे

उनकी नियुक्ति में उनके दसवीं की परीक्षा के और बारहवीं की परीक्षा के मार्क्स के आधार पर वरीयता दी जाती थी अगर आप देखें तो कितना आर्गनाइज्ड सिस्टम इन्होंने बनाया। सेन्टर और कालेज सब इनकी सरपरस्ती में चलेंगे उसमें से जब नम्बर मनमाने आएंगे तो उनको वरीयता दी जायेगी और वरीयता के बाद और भी जो कुछ पिछली सरकारों में हुआ उसकी सी0बी0आई0 में जाँच भी चल रही है। मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूँगा उस पूरी व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा और मेरिट का सहारा लिया है उसमें पूर्व के नंबरों का कोई स्थान नहीं है। उच्च शिक्षा में रिसर्च और शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय में 15 दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा की स्थिति क्या थी सब लोग जानते हैं कि पूरा शैक्षणिक सत्र एक-एक डेढ-डेढ़ साल पीछे चलता रहा करता था। यहाँ के बच्चे जब यहाँ पर इम्तिहान देने के बाद अपने रिजल्ट का इंतजार करते थे तब-तब देश की प्रत्येक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रत्येक कोर्स का प्रवेश समाप्त हो चुके होते थे। हम सब लोगों ने इसको देखा है। इस बात को देखते हुए बच्चों ने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करना बंद कर दिया है। बगल में जयपुर में जाकर, इंदौर में जाकर, नागपुर, पूना में जाकर वहाँ पर जाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया।

जो बच्चे गंभीर या विशेषज्ञ क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इस बार यह बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि 15 जून तक रिजल्ट आ जाएंगे और 10 जुलाई तक प्रवेश पत्र जारी करने का काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा में नकल को रोकने के साथ-साथ शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला हमारी सरकार का स्वागत योग्य है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन में आने वाले 2 अक्टूबर 2018 तक एक करोड़ शौचालयों की स्थापना का लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है। एक करोड़ के इस लक्ष्य को और इसकी प्रगति से हम लोगों को दिखता है कि हमें इसे पूरा करने में कोई दिक्कत भी नहीं आयेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में अपने विचार रखने का अवसर दिया, मुझे मेरी सरकार की परफारमेंस और विपक्ष में बैठे हुये साथियों के द्वारा जो गलत आरोप लगाये जाते हैं, तर्कों के आधार पर उनकी परफारमेंस और अपनी सरकार के परफारमेंस को तुलनात्मक रूप से रखने का जो अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 करोड़ नागरिकों के लिये उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिये एक नया आयाम स्थापित करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री पंकज सिंह-**

बहुत-बहुत धन्यवाद, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने पिछली बार भी बोलते हुये कहा था और आज भी मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जब भी मुझे इस सदन में बोलने का अवसर मिलता है मैं सच में गर्व की अनुभूति करता हूँ और उसके साथ साथ अपने आप को इस सदन का जो महान लोकतांत्रिक इतिहास रहा है उसके साथ जुड़ने का अनुभव भी मैं करता हूँ। इस सदन को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत ही महान विभूतियों ने अपने कृतित्व से, अपने शब्दों से अलंकृत करने का काम किया है और सच में जब हम बोलते हैं, कोई भी सदस्य इसमें बोलता है तो वह निश्चित रूप से उनके इस कृतित्व से उनके शब्दों से प्रेरित होकर ही वह बोलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ एक ओर यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर बोलना, जनता की बातों को यहाँ पर रखना, एक सम्मान का विषय है वहीं दूसरी तरफ यह एक बहुत दायित्व का बोध हम सब को कराता है। लेकिन कल जब मैं देख रहा था और पिछली बार जब हम पहली बार सदन में आये, तब भी मैंने देखा, अभिभाषण के वक्त कैसा रवैया विपक्ष का था और कल भी विपक्ष का वही रवैया देखने को हम लोगों को मिला। सही कहा मनीष असीजा जी ने कि पिछली बार गोले के साथ जहाज बना कर वह उड़ा रहे थे, इस बार गुब्बारे फुला कर उड़ा रहे थे, लेकिन गोले फेंके जा रहे थे। राज्यपाल की तरफ, बार बार मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि इन सब लोगों की, विपक्ष के इन नेताओं की संविधान के प्रति ऐसा लगता है कि सम्मान और लोकतंत्र की मर्यादा, वह सब कुछ भूल गये ऐसा प्रतीत होता है। मैं यह समझता हूँ कि उनका व्यवहार, उनकी विचारधारा हो सकता है ऐसी हो और उसको लेकर के वह इस तरीके का व्यवहार यहाँ पर किया करते हों, लेकिन मैं दूसरी तरफ यह भी सोच रहा था कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुये हैं उसको वह सुशोभित कर रहे हैं अगर उनका सम्मान यह लोग नहीं रख सकते तो कम से कम इन लोगों को इतना विचार तो करना चाहिये था कि वह एक उम्रदराज व्यक्ति हैं और अपने पिता और परिवार के किसी बड़े के रूप में देख कर उनके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनकी हिम्मत हो जाती है, कैसे उनका दिल यह गवाँरा करता है कि उनकी तरफ कागज का गोला बनाकर फेंका जा रहा है, उनको मारने की एक तरीके से हिट करने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है कि कैसे उनके हाथ काँपते नहीं है, मुझे आश्चर्य होता है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर किया गया, वह बिल्कुल उचित नहीं है। मैं जानता हूँ कि अभिभाषण इस तरीके से रखा गया और उसमें सारी बातें इस तरीके से थीं और इस तरह की तस्वीर अपने नये उत्तर प्रदेश की वह रखते हैं कि विपक्ष को कहीं पर भी उसमें उँगली उठाने का मौका नहीं मिलता है। और यही कारण है कि उनको उंगली उठाने का मौका नहीं मिला तो वह खुद ही उठकर वेल में चले आये इनके द्वारा किया गया काम इसी तरीके का दिखाई देता है। कई बार यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही विपक्ष, इसमें से कुछ दलों ने पचासों साल से अधिक समय तक इस देश और प्रदेश पर राज किया है कुछ लोगों ने 15-15, 20-20 साल तक यहाँ पर राज किया है। उत्तर प्रदेश की ऐसे हालात में हम लोगों को यह सरकार मिली थी, योगी जी को जिस हालात में उत्तर प्रदेश की सरकार मिली थी, शायद उसके पीछे यही कारण रहा होगा कि वह दायित्वबोध इन विपक्ष के लोगों में नहीं रहा होगा तभी उत्तर प्रदेश के ऐसे हालात रहे हैं और इसका प्रदर्शन निरन्तर विपक्ष के लोगों ने लगातार किया है। यही कारण है कि पहले की सरकारें भय और दहशत के नाम से जानी जाती थीं और आज योगी जी की सरकार आशा और विश्वास के साथ देखी जाती है, यह अन्तर अपने आप सब कुछ स्पष्ट कर देता है। सारी बातों को शान्ति से सुना जा सकता था, संशोधन करना था तो वह बातें लोगों के बीच में रखी जा सकती थीं लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं चुना गया इसीलिए मैंने कहा कि वह उठकर उंगली नहीं उठा सकते थे तो खुद ही आकर यहाँ खड़े हो गये।

महामहिम के अभिभाषण में जिस तरह से एक न्यू उत्तर प्रदेश, नये उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखी गई है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो गतिमान भी हो और जिसमें स्वाभिमान भी हो, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो सुरक्षित भी हो और समृद्ध भी हो और एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो संगठित भी हो और विकसित भी हो, एक ऐसे नये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आदरणीय राज्यपाल महोदय की तरफ से यहाँ पर रखी गयी है। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी आपत्ति किस बात की थी और आपत्ति थी तो उन्हें अपनी बातों को तरीके से यहाँ पर रखना चाहिए था। किसी भी सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से और ज्यादा हो जाती है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी तय है कि सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है उसके निर्वहन की और उसके निर्वहन की सफलता का भी मापदंड यदि कुछ हो सकता है तो सबका साथ और सबका विकास ही एकमात्र मापदंड हो सकता है और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं और उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। इस बात को हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार बहुत ही गम्भीरता से समझती है कि हमारे उत्तर प्रदेश की धरती, श्री राम चन्द्र जी के मर्यादाओं की धरती है, यह उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण जी धरती है। यह उत्तर प्रदेश जहाँ श्री राम चन्द्र जी के मर्यादा की धरती है वहीं भगवान परशुराम जी के पराक्रम की धरती है। यह सूर, तुलसीदास, व्यास, रैदास जी के ज्ञान की धरती है, यह रानी लक्ष्मीबाई, बिस्मिल, अस्फाक उल्ला खान के शौर्य और वीरता की धरती है। मैं इस अभिभाषण को देख करके यह कह सकता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार उन्हीं मर्यादाओं, पराक्रम, शौर्यता, वीरता और ज्ञान से अपने उत्तर प्रदेश को अलंकृत करने के लिए उसी रास्ते पर एक साल में चली है। मैं सुनता हूँ और लोग कहते हैं कि यह सरकार लगभग एक साल से चल रही है लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह सरकार सिर्फ चल ही नहीं रही है बल्कि यह सरकार दौड़ रही है। सरकार दौड़ तो योगी जी की रही है लेकिन पसीने और हांफने का काम विपक्ष कर रहा है ऐसी हालत इस समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है।

2022 में हमारा संकल्प कि हम अपने देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, 2022 तक हम सब लोगों के सामने यह संकल्प है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जिस तरह से अभिभाषण में मैंने पढ़ा, सुना उसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि यह सरकार 2022 आते-आते जब हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प सिद्ध करने का वक्त होगा तो उस सिद्धि में सबसे बड़ा योगदान अगर पूरे देश में कहीं पर होगा तो वह हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान होगा, इस रास्ते पर यह सरकार आगे बढ़ी है। एचीवमेंट्स की बात की गयी। श्री मनीष असीजा जी ने बहुत ही तर्कसंगत तरीके से और बहुत डिटेल में सारी बातों को रखा है। एचीवमेंट्स में कहाँ पर पहुंचा है, वह किसी भी क्षेत्र में उठाकर देखा जाए तो हर क्षेत्र में इस सरकार के मात्र 10 महीने के अंदर हर क्षेत्र में बड़े-बड़े एचीवमेंट्स हैं जिसको कि सालों-साल में यह विपक्ष के लोग, विपक्ष में चाहे किसी की भी सरकार इन दलों में रही होगी तो उसको नहीं प्राप्त किया है। ऐसे एचीवमेंट्स अब आज उत्तर प्रदेश में मात्र 10 महीने की अवधि में इस सरकार ने एचीव किये हैं और सब एचीवमेंट्स के साथ-साथ हर क्षेत्र में चाहे वह इन्फ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वह किसानों के लिए हो, चाहे वह कहीं पर भी हो जो भी रहा वह एचीवमेंट्स लोगों के सामने है और भी समय पर आयेंगे लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो एक गौरव का भाव अपने इतिहास को, अपनी विरासत को, अपनी परम्परा को, अपनी

संस्कृति को, अपनी अध्यात्म को समझने का भी अवसर अपने उत्तर प्रदेश के इतिहास के ताकत को समझने का अवसर जो यू0पी0 दिवस मनाकर दिया गया है उसे जिस भी शब्दों में कहूँ वह कम होगा। पिछली सरकार में? पिछली सरकार को भी श्री राज्यपाल जी की तरफ से यह प्रस्ताव आया था लेकिन इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करने का वक्त नहीं मिला या शायद उनकी मंशा ही नहीं रही होगी। उत्तर प्रदेश के बारे में पूर्ण रूप से सोचने की उनकी मंशा कभी नहीं रही। उन्होंने सोचा तो सिर्फ किसी पर्टीकुलर एक गॉव और एक शहर के लिए तो सोचा होगा लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को समग्र दृष्टि से देखने का काम उन्होंने नहीं किया था। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

आज यू0पी0 दिवस मनाया गया, 25 हजार करोड़ की सौगात उत्तर प्रदेश को दी गयी। पहले यह अंतर हुआ करता था, पहले कई हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का यह सब लोग ले जा करके वहॉ उत्सव में लगा देते थे। इस बार 25 हजार करोड़ का यह सारा सौगात उत्तर प्रदेश को दिया गया यह बहुत बड़ा अंतर दोनों सरकारों में परिलक्षित करता है। मैं तो कहता हूँ कि उत्सव इस बार भी उत्तर प्रदेश ने मनाया, उत्सव समाजवादी पार्टी की सरकारों ने भी खूब मनाया था। लेकिन दोनों में आदरणीय अध्यक्ष महोदय अंतर बहुत बड़ा था। वह जो उत्सव मनाते थे, उसमें भी चमक रहती थी लेकिन वह आर्टिफीशियल सितारों की चमक रहती थी, वालीबुड से बुलाये हुए सितारों की चमक वहॉ पर रहा करती थी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया हम सब लोगों ने इसकी चमक अपने उत्तर प्रदेश के इतिहास को सम्मानित करने की चमक यहाँ पर थी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा अंतर दोनों सरकारों के काम में दिखायी देता है। यह उत्तर प्रदेश को बनाने वाले, उत्तर प्रदेश को जिस मेहनत से अपना खून-पसीना लगाकर जिन्होंने सींचा है उनके चेहरे की चमक हमारे उत्सवों को चमकाने का काम करती है। यह इतना बड़ा अन्तर दोनों सरकारों में है, यह आज नजर आता है और मैं देख रहा हूँ कि उस दिन वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट, एक जिला और एक उत्पाद की पॉलिसी जो चलायी गई यह कार्यक्रम जो उस दिन चालू किया गया तो मैं सोच रहा था कि देश को जी0एस0टी0 मिला, वन नेशन-वन टैक्स मिला। देश के लोग उसको हाथों-हाथ लिये और देश सच में एक नई ऊँचाईयों को उससे प्राप्त करेगा। लेकिन यह विपक्ष के लोगों के ऊपर से वन-नेशन-वन टैक्स का भूत अभी उतरा नहीं था कि आदरणीय योगी जी ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडेक्ट दे दिया। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से कई लाख नौकरियों का सृजन भी होगा और जिले-जिले में जो क्षमतावान लोग हैं, जिनके अन्दर कुछ करने की तमन्ना है, जिनके अन्दर कुछ हुनर है और जिन जिलों में उनकी अपने पास वहॉ की परम्पराएं हैं, वहॉ की एक विरासत रही है उस पर काम करने का एक अवसर भी उनको मिलेगा और पूरे विश्व भर में एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनका उत्साहवर्धन किया गया उनको अवसर मिलेगा तो अपने प्रोडक्ट को वह विश्वभर में ले जा सकते हैं, विश्व को दिखा सकते हैं।

अब आप समझिये कि यह कितना बड़ा अंतर हो सकता है। यहाँ के प्रोडक्ट बाहर जायेंगें और बाहर के लोग यहाँ आकर उन प्रोडक्ट्स को ढूँढेंगें। कितना बड़ा अंतर और कितना बड़ा व्यापार यहाँ पर हो सकता है। कितनी बड़ी समृद्धि यहाँ पर आ सकती है कितना बड़ा रोजगार का सृजन हो सकता है। लेकिन इन विषयों की तरफ इनका कभी ध्यान नहीं गया। यह तो सिर्फ ध्यान भटकाने वाली

बातों को पूरा विपक्ष चाहे कोई भी दल रहे हों इन लोगों ने हमेशा ऐसी बातों को किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर बनेगी और एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहॉ का नौजवान सच में रोजगार प्राप्त करके अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होगा और उत्तर प्रदेश को नई ऊॅचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह हम लोग आगे आने वाले समय में देख पायेंगें। क्योंकि हमारी सरकार हमेशा यह चाहती है कि लोगों को पहले सामान्यतया नौकरी की बात होती थी तो लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी दिखाई देती थी। फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर चला तो लोगों को लगा कि अब यह प्राइवेट नौकरी भी ली जा सकती है। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, मैं यह कह सकता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान सिर्फ सरकारी और प्राइवेट नौकरी ही नहीं ढॅढेगा वह जॉबसीकर ही नहीं रहेगा बल्कि वह खुद एक जॉबक्रिएटर बन जायेगा और लोगों को नौकरी प्रदान करेगा यह मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहा हूँ। ऐसे मजबूत हम सब नौजवानों को देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता का भी कार्यक्रम चलता है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों को, बेरोजगारों को भत्ते से भी जो उनका जो चलता है, उनके हाथों को एक सहारा दिया जाय, उनको सहारा प्रदान किया जाय उसके साथ हम एक ऐसी स्थिति भी बनाना चाहते हैं कि हम लोगों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किसी भी सरकार, किसी भी नेता और किसी भी अधिकारी के सामने नौकरी के लिये और भत्ते के लिये हाथ न फैलाना पड़े। बल्कि वह स्वतः अपने पैरों पर खड़े होकर लाखों लाख लोगों को नौकरी दे पाय यह सब हालात हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ऐसा माहौल हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट-अप का जो कॉपस फंड है उसमें बढ़ोत्तरी की गई है। देश के सबसे बड़े इनक्यूबेशन सेन्टर यहाँ पर खोले जा रहे हैं। यह सब काम हमारी इस सरकार के द्वारा से लिया गया है और कई परियोजनाएं स्टार्ट अप की यहाँ तैयार बैठी हुई हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसी कार्यक्रम में गये थे वहॉ पर ही इस पर अपने विजन, अपनी सोच उन्होंने लोगों के सामने की थी और आह्वान भी ऐसे क्षमतावान लोगों का उन्होंने किया था। स्किल इंडिया की बात करते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में वह कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को 6 लाख लोग लगभग इनरोल हुए हैं। और लगभग डेढ़ लाख लोगों को उसमें प्लेसमेंट भी मिल गई है स्किलफुल होने के बाद। वह प्लेस भी हो गये। लोगों के पास बहुत सारी जानकारी हो, एज्यूकेशन हो लेकिन अगर वह स्किलफुल नहीं है जो सब कुछ होने के बावजूद देश, लोग, कम्पनियॉ, इन्डस्ट्रीज उनको एक्सेप्ट नहीं कई बार करतीं और इसका महत्व तो सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि स्किलफुल होना कितना आवश्यक है।

एक बार किसी से यह पूछा गया कि साहब आप इतने बड़े म्यूजीशियन हैं, आप एक स्तर प्राप्त कर चुके हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन आप क्यों रोज प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने यही बात कही थी कि अगर एक साल मैं प्रैक्टिस न करूँ तो हमारे विश्व भर के फैनस यह समझ जायेंगे कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर मैं एक महीने प्रैक्टिस न करूँ तो हमारे परिवार के लोग समझ जायेंगें कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है और अगर एक दिन और एक घंटे की भी प्रैक्टिस हमने छोड़ दी तो मैं खुद समझ जाऊँगा कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार प्रैक्टिस का और स्किलफुल बनने का कितना बड़ा महत्व होता

है। माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका निश्चित रूप से लाभ आगे आने वाले समय में दिखाई देगा और यू.पी. इनवेस्टर्स समिट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके की खबरें हम सब लोगों को आ रही हैं, देख रहे हैं और जिसकी कमान सीधे हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी ने ली है और लगातार रोड शोज में भी वह कई जगहों पर गये हैं और इस देश में बड़े से बड़े इंडस्ट्रलिस्ट भी, जो पहले उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहते थे, कई लोगों ने तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में न आने की कसमें खा रखी थी, वह उत्तर प्रदेश दोबारा आने के लिए तैयार हुए, यहां इन्वेस्टमेन्ट करने के लिए तैयार हुए। मैं समझ सकता हूं कि इस सरकार को, उन लोगों को, ऐसे बड़े उद्योगपतियों को जिन्होंने कसम खा रखी थी कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के कारण जिन्होंने कसम खा ली थी कि अब हम उत्तर प्रदेश में नहीं आयेंगे, उनको यह विश्वास दिलाना कि आज यहां सपा, बसपा की सरकार नहीं है, यहां कानून का राज है, मैं समझता हूं कि कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि लाखों-करोड़ों की 21 और 22 तारीख को लाखों-करोड़ों के एम्यूज होंगे, एग्रीमेन्ट्स होंगे और उत्तर प्रदेश में ऐसे इन्वेस्टमेन्ट आने वाले तीन-चार साल में होंगे और लाखों-लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।

जहां इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल शॉप जैसे लखनऊ में ही मैं कहूं, यहां पर लगभग एक कम्पनी के द्वारा 1500 करोड़ रु0 का इन्वेस्टमेन्ट अगले साल-दो साल में, यहीं बगल के जिले में 1200 करोड़ रु0 का इन्वेस्टमेन्ट लेकर लोग आ रहे हैं, हमने पढ़ा है, वहां लेकर लोग आ रहे हैं। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा इन्वेस्टमेन्ट आयेगा और कितना बड़ा रोजगार सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या से उत्तर प्रदेश को निजात मिलेगी और लोग यह कहते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश यहां पर कोई कमी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, नैचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, यूथफोर्स की कोई यहां पर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में क्यों पीछे रह जाता है ? कारण उसके पीछे यदि कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ कि विपक्ष में आज जो हमारे लोग हैं, उनकी समग्र दृष्टि न होने के कारण, उनका विजन न होने के कारण, गलत नीतियों के कारण और उनकी गलत नीयत होने के कारण आज उत्तर प्रदेश की यह स्थिति बनी हुई है, यह इनकी उपलब्धि के रूप में यही इनके पास है। आज मैं देख रहा हूं कि कई सारे बड़े-बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं, जहां पर आर्थिक रूप से अपने उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ करने की कोशिश की गयी, जहां पर लोगों को अपने गरिमामयी इतिहास को समझने का अवसर यू.पी. दिवस के माध्यम से मिला, स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन सेन्टर्स, यू0पी0 इन्वेस्टर्स समेत इन सबके माध्यम से जहां आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को सुदृढ़ करने का काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ मैं कह सकता हूं कि अयोध्या में दीवाली मनाकर अपने देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत को भी समझने का अहसास कराने का अवसर भी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया।

अभी आज मैं समाचार-पत्र में पढ़ रहा था, नेता विपक्ष, उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, उन्होंने इस पर बड़ी चिन्ता जतायी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब दीवाली मनायी थी, तब नर्क चतुर्दशी थी, पता नहीं क्या-क्या बातें कहीं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको यह

चिन्ता पहले क्यों नहीं थी? वह उसी दल से विपक्ष के नेता हैं, जिस दल के नेता ने विधान सभा चुनावों के दौरान इसी लखनऊ कैण्ट विधान सभा में प्रचार करते हुए कहा था और एक समुदाय के लोगों को सिर्फ उन्होंने अपीज करने के लिए कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता ने, कि 16 कार सेवकों को मारा था, अगर 40 को भी मरवाना होता तो मुझे कोई संकोच न होता, ऐसी बात समाजवादी पार्टी के नेता ने की थी और आज उनको दर्द हो रहा है। इसी तरीके की बयानबाजी उनकी पार्टी के नेताओं ने की। आज उनको दर्द हो रहा है। इस तरीके की बयानबाजी उनकी पार्टी के नेताओं ने की । आज उनको जब अयोध्या में योगी जी दीवाली मना रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि शायद यह पहली बार ऐसा हुआ होगा हमने तो पढ़ा सुना लोगों ने बताया कि भगवान रामचन्द्र जी जब अयोध्या पहुँचे थे रावण का वध करने के बाद तो अयोध्या ऐसी लग रही होगी अयोध्या ऐसी चमक रही थी वहाँ पर दीपक जल रहे थे लोगों ने खूब स्वागत किया था लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस युग के बाद इस युग में और इस सरकार में पहली बार देश और विश्व में रह रहे लोगों में यह एहसास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कराया कि शायद उस समय अयोध्या सजी होगी अगर कैसी लग रही होगी तो आओ और देख लो अयोध्या ऐसी लग रही होगी यह एहसास और यह दृश्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कराया। लेकिन आज विपक्ष के लोगों को इसमें भी आपत्ति हो रही है। इसमें भी उनको दिक्कत हो रही है। कानून व्यवस्था की बात यह लोग कर रहे हैं और गलत आंकड़े लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत बयानबाजी तर्कविहीन बातें करके लोगों को बरगलाने की कोशिश होती है। जब यहाँ पर चाहे किसी की तरफ से बात कही जाती है तो हम जब यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ विधान सभा सदस्यों का मनोरंजन करने के लिए नहीं उनको हंसाने के लिए नहीं बल्कि गम्भीरता से अपने-अपने क्षेत्र की बातों को रखने के लिए और उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखने के लिए हम लोगों को अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब तर्कविहीन बातें रखी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की चिन्ता को छोड़कर यहाँ पर लोगों को हंसाने की बातें की जाती हैं।

कानून व्यवस्था की बात पर इस तरह के आंकड़े बहुत सारे लोगों ने रखे मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरीके की बातें रखी गई हैं आंकड़ों के साथ रखी गई हैं मैं उसको देखकर कह सकता हूँ कि उन बातों को काउंटर ही नहीं किया हमारे तथ्यों ने बल्कि जो भी गलत बयानबाजी होती है गलत आंकड़े रखे जाते हैं उन आंकड़ों का सही तरीके से एनकाउंटर भी इस सरकार ने किया है। गुण्डे बदमाश अपराधी मारे जो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस के नेताओं को दर्द हो रहा है। अगर यही दर्द इन लोगों को मासूमों की जो हत्याएं हुईं निर्दोष लोग जब मारे जाते थे अगर यही दर्द उस समय हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं बने होते। उसी हालात को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने और पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए और पुलिस प्रशासन का इकबाल लोगों के मन में बनाने के लिए आज फ्री हैण्ड दिया गया काम करने की स्वतंत्रता दी गई । न्यायिक तरीके से कानूनी तरीके से काम करने की स्वतंत्रता दी गई है और आज काम भी हो रहे हैं। हिस्ट्रीशीटर्स पकड़े जा रहे हैं दुर्दान्त अपराधी मारे जा रहे हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रस पार्टी को आपत्ति हो रही है दिक्कत हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ऐसे कुख्यात अपराधियों से कोई रेशमी दस्ताने पहनकर उनसे लड़ाई नहीं होती ऐसे लोगों को दबाने

और कुचलने के लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे ही फौलादी इरादे की जरूरत होती है, जिसको कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सामने रखा है और मैं कह सकता हूँ कि यही कारण है कि आज उत्तर में पहले लोग निकलने से घबराते थे महिलाएं, बहनें दिन की रोशनी में भी बाहर निकलने से घबराती थीं। व्यापारी सुबह निकलता था तो उसको यह अंदाजा नहीं होता था कि शाम को वह सुरक्षित घर लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा मैं आज कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उसी कार्यशैली के कारण आज उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी एक बार दोबारा से अमन चैन की स्थिति कायम हो गई है। जिस कानून व्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने बनाकर रखी थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मैं कह सकता हूँ कि आज दोबारा एक बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। आर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म करने के लिये लैण्ड माफिया, खनन माफिया न जाने कितने माफियाओं को यहाँ पर सुना जाता था। करप्शन का भी एकदम से इंस्टीट्यूश्नलाईजेशन यहाँ पर किया गया। यहाँ पर आर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहे थे। इसको दबाने के लिये, इसको खत्म करने के लिये और इसको जड़ से समाप्त करने के लिये यूपीकोका लाया गया है तो इसमें भी इन सब लोगों को आपत्ति होती है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसे मजबूत कड़े प्राविधानों से, ऐसे कड़े कानूनों से भी जो कि उत्तर प्रदेश में रह रहे लोगों को सुरक्षित करेंगे, उससे इनको क्या आपत्ति होती है।

जब भूमाफियाओं के ऊपर कार्यवाही होती है तब भी इनको पेट में दर्द होता है। जब सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त किया जाता है तब भी इनको दिक्कत होती है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि यह चाहते क्या हैं, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि अब उत्तर प्रदेश को अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त करना है तथा अपने उत्तर प्रदेश को भूमाफियाओं से भी मुक्त करना है। हमारी सरकार का यह संकल्प है। पिछले 10 महीने में जिस तरह से यह सरकार चली है, दौड़ी है, वह साफ तौर पर लोगों के सामने इस सरकार की नियत स्पष्ट करती है। इस सरकार के कामकाज भी आने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं। हमारे मा0 सदस्य, श्री मनीष असीजा जी ने पूरे डाटा के साथ अपनी सारी बातों को यहाँ पर रखा है और मैं दोबारा से डिटेल्स में जाकर उनका रिपीटिशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज सच में चाहे वह इण्डस्ट्री सेक्टर में देखा जाए, चाहे किसानों के लिये देखा जाए कि उनके लिये सिंचाई की परियोजनाएं चालू की गयीं, छोटे बच्चों को पढ़ने का कैसे एक अच्छा माहौल मिले और उनके अन्दर यह एहसास कराना कि आप भी भारत माता के सपूत हो और आपकी भी हमारे देश को उतनी ही जरूरत है जितनी कि कान्वेन्ट स्कूल में पढ़ने वाले लोगों की है और उसमें पढ़ाने वाले लोगों की है उतनी ही जरूरत आपकी भी हमारे देश को है। आपके अन्दर भी क्षमता है, यह एहसास उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन बच्चों को कराया है। सब कुछ होने के बाद भी, सारी क्षमता होने के बाद भी, सारा टैलेन्ट होने के बाद भी सिर्फ उनको अवसर न मिले तो ऐसी सरकार और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों तथा ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या लाभ है। लेकिन आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम भी इस सरकार ने किया है और उनको यह विश्वास दिलाने का काम भी इस सरकार ने किया है कि आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिये हम आपके साथ खड़े हैं।

आपको जो भी करना है आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। यह इस सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूँ कि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इन्हीं के कंधों पर हमें देश का चमकता हुआ भविष्य खड़ा करना है और इसके लिये आवश्यक है कि उन बच्चों को सच में एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा माहौल हम सब दें और वह काम हमारे योगी जी की सरकार ने किया है। मैं इसके लिये सच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे देश में शोध संस्थानों में शोध के लिये भी फंड एलोकेट किये गये हैं तथा शोध को बढ़ावा देने का काम भी किया गया है।

यह तो हमारे देश का इतिहास रहा है कि पहले पूरे विश्व को जब कहीं पर भी अन्य चीजों की आवश्यकता होती है चाहे वह आटोमोबाईल पार्ट्स की आवश्यकता हो, चाहे वह फ्यूल की आवश्यकता हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता हो तो पहले पूरा विश्व कहीं अन्य देशों की तरफ देखा करता था, लेकिन जब भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, टैलेन्ट की, क्षमता की आवश्यकता होती है तो पूरा विश्व कहीं और नहीं बल्कि हमारे हिन्दुस्तान की तरफ ऑख उठाकर देखता है और मैं कह सकता हूँ कि इन सब योजनाओं से जिस तरीके का अच्छा माहौल यहां पर आज बच्चों को दिया जा रहा है उसका लाभ यह मिलेगा कि आने वाले समय में पूरा देश जब टैलेन्ट ढूंढेगा तो उसको टैलेन्ट हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में दिखाई देगा। ऐसा माहौल हमारी सरकार तैयार कर रही है। यह सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिये थी, लेकिन इन जिम्मेदारियों और अपने दायित्वों का निवर्हन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन लोगो ने उस समय नहीं किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बेदखल किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से भारत माता की सेवा करते हुए उनकी रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले नौजवान जिन्होंने अपने आपको शहीद कर दिया, जिन्होंने भारत माता के चरणों में अपने आपको फूल की तरह न्यौछावर कर दिया, बिछा दिया उनके लिए भी उनको सम्मान देते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस सरकार ने जिस तरीके से उनके आश्रितों को नौकरी देने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, इसके साथ-साथ शहीद ग्राम घोषित करके उस ग्राम को डेवलप करना, विकसित करना और उस गांव से जो सम्पर्क मार्ग हैं जो मेन रास्ते से जोड़ते हैं उनको गौरवपथ के रूप में डेवलप करने का जो काम किया है वह सच में एक बहुत ही भावनात्मक रूप से जो व्यक्ति होगा वही इसको समझ सकता है और वही यह काम कर सकता है। यह काम आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उनकी सरकार ने किया है।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने शहीदों के आश्रितों को चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह माता-पिता हो उनके लिए दी गई राशि को बढ़ाने का काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम किया है, उनकी वीरता को, उनके त्याग, तपस्या, परिश्रम को सैल्यूट करने का काम एक तरीके से किया है इसके भी विपक्ष के लोगों को आपत्ति होती है तो मैं समझ सकता हूँ। आज मैं देख रहा था कि यह लोग कैसे किस तरीके से यहां बोल रहे थे। इन लोगों को दिक्कत सिर्फ इसलिये होती है क्योंकि यह लोग तिरंगे के साथ खड़े होने की बजाय उन लोगों के साथ जाकर खड़े होते हैं जो भारत माता के टुकड़े होने का नारा देते हैं, उन लोगों के साथ जाकर यह खड़े होते हैं। आज भी जिस तरीके से किसी एक समुदाय का जिक्र करके खुलेआम यहां पर चर्चा की जा रही थी यह सच में शर्मनाक है। किसी एक घटना का विवरण यहां पर दंगों जैसा दिया जा रहा था, यह सच में दुर्भाग्य का विषय है। मैं कह सकता हूँ कि

प्रदेश और देश की जनता इस तरीके का व्यवहार करने वाले लोगों को बिल्कुल बर्दास्त नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी। देश की बात आती है तो सभी लोगों को कम से कम अपने-अपने दल के झण्डे को किनारे रखकर भारत माता के तिरंगे के नीचे साथ खड़े हो जाना चाहिये। लेकिन ऐसे समय में भी यह सब लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते और उसके बाद गलत तथ्यों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत सारे साक्ष्य उनके सामने रखे हैं, सारे तथ्य उनके सामने रखे हैं, उनका खुलासा इनके सामने किया है और इनको एक्सपोज करने काम भी प्रदेश की जनता के सामने किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी भी इस कृत्य के लिए माफ नहीं करेगी। इसमें एक नौजवान ने अपना जीवन खोया है, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। उस दुख में उनके साथ खड़े होने के बाजए जिन्होंने उस पर गोली चलाई उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और यही कारण है कि यू0पी0 कोका जैसा कानून यहां इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस तरह के अपराधियों का संरक्षण बंद होना चाहिए। मान्यवर, जो कार्य यहां पर किया जा रहा था वह एक प्रकार से विपक्ष के द्वारा अपराधियों का संरक्षण और मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा था। मान्यवर, मुझे आज यहां श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर आपने दिया इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09-02-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री वेद प्रकाश गुप्ता की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र अयोध्या के अन्तर्गत परिक्रमा मार्ग पर अर्द्धनिर्मित प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा दूसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत सुनपेड़ा विकास खण्ड के गंगनहर खुर्जा के क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री अनुराग सिंह की जनपद मिर्जापुर के तहसील चुनार विकास खण्ड के अन्तर्गत नरायनपुर के ग्राम शिवपुर को गंगा की कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरसराय मुख्य नहर एवं मुख्य बेतवा नहर में सिंचाई हेतु पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 द्वारा अध्यक्ष प्रशासन का मासिक वेतन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री मनीष असीजा जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में 'डायलेसिस यूनिट' स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, तथा आठवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत मसकनवा बाजार में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में कक्ष का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

इसी क्रम में 10 मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं अतः उनके स्थान पर श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री अगयश राम शरण वर्मा, श्री मनीष असीजा, श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

क्रम	नाम
1	श्री आजाद अरिमर्दन
2	श्री रवीन्द्र जायसवाल
3	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'
4	श्री आर0 के0 सिंह पटेल
5	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
6	श्री ब्रजभूषण राजपूत
7	श्री अनिल पाराशर
8	श्रीमती जयदेवी
9	श्री कुलदीप सिंह सेंगर
10	डा0 डी0सी0 वर्मा
11	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
12	श्री रोशन लाल वर्मा
13	श्री दलवीर सिंह
14	श्री राकेश प्रताप सिंह
15	श्री नफीस अहमद
16	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव
17	श्री नाहिद हसन
18	डा0 वीरेन्द्र यादव
19	श्री जगन प्रसाद गर्ग
20	श्री दल बहादुर
21	श्री लालजी वर्मा
22	श्री राम अचल राजभर
23	श्री अनिल सिंह

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05:00 बजे सोमवार दिनांक 12 फरवरी, 2018 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 09 फरवरी, 2018

नत्थी-क

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर पृष्ठ सं0 20 पर)।

पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित करने हेतु उ0प्र0 परिवहन निगम के 18 प्रस्तावित बस स्टेशन

क्र0 सं0	बस स्टेशन का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1	कौशाम्बी (गाजियाबाद)	365000
2	कानपुर सेन्ट्रल (झकरकटी)	30350
3	वाराणसी कैण्ट	23876
4	सिविल लाइन्स (इलाहाबाद)	18000
5	विभूति खण्ड (गोमतीनगर, लखनऊ)	588000
6	बरेली (सेटेलाइट)	29000
7	सोहराबगेठ (मेरठ)	17580
8	ट्रांसपोर्ट नगर (आगरा)	30744
9	ईदगाह (आगरा)	8000
10	आगरा फोर्ट (आगरा)	4046
11	रसूलाबाद (अलीगढ़)	42000
12	मथुरा (पुराना)	6790
13	बुलन्दशहर (नई भूमि)	10300
14	गाजियाबाद	10036
15	भैसाली (मेरठ)	45400
16	रायबरेली	10885
17	फैजाबाद	10530
18	गोरखपुर	20000

पी0एस0यू0पी0-एल0 127 विधान सभा (232)-13-11-2018-631 प्रतियां।